लोक-सभा वाद-विवाद

शनिवार,
१७ दिसम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
On 11/11/83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LSD

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . . . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५. ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६ . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ . ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५—शुक्रवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक सभा

शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पाकिस्तान समाचार पत्र में भारत विरोधी समाचार

अ० सू० प्र० संख्या ५, श्री गिडवानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ५ दिसम्बर, १९५५ के कराची के "मार्निंग न्यूज" पत्र की सम्पादीय टिपणियों में भारत पर लगाये आरोप की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान पर कब्जा करने की अफगानिस्तान की योजना में भारत के मुख्य सह अपराधी होने से पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान की दल बन्दी की घृणित दुरभिसन्धि से अपने राजनीतिक अस्तित्व की रक्षा करनी है ;

(ख) क्या पाकिस्तान प्रेस के एक वर्ग द्वारा ऐसे आरोप बार बार लगाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे आरोपों का प्रतिवाद करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य उप मंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) सरकार ने पाकिस्तान प्रेस में बारम्बार दिये गये इस प्रकार के वक्तव्यों को जिनका वास्तव में कोई भी आधार नहीं है और जो भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए अपमानजनक हैं बहुत दुख से पढ़ा है । भारत ने अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं किया है और न उसके पाकिस्तान से सम्बन्धों अथवा विवादों में किसी प्रकार से भाग लिया है और इसके विपरीत कोई भी वक्तव्य बिलकुल झूठा है । भारत का अफगानिस्तान से अन्य देशों की भांति बहुत दिनों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहा है ।

सरकार झूठे वक्तव्यों का केवल प्रतिवाद ही कर सकती है, अथवा आवश्यक समझे जाने पर, पाकिस्तान सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित कर सकती है । ऐसा उसने समय २ पर किया है ।

श्री गिडवानी : क्या पाकिस्तान सरकार का ध्यान उस घटना की ओर भी आकर्षित किया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां, मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि हमने समय २ पर पाकिस्तान सरकार का ध्यान पाकिस्तान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए बिल्कुल मिथ्या समाचारों और वक्तव्यों की ओर आकर्षित किया है ।

श्री गिडवानी : क्या इस मामले में भी ऐसा किया गया था, और उसने उसका क्या उत्तर दिया ?

श्री अनिल के० चन्दा : अन्य मामलों के साथ-साथ इस मामले का निर्देश भी पाकिस्तान सरकार से किया गया था ।

श्री गिडवानी : उसने उत्तर क्या दिया?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं समझता हूं कि उसने यह उत्तर दिया कि वहां का प्रेस स्वतन्त्र है और जो भी वह चाहे प्रकाशित करने के लिये स्वतन्त्र है ।

डा० लंका सुन्दरम : क्या सरकार ने दोनों देशों के समाचार-पत्रों के सदव्यवहार के संबंध में किए गए नेहरू-लियाकत अली करार के सुसंगत उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, यदि नहीं तो क्या अब ऐसा किया जायेगा ?

श्री अनिल के० चन्दा : पड़ौसी देशों के बीच मित्रता तथा सदव्यवहार बनाये रखने के लिये नेहरु-लियाकत करार का निर्देश करने की आवश्यकता नहीं है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर पाकिस्तान सरकार ने कितनी बार यह उत्तर दिया कि वह इस बात का प्रयत्न करेगी कि भविष्य में इस प्रकार की टीका-टिप्पणी न की जाये ?

श्री अनिल के० चन्दा : इसकी गणना करने के लिए हमें एक सांख्यिक रखना पड़ेगा ।

श्री गिडवानी : मेरे १५ दिसम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५१ के उत्तर में जो इस प्रकार से था--

"क्या सरकार ने पाकिस्तान के समाचार-पत्रों में पाकिस्तान समाचार एजेंसी के द्वारा प्रचारित इस संवाद पर, कि एक विदेशी देश के जासूसों ने अपने ध्वंसात्मक तथा देशद्रोही कार्यों को बढ़ा दिया है और वे पाकिस्तान में भारतीयों को स्वीकृत 'म' श्रेणी की वीसा के द्वारा पाकिस्तान में घुस रहे हैं ।

प्रधान मंत्री ने निम्नलिखित उत्तर दिया :

इन समाचारों में जासूसी के आरोप बिलकुल मनघड़त और निराधार हैं । कराची में हमारे उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था । प्रधान मंत्री ने यह उत्तर दिया कि इस बात में सरकार का कोई हाथ नहीं है और पाकिस्तान सरकार इस सम्बन्ध में कही गई बातों में विश्वास नहीं रखती । उन्होंने उच्चायुक्त को यह आश्वासन दिया कि इस प्रकार की घटनायें फिर नहीं होंगी ।

क्या यह घटना उसी प्रकार की पुनरुक्ति नहीं है ?

श्री अनिल के० चन्दा : पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का यह कथित वक्तव्य भारत के सम्बन्ध में प्रकाशित कुछ ऐसी सूचनाओं के बारे में था जिनमें कहा गया था कि भारत ने पाकिस्तान की शसस्त्र सेनाओं में जासूस का काम करने के लिये जासूस नियुक्त किये हैं । इसका उस वक्तव्य से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि पाकिस्तान पुर्तगाल जैसे हमारे शत्रुओं की सहायता कर रहा है, क्या सरकार यह विश्वास नहीं करती है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित ऐसी यह आलोचनायें पाकिस्तान सरकार की प्रेरणा से की जाती हैं और क्या सरकार ऐसी हालत में पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस ओर विशेष रुप से आकर्षित करना आवश्यक नहीं समझती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि हमने समाचार-पत्रों में प्रकाशित ऐसे मिथ्या समाचारों की ओर उस सरकार का ध्यान विशेष रुप से आकर्षित किया है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : उन विभिन्न सूचनाओं को देखते हुये जो यह सरकार पाकिस्तान सरकार को भेजती रही है क्या भारत और पाकिस्तान के परस्पर संबंध अच्छे नहीं होते जा रहे हैं ।

श्री अनिल के० चन्दा : यह तो वास्तव में सम्मति ज्ञात करने जैसी बात हुई, मैं इस अवस्था पर अपनी सम्मति व्यक्त नहीं करना चाहुंगा ।

[शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-- ५३२१-२४

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
अल्प-सूचना प्रश्न-संख्या		
५.	पाकिस्तानी समाचार-पत्रों में भारत-विरोधी समाचार ।	५३२१-२४

लोक-सभा

वाद-विवाद

शनिवार,
१७ दिसम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १०, १९५५

(१० दिसम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड १० में अंक १६ से अंक २७ तक है)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १६—शनिवार, १० दिसम्बर, १९५५

मद्रास के तूफान के बारे में वक्तव्य	७०९३–९५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७०९६–९७
राज्य-सभा से सन्देश	७०९७–९८
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	७०९८
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक और भारतीय प्रशुल्क (ततीय संशोधन) विधेयक	७०९८–७१३८
खंडों पर विचार	७१३६
पारित करने का प्रस्ताव	७१३७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें	७१३७–७२१२
दैनिक संक्षेपिका	७२१३–१४

संख्या १७—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७२१५–१६
राज्य-सभा से सन्देश	७२१६–१७
विधि जीवी परिषद् (राज्य विधयों का मान्यीकरण) विधेयक	७२१७
संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक	७२१७–२४
विचार करने का प्रस्ताव	७२१७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६	७२२४–७३२३
विनियोग (संख्या ४) विधेयक	७३२३–२५
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१	७३२६–३५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक	७३३५–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	७३३७–३८
विचार करने का प्रस्ताव	७३३८
दैनिक संक्षेपिका	७३३९–४१

संख्या १८—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	७३४३
संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक खंड २ और १	७३४३–८४
पारित करने का प्रस्ताव	७३८१
राज्य-सभा द्वारा प्रस्तावित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक	७३८४–७४८७
विचार करने का प्रस्ताव	७३८४–७४८७
श्री पाटस्कर	७३८६–७४१६

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध विधेयक, १९५५ ७४१७–५२
विचार करने का प्रस्ताव खंड २ से २१ और १ ७४४६–४७
पारित करने का प्रस्ताव ७४४७
दैनिक संक्षेपिका ७४५३–५४

संख्या १९—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७४५५–५८
राज्य-सभा से सन्देश ७४५६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७४५६–७५४४
दैनिक संक्षेपिका ७५४५–४६

संख्या २०—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति–
बयालीसवां प्रतिवेदन . . ७५४७
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५४७–७६२२
दैनिक संक्षेपिका ७६२३–२४

संख्या २१—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश . . ७६२५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ७६२६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
बारहवां प्रतिवेदन . . . ७६२६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७६२६–७२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ७६७३–८२
मध्यस्थ निर्णय (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३९ आदि का संशोधन) . ७६८३
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक नई धारा २क का रखा जाना . ७६८३
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक धारा २८ का संशोधन ७६८३–८४
बीमा (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४४क का रखा जाना) . ७६८४
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३ का रखा जाना) ७६८४–८९
विचार करने का प्रस्ताव ७६८४
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (धारा २ आदि का संशोधन) ७६८९–७१०
विचार करने का प्रस्ताव खंड २, ३ और १ . . . ७६९०–७१०
मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५ आदि के स्थान पर रखा जाना) . ७७१३
विचार करने का प्रस्ताव ७७१३
दैनिक संक्षेपिका ७७१५–१८

स्तम्भ

संख्या २२—शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

श्री आर० के० चौधरी का निधन ७७१९–२०
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७७२०–२१
राज्य पुनर्गठन आयोग के सम्बन्ध में याचिकायें ७७२१
राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में प्रस्ताव ७७२१–७८१२
दैनिक संक्षेपिका ७८१३–१४

संख्या २३—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

अनुपस्थिति की अनुमति ७९१५–१६
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७८१६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में सन्देश ७८१७–७९४२
दैनिक संक्षेपिका ७९४३–४४

संख्या २४—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७९४५–४६
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७९४६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७९४७–८०४३
सदस्यों के लिखित वक्तव्य ८०४३–५२
दैनिक संक्षेपिका ८०५३–५४

संख्या २५—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८०५५–५६
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . ८०५६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ८०५७–८१६१
सदस्यों के लिखित वक्तव्य ८१६१–६६
दैनिक संक्षेपिका ८१६७–६८

संख्या २६—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेतालीसवीं से छयालीसवीं बैठकों की कार्यवाही ८१६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८१६९–७१
नदी बोर्ड विधेयक . . ८१७२
अन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक ८१७२
लाभ पदों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन ८१७२
याचिकाओं सम्बन्धी समिति—
सातवां प्रतिवेदन ८१७३
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिका ८१७३–७४

स्तम्भ

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि स्थगन प्रस्ताव . . ८१७४–७५
अगरतला में राताचेरा की स्थिति ८१७५–८३
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ८१८३–८३४२
सदस्यों के लिखित वक्तव्य . ८३१२–४२
दैनिक संक्षेपिका . ८३४३–४६

संख्या २७—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८३४७–४८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८३४८–४९
प्राक्कलन समिति—
सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन . ८३४९
राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में याचिकायें ८३४९
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक . ८३५०
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . ८३५०
स्थगन प्रस्ताव ८३५०–५१
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ८३५१–८७६०
सदस्यों के लिखित वक्तव्य . ८४७७–८७६०
दैनिक संक्षेपिका . . ८७६१–६४
सत्र का सारांश . ८७६४–६८
अनुक्रमणिका (१–५४)

लोक-सभा

शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये भाग १**)

(श्री आर० के० चौधरी का निधन)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने मित्र श्री रोहिणी कुमार चौधरी के दुखःद निधन की सूचना सभा को देनी है। उनकी मृत्यु १६ तारीख को शिलांग के वेल्श मिशन अस्पताल में दोपहर के ढ़ाई बजे हुई।

निधन के समय श्री रोहिणी कुमार चौधरी की आयु ६६ वर्ष थी, वह सदन के एक सदस्य थे। उन्होंने अनेक वर्षोंतक देश की सेवा की थी। १९४६ में वह केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य बने थे। उससे पूर्व वह लगभग २० वर्ष तक आसाम विधान मंडल के सदस्य रहे थे। वह आसाम सरकार के १९३७–३८ से, १९३९–४१ तक और १९४५–४६ में मंत्री रहे। एक संसद्ज्ञ के नाते श्री चौधरी में हासपरिहास की एक अद्वितीय भावना थी और जब भी वह बोलने खड़े होते थे तब सभा की कार्यवाही में एक नया जीवन आ जाता था।

पिछले ही महीने अध्यक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिये मैं आसाम गया तब मुझे गौहाटी में रूग्ण शय्या पर पड़े श्री चौधरी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अब बच न सकेंगे किन्तु वह पूर्ववत ही स्वस्थ थे और हम सभी की ओर से मैंने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना व्यक्त की थी।

श्री चौधरी के निधन पर हमें शोक है और मुझे विश्वास है कि उनके परिवार को अपनी सम्वेदनायें प्रेषित करने में सदन मेरा साथ देगा।

मृतात्मा के प्रति शोक प्रकट करने के लिये हम सब एक मिनट मौन खड़े रहेंगे।

सभा के सदस्य एक मिनिट तक मौन खड़े रहे।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान, मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि (१) "लोक सभा द्वारा ९ दिसम्बर, १९५५ को पारित अनर्हता निवारक (संसद् और भाग 'ग' राज्यों के विधान मंडल) संशोधन विधेयक को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।"

[सचिव]

(२) "मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि लोक सभा द्वारा ७ दिसम्बर, १९५५ को पारित बीमा (संशोधन) विधेयक को राज्य सभा ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।"

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बंध में याचिकायें

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैं राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में एक याचिका उपस्थापित करना चाहता हूँ।

श्री माधव रेड्डी (आदिला बाद) : मैं राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में ६ याचिकायें उपस्थापित करना चाहता हूँ।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जायेगी :

> "कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।"

श्री एम० ए० आय्यंगार (तिरूपति) : इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति जिनके बिना हम देश को स्वतंत्र नहीं कर सकते थे, आभार व्यक्त करता हूं। अविभाजित भारत में उस समय ३६० जिले थे और प्रत्येक ज़िले में कुल मिलाकर दस से अधिक यूरोपियन अफसर नहीं होते थे। दशा बहुत शोचनीय थी। महात्मा गांधी ने हमारा नेतृत्व किया। उन्होंने ५० वर्ष की आयु में अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और जब उनकी आयु ७५ के लगभग थी तब हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी। गांधी जी न स्वयं कष्ट सहे किन्तु शत्रुओं को कभी कष्ट नहीं दिया और इससे विश्व इतिहास में एक नये यूग का प्रादुर्भाव हुआ। विश्व के इतिहास में यह एक अद्वितीय प्रयोग था और चूंकि हम उसके बहुत समीप हैं इसलिये हम उसका समग्र महत्व नहीं समझ पाते हैं।

इस देश में सम्राट भी रहे हैं। किन्तु हमने विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य से लोहा लेकर स्वतंत्रता प्राप्त की। १९१४–१८ और १९३९-४५ के खूनी युद्धों में हमने जर्मनी की शक्ति को परास्त किया। इग्लैंड ने जर्मनी को परास्त किया और गांधी जी ने इग्लैण्ड को परास्त किया। गांधीजी ने एक ही साथ जर्मनी और इग्लैण्ड को परास्त किया। हमारे रक्तहीन संघर्षों में विजेता और पराजित दोनों ही ऊंचे उठे हैं। अणु बम या उद्जन बन का प्रयोग किये बिना ही इस देश से ब्रिटिश राज हट गया।

अब जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है तब विश्व के कई देशों के लिये हमारी मैत्री आवश्यक हो गई है। हम अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं किन्तु हम अणु बम अथवा उद्जन बन की सहायता से नहीं वरन् पांच उगलियों से––पंचशील से उनकी सहायता कर रहे हैं। प्राचीन काल में बुद्ध का संदेश चारों दिशाओं में ले जाने का कार्य व्यक्तियों पर छोड़ा गया था और आज शांति का राजकुमार संम्पूर्ण राष्ट्रों के भाग्य निर्णय के लिये पंचशील का सन्देश ले जा रहा है। हमारा यह सौभाग्य है कि शाँति का राजकुमार हमारा संचालन कर रहा है।

सरदार पटेल को भी हमें विनम्र श्रद्धांजली अर्पित करनी चाहिय। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत संपूर्ण भारत की जनता को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कराई। भारत को अंग्रेजों ने ब्रिटिश

भारत और देशी राज्यों में विभाजित किया था। ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही सरदार पटेल ने ५६५ देशी राज्यों की स्वतन्त्रता के लिये कार्य शुरू किया। जिस समय ब्रिटिश भारत की जनता स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये संघर्ष कर रही थी उस समय देशी राज्यों की जनता कुछ बोल तक नहीं सकती थी क्योंकि राजा महाराजा अंग्रेजों की आवभगत में ही व्यस्त रहते थे। किन्तु स्वतन्त्रता की मांग बढ़ी और अगस्त १९४७ के उपरांत चार मास से कम समय में ही एक और आश्चर्यकारक घटना हुई। सभी राज्यों का विलीनीकरण किया गया।

अब अगला कदम स्वाभाविकता ही आता है। राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक है। भारत को कई असंबद्ध भागों में विभाजित कर दिया गया था। मैं केवल मद्रास के बारे में बोल सकता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब सुधारों का प्रश्न आया तब मद्रास विधान मंडल में वहां मल्यालम बोलने वाले व्यक्ति उपस्थित थे, कन्नड़ तेलगू और तामिल बोलने वाले भी थे। यद्यपि सभी उपस्थित व्यक्ति द्रविड जाति कुल के थे फिर भी कोई एक दूसरे को समझ नहीं सका। आज हमें यह देखना है कि स्वतंत्रता सबको बांटी जा सके। यहां भी हमने एक ऐसी बात की है जिसे अन्य देश प्राप्त नहीं कर सके हैं। हमने किसी एक विशिष्ट दल को सभी कुछ नहीं दिया है। स्वतंत्रता के लाभ हमने सभी को वितरित किये हैं। जब हमारे नेता चुनाव के लिये खड़े हुए तब उनका विरोध ब्रह्मचारी जी ने किया। इसलिये इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, केवल २१ वर्ष की आयु होने पर देश का सच्चा शासक बन जाता है। जब इस सदन में इस आशय का सुझाव लाया गया था कि शिक्षा या अन्य किसी प्रकार की अर्हता आवश्यक होनी चाहिये तब उक्त सुझाव का तीव्र विरोध किया गया था। इसलिये अर्हता भी हटा दी गई जिससे कि सभी वर्गों की जनता देश के शासन में भाग ले सके। तो क्या देश का इस आधार पर पुनर्गठन न किया जाये। किसी भी व्यक्ति का यह कहना ठीक नहीं कि पुनर्गठन एक गलत कार्यवाही है। पुनर्गठन से विद्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है किन्तु हम इस बात से हमेशा भयभीत नहीं रह सकते हैं। भाषा के आधार पर यह पुनर्गठन एक भाषा बोलने वाले लोगों को एकत्रित कर सकता है। यह कहना कि हम सब चाहे हम कोई भी भाषा क्यों न बोलते हों इकट्ठे रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक शक्तिशाली केन्द्र है तथा हम एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं गलत बात है। क्या पोती श्री रामलु ने इसी लिये अपना बलिदान दिया था? चालीस वर्ष से अधिक तक निरन्तर मांग कर लेके पश्चात उसकी मृत्यु के पीछे ही दक्षिण में आन्ध्र का राज्य बन सका। किसी समय आन्ध्र पाटलीपुत्र के शासक थे। वहां से उन्हें दक्षिण में धकेल दिया गया। आज उन्हें फिर चेत हुआ है। किन्तु आज वे सेवा के लिये आगे आये हैं राज्य करने के लिये नहीं हम इस भावना से देश का पुनर्गठन चाहते हैं। यह कहा गया है कि महाराष्ट्रो तैलगू तथा कन्नड़ों की वर्तमान दशा देश में विदेशी शासन के कारण है। महाराष्ट्र वाले बृहत् महाराष्ट्र चाहते हैं। कन्नड अधिक सम्पन्न होना चाहते हैं। अब कन्नड़ भाषी लोग बम्बई, हैदराबाद, मैसूर, कुर्ग और मद्रास आदि पांच राज्यों में बंटे हुए हैं। आज छोटे बड़े सभी राज्य स्वाधीन होना चाहते हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि हैदराबाद की समस्या कितनी कठनाई से हल हुई थी। आज तेलंगांना के लोग कहते हैं हमारा पृथक् राज्य होना चाहिये किन्तु उस समय वे बेज़वाड़ा भाग गये थे। प्रतिवेदन में कहा गया है कि हैदराबाद का महाराष्ट्र से सम्बन्धित भाग तेलेगांना वाले भाग से सर्वथा भिन्न है। किन्तु मैं पूछता हूँ कि क्या वे एक जैसे ही कपड़े नहीं पहनते हैं? क्या उनकी बोलचाल एक जैसी नहीं

[श्री एम० ए० अय्यंगार]

है? आप एक को दूसरे से पृथक नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना का आन्दोलन तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पीछे ही आरम्भ हुआ है। तेलंगाना अपने आप पर नहीं छोड़ा जा सकता है। हैदराबाद में १६ ज़िले थे तेलंगाना में आठ रह जायेंगे। ऐसी अवस्था में यह अपना आस्तित्व कैसे बनाये रख सकता है? तेलांगाना का साहित्य हमारा साहित्य है। वहां वारंगल में श्रीमद् भागवत लिखी गयी थी और हम उसे पढ़ते हैं। इसी प्रकार वह भी रामायण और महाभारत पढ़ते हैं। फिर उनका कहना है हम शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, अतः हो सकता है हमें नौकरियां न मिल सकें। (सरकारों परगनों) में लोग इतने सुदृढ़ और शिक्षित हैं कि वह राजनीति में हम पर छा जायेंगे। हमारे पास सरकारें और अभ्यर्पित जिले हैं। वे हैदराबाद को राजधानी बनाने को तैयार हैं। वास्तव में यह आन्ध्र को ही भाग थे जिन में से कुछ अंग्रेजों ने ले लिये थे और कुछ निज़ाम को बांट आये थे। उस समय निजाम ने केवल पांच जिले अभ्यर्पित किये थे। हम शेष ज़िले भी वापस चाहते हैं। क्या यह बात ग़लत है? आप कहते हैं हैदराबाद के लोग पिछड़े हुए हैं; रायलासीमा के लोग भी तो पिछड़े हुए हैं। रायलासीमा में प्रति दूसरे वर्ष दुर्भिक्ष की सी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। पिछड़े होने की दृष्टि से दोनों एक जैसे हैं। तेलंगाना का दूसरा तर्क यह है कि हमारा एक अस्तित्व-योग्य राज्य है। यदि हम आन्ध्र के घाटे के राज्य में सम्मिलित हुए तो हमारा भी घाटे का राज्य में बन जायेगा। मैं इस तर्क का खंडन करता हू। मैं पूछता हूं कि यह रुपया कहां से आता है? तेलंगाना को शराब से ५–६ करोड़ रुपये की आय होती है। उसका क्या लाभ है? हैदरबाद में भूमि कर १८ रुपये प्रति एकड़ है और हमारे यहां आंध्र में १० रुपये है। हमने जंमिदारी का भी उन्मूलन कर दिया है। मैं उनसे केवल यह कहता हूँ कि हमें पृथक् नहीं होना चाहिये। हमारा भाषा आदि के सम्बन्ध में कोई भेद नहीं है। मैं भी हिन्दी के विकास का पक्षपाती हूँ। क्या वे उत्तर के कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिये यह बताना चाहते हैं कि वे एक उर्दू विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं इसे एक हिन्दी विश्वविद्यालय में परिणित किया जा सकता है? इस में आपत्ति किसे है। यदि वह हिन्दी और उर्दू दोनों भाषा में जानते हों तो उनको दक्षिण के अन्य निवासियों पर वरीयता प्राप्त हो जायेगी।

वित्तीय दृष्टि से भी यह एक घाटे का राज्य है। इसमें मद्यनिषेध की नीति जारी कर दीजिये, भमि कर को २४ और १८ रुपये से घटा कर सामान्य स्तर पर ले आइये, तब आय देखेंगे कि यह भीख मांगना शुरू कर देगा।

इस प्रतिवेदन के लेखकों का कहना है कि कृष्णा-गोदावरी की घाटी दक्षिण भारत का शस्यागार है। किन्तु यदि आप उस घाटी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चले जायें तो आप को वहां एक भी रेल-पथ नहीं मिलेगा। वहाँ पर अरंडी के अतिरिक्त और कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। उनके पास खाने के लिये कुछ नहीं है। तेलंगाना के लोगों के पास कोई खाद्यान्न नहीं है। उन्हें सरकारों से अन्न मिलता है। क्या अब स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हम एक पृथक् तेलंगाना बनाना स्वीकार करेंगे? विशाल आन्ध्र के बनने पर दो मुख्य मंत्री नहीं हो सकते हैं। आप कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिये अपार जनता को गर्त में डालना चाहते हैं। आप पांच वर्ष तक भी अपना निर्वाह नहीं कर सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग ने उसके लिये पांच वर्ष की अवधि रखी है। क्यों? ताकि इस अवधि में व लड़भिड़ कर अपना सिर फोड़ लेवें। इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता है।

आज वहाँ की संविधान सभा का मन्तव्य स्पष्ट हो चुका है। ऐसा कहा जा सकता है कि कर्नाटक और मराठी भाषी लोग भी उनमें सम्मिलित हैं। यदि हनम उनको भी छोड़ दे तो भी बहुमत हमारे पक्ष में है। क्या हमें इसी विषय को लेकर फिर से निर्वाचन लड़ना होगा? तेलांगाना के पक्षपातियों को भय लग रहा है कि सभी क्षेत्रों में सरकारों के निवासियों का ही बहुमत होगा। कुछ सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। इसका विभाजन किया जाना चाहिये। किन्तु यदि कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो तो क्या आप उसे चाकू से काटने के लिये तैयार हो जायेंगे? बृहत जर्मनी में नौ करोड़ की आबादी थी। वह एक एकात्मक राज्य था, संघीय राज्य नहीं था विशाल आन्ध्र हमारा सबसे बड़ा राज्य बन जायेगा हां वह उत्तर प्रदेश जितना बड़ा नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : केरल के विषय में क्या होगा ?

श्री एम० ए० आय्यंगार : जब तक कि ऐसा किये बिना काम न चल सके तब तक तेलंगाना को आप आंध्र से अलग क्यों करते हैं ? किसी भी दृष्टि से ऐसा करना उचित नहीं है। मेरे विचार से तेलंगाना की भी हैदराबाद की तरह दशा की जायेगी। तेलंगाना को हम सन्तुलन करने वाले शक्ति दे सकते हैं। यदि इस पर कोई दबाव डाला गया तो उन्हें यह निश्चय रुप से जान लेना चाहि कि हम किसी भी प्रकार से सरकारों को अप ऊपर शासन नहीं करने देंगे। यदि हम हैदराबाद को राजधानी बनाये जाने के लिये उन्हें दे देते हैं तो इसमें हम उनसे कुछ मांगते नहीं हैं। इस कारण इस बात पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जबभी कभी पंडित जी अथवा अन्य देशों के कोई सम्मानित व्यक्ति, जिन्होने कुछ भी त्याग नही किया है, वहां जा हैं तो करोड़ों रुपया उन पर व्यय किया जाता है। यह सब पैसा आखिर उन्हें कहां से प्राप्त होता है ? रजाकारों का आंदोलन हुआ और कुछ लोग तो हैदराबाद को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते थे और इसमें वह असफल हुये। वह संकट अब समाप्त हो गया है फिर भी जहां पहले कम्यूनिस्ट नहीं थे अब वहां छिपे छिपे उनका कार्य हो रहा है। वे भारत संघ में सम्मिलित होना नहीं चाहते हैं। वे चुपके चुपके गांवों में यह प्रचार कर रहे हैं कि हम आपके मित्र हैं और विशाल आंध्र आपके लिये एक मुसीबत खड़ी कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिये क्योंकि यह खतरनाक चीज है। वास्तव में ये लोग शांति की स्थापना नहीं वरन उपद्रव करना चाहते हैं। राज्यों के पुनर्गठन का कार्य आरम्भ हो चुका है। यह पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिये अन्यथा देश में शांति स्थापन नहीं हो सकेगी। पंडित जी० बी० पंत यहां उपस्थित हैं वह प्रधान मंत्री से परामर्श करके बम्बई के बारे में कोई निर्णय करेंगे। तेलंगाना आंध्र का एक अंग है अतः उसे सरकारों और अभ्यर्पित जिलों से मिला दिया जाना चाहिये।

अब मैं कुछ शब्द बेलारी के संबंध में कहना चाहूंगा। इस जिले में तीन तालुके पहले से ही मिला दिये गये हैं। हम छः तालुके चाहते हैं। पिछले १६० वर्षों से यह भाग आंध्र का अंग रहा है। भाषा की दृष्टि से भी यह तीन तालुके हमारे पास आ जाते हैं। मैं राज्यों के भाषावार पुनर्गठन के लिये संघर्ष कर रहा हूं। वास्तव में और बातें भी हैं किन्तु भाषा मेरे लिये प्रमुख आधार है। कोलार में जहां सोने की खाने हैं, आंध्रों की संख्या अधिक है। मैं वहां से निकलने वाला सोना नहीं चाहता हूं किन्तु मैं तो वास्तविकता बता रहा हूं।

यह सच है कि पहले हमने बेलारी के उस भाग की मांग नहीं की थी जिसमें तुंगभद्रा परियोजना पड़ती है। यह हमारी नयी मांग है। जहां तक बेलारी शहर और तालुके का

[श्री० एम० ए० आय्यंगार]

संबन्ध है, आन्ध्र वाले वहुत दिनों से इसकी मांग कर रहे है। होसपेट और सिरगुप्पा कर्नाटक में मिलाये जाने चाहिये। हम चाहते हैं कि सम्बन्धित जिलों में आकाल न पड़े। तुंगभद्रा परियोजना इसी लिये बनाई गई है। वास्तव में इस परियोजना से जितना लाभ आंध्र को होगा कर्नाटक राज्य को उतना नहीं होगा बेलारी में इससे लग भग ७०,००० से लेकर ९०,००० एकड़ और आंध्र के क्षेत्र में लगभग २$\frac{1}{2}$ लाख एकड़ भूमि सींची जा रही है। अत : हम चाहते हैं कि परियोजना के दोनो तरफ का दो मील तक क्षेत्र हमें दे दिया जाये क्योंकि हम सिंचाई करने के साथ ही विद्युत भी उत्पन्न करना चाहते हैं।

यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये एक बोर्ड बनाया है। मैसूर राज्य के इंजीनीयर के पद-त्याग कर देने से हुई रिक्त पर अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। मैसूर को इस परियोजना से अधिन लाभ नहीं होता है किन्तु हमें विद्युत उत्पन्न करने के लिये इस परियोजना से बड़ी सहायता मिलेगी।

वास्तव में तुंगभद्रा परियोजना आरम्भ में मुख्यत : हमारे लिये ही बनाँई गई थी। हमें हर दूसरे वर्ष भिक्षा दान के लिये दूसरों के सन्मुख हाथ पसारना पड़ता है। ऐसी दशा में क्या में अपने कर्नाटक के मित्रों से कुछ अधिक मांग रहा हूं ? मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मुझे हर्ष है कि कर्नाटक का निर्माण होने जा रहा है। मैं तथा आंध्र वाले भी उनके प्रबन्ध को स्वीकार करने को तैयार हैं किन्तु हम चाहते हैं कि वे हमें कुछ पानी दे दें। मैसूर में सभी सुविधायें उपलब्ध हैं अत : तंगभद्रा परियोजना उसके लिये उतना महत्व नहीं रखती हैं जितना कि हमारे लिये रखती है। अत: मेरी इस बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

हम कन्नड़ भाषियो पर अपनी भाषा नहीं लादना चाहते हैं। मैं होसपेट और सिरगुप्पा को लेने पर जोर नहीं देना चाहता। मुझे वास्तव में इस बात पर खेद होता है कि यह संबंध में हमारे हृदयों में सहानुभूति नहीं है। मैं तो मानवता के नाम पर यह मांग अपने मित्रों से स्वयं अपने लिये नहीं वरन संपूर्ण देश के हित में कर रहा हूं और मुझे आशा है कि वे इसे स्वीकार भी करेंगे।

इसके पश्चात् सीमा संबंधी कुछ झगड़े भी हैं। मैं नहीं चाहता कि तामिल ग्रामों को तेलगू क्षेत्र में और तेलगू ग्रामों को तामिल क्षेत्र में रखा जाये। इस झगड़े का निर्णय तो सीमा आयोग करेगा। उड़ीसा का भी कुछ सीमा संबंधी झगड़ा चल रहा है।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि किसी भी भाग में भाषा बदलने का प्रश्न क्यों उठाया जाय। इसका उपाय तो यह है कि यदि किसी क्षेत्र में दूसरी भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक हो तो उन्हें सुविधा दी जानी चाहिये। मैंने अभी भाषा आयोग के साथ देश का दौरा किया तो देखा कि प्रत्येक राज्य में उस राज्य की प्रादेशिक भाषा बच्चों पर लादी जा रही है जिससे कि उस प्रादेशिक भाषा को न बोलने वाले बच्चों को बड़ी कठिनाई होती है। बच्चे अपनी मातृभाषा का अध्ययन करना चाहते हैं जिससे कि वह अपने क्षेत्रों को वापस आ सकें।

मैं केन्द्रीय सरकार से कहना चहूंगा कि वह संविधान में इस प्रकार संशोधन करें जिससे कि भाषा संबंधी अल्पसंख्यक केन्द्रीय सरकार के अधीन रखे जायें अथवा वह राज्य पाल के अधीन रहें।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि सीमा सम्बन्धी झगड़ों का निबटारा करने के लिए सम्पूर्ण देश में सीमा आयोगों की नियुक्ति की जाये। जहां तक बेलारी का संबंध है, मैं अपने कर्नाटक के मित्रों से निवेदन करूंगा

कि वे शांतिपूर्वक इस पर विचार करें। जहां तक विशाल आंध्र का सबंध है, मैं अपने तेलंगाना के मित्रों से सहयोग देने का निवेदन करूंगा जिससे कि हमारा राज्य सुदृढ़ और संगठित होकर भारत के सुदृढ़ राज्यों में से एक राज्य बन सके।

अध्यक्ष महोदय : अब सरदार हुक्मसिंह बोलेंगे।

श्री पुन्नूस (अल्लिपि) : क्या आप वह कार्य क्रम बतायेंग जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य को अवसर दिया जायेगा ताकि हम तैयारी कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : कोई निश्चित कार्य-क्रम बनाना तो मेरे लिये कठिन है, परन्तु मेरा विचार आज पेप्सू, पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र दिल्ली और फिर मानीपुर और आसाम को लेने का है।

मैं प्रत्येक वर्त्तमान राज्य को अवसर देना चाहता हूं, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अध्यक्ष सभी सदस्यों को भाषण देने के लिये कहेगा, परन्तु अध्यक्ष की इच्छा सभी दृष्टिकोणों को अवसर देने की है। इसलिये सदस्यों को भी उदारता दिखानी चाहिये ताकि अन्य दृष्टिकोण भी सभा के समझ आ सकें। मैं बम्बई के अपने मित्रों को आज अवसर नहीं दे सकता हूं क्योंकि इस पर पहले ही बहुत समय लग चुका है। अतः मैं उन राज्यों को समय देना चाहता हूं जिनके संबंध में अभी तक चर्चा नहीं हुई है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक राज्य के सदस्य को बोलने का अवसर दिया जायेगा अथवा एक से अधिक सदस्यों को अवसर दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार यह था कि एक प्रतिनिधि वक्ता समस्त मामले को प्रस्तुत करेगा और जो कि विभिन्न दृष्टिकोण होंगे वह अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे। इससे वही बातें बार बार नहीं दुहराई जायेंगी। इसलिये मैं यह नहीं बता सकता कि एक सदस्य को अवसर दिया जायेगा अथवा दो को अवसर मिलेगा, यह तो सदस्यों द्वारा दिये गये समय पर निर्भर करेगा।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : मेरा सुझाव है कि भाषणों के लिये निश्चित समय में कमी कर दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार सभी दृष्टिकोणों को अवसर देने का है इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिलना ही चाहिये।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): मैं जानता हूं कि मुझे अत्यन्त ही जाजुक कर्त्तव्य पूरा करना है, परन्तु मैं यह भी अनुभव करता हूं कि मेरा पक्ष भी बहुत मजबूत है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मुझे यह भी ज्ञात है कि कुछ क्षेत्रों में मेरे पक्ष के विरूद्ध बहुत गलतफहमी और प्रतिकूल भावना भी फैली हुई है। मैं इन कठिनाइयों पर काबू पाने का प्रयास करूंगा। सभा से मैं केवल यही अनुरोध करूंगा कि जो कुछ मुझको कहना है उसको धैर्यपूर्वक सुने।

अधिकृत रूप से यह कहा गया है कि एक राज्य में एक से अधिक भाषा नहीं होनी चाहिये, यद्यपि एक भाषा बोलने वाला एक से अधिक राज्य हो सकता है। मैं भी इस राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष इसी आधार पर गया था और मैंने आयोग से कहा था कि मेरी भाषा भाषी भी एक ऐसा राज्य होना चाहिये जिसमें वह फल फूल और विकसित हो सके। परन्तु इसका परिणाम क्या हुआ ? जब कि अन्य लोगों को अपनी भाषाओं के लिये राज्य प्राप्त हो गये हैं, मेरी तो भाषा भी नहीं रही है। इसलिये मेरा मामला सभा के समक्ष रखे गये अन्य मामलों से बिल्कुल भिन्न है।

मैंने पहले ही निवेदन किया था कि एक प्रतिकूल भावना फैली हुई है और उसका प्रभाव इस आयोग की शिफारिशों पर भी

[सरदार हुक्म सिंह]

पड़ा है। हम लोगों से कहा गया है कि हमारा दृष्टिकोण विभेदात्मक है, हमारे ऊपर 'मुस्लिम लीगी' मनोवृत्ति रखने का आरोप लगाया गया है और हमसे कहा गया है कि हम अपने देश का और भी विभाजन करवाना चाहते हैं। यहां तक कि इस प्रतिवेदन तक में कहा गया है कि अकाली दल का स्मृति-पत्र भी मुख्य तया उन्हीं बातों पर आधारित है, जो सामान्यतया भाषावार प्रांतों के पक्ष में कही जातीं हैं। मैं कहता हूं कि यह बात झूठी है। मेरे पास वह स्मृति-पत्र है और मैं उसे सभा-पटल पर रखने के लिये तैयार हूं। वह पूरी तरह उन्हीं बातों पर आधारित है, जिन पर अन्य राज्यों के स्मृति-पत्र आधारित हैं। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचा सके।

मेरी शिकायत यह है कि हमारे मामले पर गुणावगुण के आधार पर कभी भी विचार नहीं किया गया है। हमारे नेताओं के और उसके फलस्वरुप हमारे देशवासियों के भी मन में निरन्तर यह संशय बना रहा है कि संभवतः हम अपने देश के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, हमारे मन में कुछ दुराभिसंधियां हैं और हम किसी विदेशी शक्ति से मिल जायेंगे, इत्यादि मैं दृढ़ से दृढ़ शब्दों में यह घोषणा करना चाहता हूं कि यह सब एक दुष्टता पूर्ण प्रचार है और यह इस लिये किया जा रहा है जिससे के ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जाये कि जिसमें हमारे मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार न किया जा सके और गुणावगुणों के आधार पर विचार करने से हमारे देश वासियों के मन में हमारे प्रति जो सहानुभूति जाग्रति होती, वह हमे न प्राप्त हो सके और उस समय जब कि आयोग इस प्रश्न पर विचार कर रहा था, ऐसा हुआ भी।

मेरी शिकायत यह है कि यह एक पुरानी विरासत है। जो पहला आयोग नियुक्त किया गया था वह दर-आयोग था। हमारा मामला उसके सुपुर्द नहीं किया गया था। परन्तु भाषा-वार राज्यों के निर्माण की मांग को ठुकराते हुये उस आयोग ने अनावश्यक रुप से हमारे मांग का उल्लेख किया था उसने यह कहा था, "यदि हम भाषावार राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लें तो सिख भी एक राज्य की मांग कर रहे हैं और वह मांग और भी प्रवल हो जा सकती है।" यह भी एक कारण था जिसके आधार पर उस आयोग ने अन्य राज्यों की मांग भी ठुकरा दी थी।

इसके उपरान्त यह मामला जवाहरलाल, वल्लभ भाई पट्टाभि समिति के सामने आया। उसने समिति हमारे पक्ष को आन्यता ही प्रदान नहीं की, क्योंकि वह केवलउ उन्हीं मामलों को ले रही थी जिन पर दर कमीशन चर्चा और विचार कर चुका था। परन्तु मुझे यह पता नहीं कि उस समिति ने भी निष्कर्ष में इस आशय का वाक्य क्यों जोड़ दिया कि "हमारा यह निश्चित मत है कि चाहे इस पक्ष के गुणावगुण कुछ भी क्यों नहीं, परन्तु इस समय उत्तरी भारत के प्रांतों की सीमाओं में कोई भी परिवर्तन या फेर-बदल नहीं किया जाना चाहिये।

इसका आवश्यक अर्थ यह नहीं है कि प्रांतीय सीमाओं में फेर-बदल की मांग अन्याय पूर्ण अथवा निराधार है। उस समिति को भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि इस का अवश्य ही कुछ आधार है, परन्तु इसे उस समय नहीं उठाया जाना चाहिये। उन गणों पर अभी विचार नही किया जाना चाहिये। मुझे तो यह भी कहना चाहिये कि इस प्रतिवेदन पर हुई चर्चा में भी हमारा यही भाग्य रहा है। मै यह घोषणा करता हूं कि यह सब संशय निराधार है। सिख आदि से लेकर अन्त तक भारतीय ही हैं। उन्होंने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसके कारण किसी के मन में कोई संदेह हो सके। हाल ही में अमृतसर में सिखों के पवित्रतम अस्थान श्री दरबार साहब के 'अकाल तख्त' के नीचे खड़े होकर जब

मास्टर तारासिंह ने हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया था तब उन्होंने मुक्तकण्ठ से यह घोषणा की थी कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना हृदय चीर कर अपने देशवासियों को यह दिखा सकूं कि मैं आदि से लेकर अन्त तक भारतीय हूं ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव) : इस पर सन्देह ही किसने किया है ?

सरदार हुक्म सिंह: यही तो मेरी शिकायत है । यहां तक कि इस आयोग तक को यही संदेह है, दर आयोग तक ने यह संदेह किया था; और जवाहरलाल-वल्लभ भाई पट्टाभि समिति ने भी यही संदेह किया था । मैं इसी बात पर तो आ रहा हूं ।

मास्टर तारा सिंह ने दरबार साहब में यही बात कही थी कि सिख आदि से लेकर अन्त तक भारतीय हैं और उनका किसी भी विदेशी शक्ति के साथ गठजोड़ नहीं ।

मैं ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था कि हम पर ये दोष लगाये जा रहे हैं, और प्रार्थना की कि इस की जांच की जाये । यदि इस बारे में तनिक भी शंका होती है कि हम ने इस देश को धोका दिया है तो हम तोपों से उड़ाये जाने के योग्य हैं । परन्तु यदि यह बातें सच न हो कर केवल प्रोपगंडा है तो इसका स्पष्टीकरण करना इस सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि यदि यह भावना देश में फैल जाती है तो सिखों के लिए इस देश में रहना असम्भव हो जायेगा ।

मैं ने अभी बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग को भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि हमारा मामला भी उन सिद्धान्तों पर आधारित हैं जो भाषावार राज्य की मांग के लिए रखे जाते हैं । परन्तु, हम देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने हमारे मामले में केवल इतना ही नहीं किया कि स्वय उन सिद्धान्तों को भूल गये अपितु हमें मन्त्रणा दी है कि इस के बजाये कि एक छोटे राज्य में सिखों की अनश्चित बहुसंख्या हो, यह अच्छा है कि सिख बड़े राज्य में एक गण्य अल्प सख्या में हों । मैं महसूस करता हूं कि जब इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपना निर्णय दिया उस समय उन पर इस शंका का कि यदि सिखों की मांग पूरी कर दी गई तो वह एक अलग राज्य बना लेंगे, और उस शरारत भरे प्रोपेगंडा का प्रभाव था । जिन लोगों की अभिलाषायें पूर्ण हो गई हैं, वे अब हमें परामर्श देते हैं कि हमें पहिले राष्ट्र की एकता तथा राष्ट्र के संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए । कदाचित उनके कहने का अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जिन लोगों की मांगें अभी पूरी नहीं हैं और जिनकी वे अब भी मांग कर रहे हैं, वे देशद्रोही हैं और भारत की एकता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं । मैं चाहता हू कि वे जैसे भी हो सके यह प्रमाणित करें कि जो लोग भारत के भाषावार आधार पर विभाजन की मांग करते हैं वे कम देशभक्त हैं या उन्हें भारत की एकता का संरक्षण का कम ख्याल है । भारत का सरक्षण और एकता हमें कम से कम उतनी ही प्यारी है जितनी कि उन लोगों को है जिनके मस्तिष्क में ऐसे विचार हैं । हमारे महान आचार्य जी ने कहा था कि हमारे नेता, हमारे संत सारे देश में हैं । क्या कोई भी प्रदेश यह कह सकता है कि वे केवल उसके हैं । हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है । परन्तु हमारे गृह मंत्री ने भी हमें यह परामर्श दिया था कि हमें इस शान्ति पूर्वक तथा ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिये और ऐसा करने में समूचे रूप में देश का ध्यान रखना चाहिए । क्या मैं आचार्य जी और माननीय गृह मंत्री को, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, यह स्मरण करा दूं कि उन्होंने यह तो कहा था कि वह राम व कृष्ण की भूमि को दो भागों में न बटने देंगे ? आचार्य कृपालानी को कम से कम इस बात पर विचार करना चाहिए और मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह हमारी भी भावनाओं को महसूस करें और उन्हें समझें । आचार्य कृपालानी ने कहा था कि संस्कृति एक है । यह भी कहा जाता है कि सिख जैसी

[सरदार हुक्म सिंह]

बहादुर जाति के लिए बड़े एकक में रहना अच्छा होगा । कदाचित आयोग के सदस्यों के दिमाग में यह बात थी कि यदि पंजाबी सूबा बना दिया जाये, तो सिखों के लिए अन्य सारे प्रदेश बन्द कर दिये जायें । भारतीय होते हुए, क्या सिखों को अन्य प्रदेशों में वे अवसर प्राप्त होने चाहिए जो किसी भी अन्य व्यक्ति को होते हैं ? मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस मांग के पीछे काम करने वाली भावनाओं को समझें । यदि देश और हमारे नेता यह समझते हैं कि हम देशद्रोही हैं, तो स्पष्ट कहें कि हम पर विश्वास नहीं किया जा सकता । पहिले अपने आप को सन्तुष्ट करिये कि हम भी अन्य व्यक्तियों की भांति सच्चे देशभक्त तथा वफादार हैं । जब यह सन्तोष हो जाये, तब क्या हमें उन विशेषाधिकारों और सुविधाओं का अधिकार नहीं है जो अन्य जनों को प्राप्त हैं । इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जाता है, कि यदि हमें पंजाबी सूबा मिल जाता है, तो सभी अन्य प्रदेशों से सिखों को यहां आना होगा । यह बात केवल गैर-जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा ही नहीं कही गई हैं अपितु उत्तरदायी व्यक्तियों ने भी ऐसा कहा है । यह कौन सा विचार कार्य कर रहा है ? यही वही आशंका है जिसक वर्णन मैं पहिले कर चुका हूं । इस आशंका के दूर होने पर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे भी वही सारे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो अन्य लोगों को प्राप्त हैं ।

यहां हम बहुत ही सुन्दर शब्दों में यह सुनते हैं कि सिखों और हिन्दुओं में कोई अन्तर नहीं है । हम सब एक हैं परन्तु ये अकाली लोग यह वैमनस्य उत्पन्न कर रहे हैं । मेरा भी यह मत है । हम केवल यह मांग करते रहे हैं कि हमें भी हिन्दू समझा जाये ।

हमारा धर्म अलग है परन्तु हम ने सर्वदा यही कहा कि हम हिन्दू हैं । हम को बताया जाता है कि न्यायालयों आदि में सिखों को हिन्दू माना जाता है हमें इस की प्रसन्नता है; परन्तु प्रश्न यह है कि फिर अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा १९५० में जारी किये गये आदेश में हमें हिन्दुओं से अलग क्यों समझा गया ?

इस के पश्चात् हम ने कहा कि हमारी भाषा एक है । परन्तु एक समाचार पत्र के समाचार के अनुसार महासभा के एक नेता ने यह आपत्ति उठाई कि उसके बच्चों को गुरुमुखी लिपि न पढ़ाई जाये क्योंकि इस के द्वारा उन पर सिख सभ्यता का असर पड़ता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि हम को हिन्दू अपने से अलग रखना चाहते हैं ।

हम कहते हैं कि हम हिन्दू हैं हमारी भाषा तथा सभ्यता एक है और हमें उत्तर नकारात्मक मिलता है तब हम अलग रहने वाले किस प्रकार हुये । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

भाषा की समस्या हमारे समक्ष बहुत पुरानी है । १९३१ में जनगणना के समय कुछ हिन्दुओं ने पंजाबी को अपनी भाषा इसलिये नहीं माना था क्योंकि प्रतिद्वन्दिता उर्दू तथा हिन्दी में थी और प्रतिवेदन से प्रकट है कि हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ने अपनी मातृभाषा पंजाबी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था केवल सिख ही मातृभाषा के पक्ष में रहे थे । १९४१ की जनगणना में भाषा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया । १९५१ की जनगणना में भी भाषा को उतना महत्व नहीं दिया गया । आयोग का कथन है कि पंजाब में भाषा की कोई समस्या ही नहीं है । केवल साम्प्रदायिक समस्या है और इसीलिये हिन्दू पंजाबी को अपनी मातृभाषा नहीं मानते हैं । तब मेरा विचार है कि या तो पंजाब के हिन्दू पंजाब के लिये विदेशी हैं अथवा सिख कहीं बाहर से पंजाब में आये हैं ।

गत चुनाव में, पंजाब सरकार के निर्वाचन आयुक्त ने किसी योजना के आधार पर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की सिफारिश की । मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों का समर्थन किया । परन्तु जालन्धर के एक सदस्य को अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं जंचा और वह संसद सदस्यों की सम्मति के लिये उनके पास घूमे । समाचारपत्रों में छापा गया कि यदि यह एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाया जायेगा तो सिख राज्य कायम हो जायेगा और पंजाब पाकिस्तान में मिल जायेगा । अन्त में इस निर्वाचन क्षेत्र का स्वरूप बदल दिया गया ।

मेरा यही निवेदन है कि हम सिख अपनी भाषा का किसी भी प्रकार तिरस्कार नहीं होने देंगे तथा हमें पूर्ण आशा है कि हमारे हिन्दू भाई भी समय पर अपनी ग़लती महसूस करेंगे कि हम ने पंजाबी को अपनी भाषा क्यों नहीं माना । आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि हिन्दू पंजाबी को अपनी भाषा नहीं समझते इसीलिये पंजाबी सूबा नहीं बनना चाहिये । और उन्होंने यह भी लिखा कि इस भाषा के लिये देवनागरी लिपि ही उपयुक्त लिपि है ।

मैं हिन्दी का विरोधी नहीं हूं परन्तु यह भी नहीं चाहता कि पंजाबी को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जाये । मेरा मत है कि पेप्सू तथा पंजाब के पंजाबी भाषा भाषी प्रदेशों को मिला कर यदि एक राज्य बना दिया जाये तो यह निश्चित रूप से सभी प्रकार से उन्नतिशील राज्य बन जायेगा तथा उसमें आर्थिक तथा वित्तीय संसाधनों की कठिनाइयां नहीं आयेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : जनसंख्या क्या है ?

सरदार हुक्मसिंह : दोनों की मिलाकर ९३ लाख है तथा सिखों का अनुपात ५६ प्रतिशत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या, जो सिख नहीं है वह भी इस में आना चाहते हैं ?

सरदार हुक्म सिंह : जी हां । यदि पंजाब और पैप्सू के ये क्षेत्र मिला दिये जायें तो सिख ५६ प्रतिशत हो जायेंगे । यदि पंजाब और पेप्सू के पंजाबी भाषी क्षेत्र मिला दिये जायें तो हम बहुसंख्या में हो जायेंगे । हमें इस बात की पहले ही आशंका थी कि हमें बहुसंख्या में रहने नहीं दिया जायेगा, इसीलिये हम ने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है उस में पंजाबी भाषी इन क्षेत्रों के साथ कई द्विभाषी क्षेत्र को भी मिला दिया है और उस से हमारी जन संख्या ४७.५ प्रतिशत रह जाती है । यदि ऐसा राज्य बना दिया जाये तो उस की राज्य भाषा पंजाबी बनाने में कोई कठिनाई न आयेगी, और सारा विवाद समाप्त हो जायेगा । परन्तु आप तो यह भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं । यदि मैं पंजाबी सूबा मांगता हूं तो इसलिये नहीं देते कि उस से सिखों की बहुसंख्या हो जायेगी । और यदि मैं कुछ एक द्विभाषी क्षेत्रों को भी मिला कर अपने सिखों को अल्पसंख्या में भी रखने की बात कहता हूं तो आप को यह आपत्ति है कि ये क्षेत्र पंजाबी भाषी नहीं हैं । तो फिर हम जायें कहां ? इस समस्या का हल क्या है ? हम ४७ प्रतिशत की अल्पसंख्या में भी रहने को तैयार हैं, परन्तु हम पर यह लांछन लगाया जा रहा है कि सिख द्विभाषी क्षेत्रों से हिन्दुओं को बाहर निकाल देंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दू इतने डरते क्यों हैं ? वे ७० प्रतिशत संख्या में रहने में खुश हैं और ५५ प्रतिशत संख्या में रहते डरते हैं ?

इस प्रकार से बड़े विचित्र प्रकार के तर्क प्रस्तुत किये जा रहे हैं । हाल ही में एक और नया तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि हिन्दू सिखों के साथ इसलिये नहीं रहना चाहते कि सिख अपराधी वृत्ति के लोग हैं । इस प्रकार से पंजाब में तो एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति काम कर रही है । हिन्दू सिखों की अपनी अपेक्षा हीन समझते हैं । मैं तो यही चाहता हूं कि यह भेद भाव शीघ्रातिशीघ्र दूर हो ।

[सरदार हुक्म सिंह]

आयोग ने कण्डिका ९३ में जिन चार सिद्धान्तों को निर्धारित किया है; परन्तु प्रस्तुत समस्या सम्बन्धी अध्याय में उस ने चौथे सिद्धान्त का कोई उल्लेख नहीं किया है। मैं इस स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता हूं। इस समय हमारी संख्या १२६ लाख है। ७६ लाख तो पंजाबी भाषी क्षेत्र में हैं और ५० लाख हिन्दी भाषी क्षेत्र में। इन ७६ लाख में से ३८ लाख हिन्दु हैं और ३८ लाख सिख हैं। बहुत से हिन्दु भी पंजाबी सूबे के पक्ष में हैं। इस सम्बन्ध में हिन्दुओं के बहुत से प्रतिनिधि-मण्डल आयोग से मिले थे। केवल महापंजाब समिति ही इसका विरोध कर रही है। वह समिति भी सभी हिन्दूओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अतः कांगड़ा को छोड़ कर शेष पंजाबी भाषी क्षेत्रों का एक पृथक राज्य बना देने में कोई कठिनाई न होगी। उस राज्य में हिन्दुओं और सिखों की संख्या बराबर होगी।

हरियाना प्रान्त के ५० लाख व्यक्ति अपने लिये एक पृथक् राज्य की मांग कर रहे हैं, अतः वे भी आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। पंजाब पेप्सू और हिमाचल प्रदेश की विधान सभाओं के जिन १३८ सदस्यों ने राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी वाद विवाद में भाग लिया उनमें से केवल ३० सदस्यों ने ही आयोग के प्रतिवेदन का समर्थन किया है और ९१ सदस्यों ने इसका विरोध किया है और तीन भाषावार प्रान्तों, अर्थात् पंजाबी भाषा-भाषी राज्य, हरयाना राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के १८ सदस्यों में से ३४ सदस्यों ने आयोग के प्रतिवेदन का विरोध किया है। पंजाब में पंजाबी सूबे का पूरा समर्थन किया गया है। ८८ लाख व्यक्ति इसके पक्ष में हैं और केवल ३८ लाख व्यक्ति विरोध में। अतः यह कहना कदाचित गलत है कि वहाँ पर बहु संख्या पंजाबी सूबे के विरुद्ध है।

इसी प्रकार से पेप्सू के पंजाबी भाषा-भाषी क्षेत्र में १७ लाख सिख और १२ लाख हिन्दु हैं। उन्हें पंजाबी पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है। वहां पर भाषा की कोई समस्या है ही नहीं। इस प्रकार से प्रस्थापित पंजाबी राज्य में ५५ लाख सिख होंगे और ५५ लाख हिन्दु। मैं पूछना चाहता हूं कि आयोग ने हमारी इस प्रस्थापना को कैसे ठुकरा दिया है जब कि दो तिहाई लोग इस पंजाबी सूबे के पक्ष में हैं। इसीलिये आयोग के प्रतिवेदन का इतना विरोध हुआ है। कुल जनसंख्या १,७६,००,००० में से ५५ लाख सिख, ५० लाख हरियाना वासी और १० लाख हिमाचल प्रदेशवासी सभी इस प्रतिवेदन के विरुद्ध हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाबी सूबे के बनाये जाने के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। क्या इस सिद्धान्त का महत्व इसलिए नहीं रहा जाता, क्योंकि अब अन्य सुझाव दिये जा रहे हैं? यह सिद्धांत यहां क्यों नहीं लागू किया जाता? कहा गया है कि अकाली दल ने अपने ज्ञापन में लिखा था कि ये घाटे वाले क्षेत्र हैं। जब देश का विभाजन हुआ था, तो हम घाटे वाले क्षेत्र में थे। किन्तु अब पंजाबियों ने इसे आधिक्य वाला राज्य बना दिया है। अब इस के साथ अन्य क्षेत्र मिलाये जा रहे हैं, ताकि केन्द्र का भार पंजाब पर डाला जाये और पंजाब को घाटे का सामना करना पड़े। क्या ये लोग पशु हैं, जिन्हें प्रशासन की इच्छानुसार किसी भी स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाये? एक और कारण दिया जाता है। जलागम क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, अतः इसे भी उसी राज्य में का अंग होना चाहिए। क्या केन्द्र का इरादा यह है कि उन क्षेत्रों को पानी देना बन्द कर दिया जाये, क्योंकि हैडवर्क्स वहां हैं? भाखरा बांध वहीं है और इस के पानी से राजस्थान और अन्य क्षेत्रों की भूमि में भी सिंचाई की जायेगी। क्या इस कारण इन सब क्षेत्रों को एक ही राज्य में रखा जा सकता है?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । आयोग के प्रधान ने अपने नोट में कहा है कि हिमाचल प्रदेश को अलग रखा जाये । अन्य दो सदस्यों ने संविलयन की सिफारिश की है । किन्तु इन में से एक सदस्य न उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की सिफारिश की है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसा कि आयोग के प्रधान ने हिमाचल प्रदेश को अलग रखने की सिफारिश की थी । इस प्रकार वास्तव में केवल एक सदस्य हिमाचल प्रदेश का विलय चाहता है । आयोग के प्रधान ने कहा है कि वह बिहार के मामले में कोई राय नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष वहां बिताए हैं । किन्तु यह सिद्धान्त उन्होंने उत्तर प्रदेश के मामले में लागू क्यों नहीं किया, विशेषकर, जब कि एक और सदस्य ने इसे विभाजित करने की सिफारिश की है । मैं यह नहीं कहता कि इसे अवश्य विभाजित किया जाये । मुझे इसके बढ़ाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु आयोग के ये प्रस्ताव कोई कैसे मान सकता है ?

आयोग ने ऐसे खंड आपस में मिला दिये हैं, जिनमें कोई चीज भी साझी नहीं है । इसलिए सब कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं । जब तक वह सूत्र जो कि अन्य राज्यों में लागू किया गया है, इस खंड में लागू न किया जाये, शान्ति और संतोष नहीं हो सकता । लोग मित्रता से ही नहीं कर सकगे । पंजाबी की क्या दशा होगी ? कहा गया है कि इसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी । किन्तु हिन्दुओं से कहा गया है कि उन की एक भिन्न भाषा है । जब यह राज्य बनाया जायेगा, तो यह एक पंजाबी राज्य नहीं होगा । जब ११७ लाख पंजाबी के विरुद्ध हों, तो ५५ लाख इसे नहीं चला सकेंगे और इस हालत में यह समझना गलत है कि पंजाबी भाषा फले फूलेगी । अन्त में यह समाप्त हो जायेगी ।

एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात लीजिये । इस समय दो खंड हैं, जो बिल्कुल अलग हैं । आगे क्या होगा ? प्रत्येक ग्राम और घर द्विभाषी बन जायेगा और यह भावना सीमान्त तक फैल जायेगी जहां इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है । क्या दो सस्कृतियों रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है ? आप दो भाषाओं, दो सस्कृतियों को जारी रहने देंगे, जिस से हिन्दू और सिख स्थायी रूप से अलग हो जायेंगे । वे लोग जो यह कहते हैं कि हिन्दुओं और सिखों में कोई भेद नहीं है एक ऐसा सूत्र लागू कर रहे हैं, जिस से यह भेद पैदा हो रहा है । मैं कहता हूं कि यह देश के हित में नहीं होगा ।

श्री अजित सिंह (कपूरथला--भटिंडा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मझे सिर्फ तो तीन पाइट (बातें) आपके सामने रखने हैं । बहुत कुछ तो सरदार हुक्म सिंह जी ने लैंग्वेज (भाषा) के मुताल्लिक कह दिया है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम न सिर्फ हिन्दुस्तान में ही लिंग्विस्टिक स्टेट्स (भाषानुसार राज्य) बनाने के लिये उतावले हो रहे हैं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स (भाषानुसार राज्य) बनी है । रूस में भी और यू० एस० ए० में भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी हैं । हमारे यहां बेशक बहुत सी जबानें बोली जाती हैं । हमारे देश में तकरीबन २०० से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं । लेकिन हमारे कांस्टीट्यूशन (संविधान) में सिर्फ १४ जबानें मानी गयी हैं । जो इन जबानों के आधार पर सूबे बनाये गये हैं उसके लिए मैं कमीशन (आयोग) को धन्यवाद देता हू । मगर जब मैं देखता हूं कि हमारे पंजाब को जबान के आधार पर नहीं बांटा गया है, तो मुझे अफसोस होता है और दुःख होता है, और इस मामले में जो मेरे शक थे, और जिनके बारे में मैं ने दो तीन साल पहले लिखा भी था, वे आज पूरे हो रहे हैं । मैं ने आज से दो साल पहले डा० काटजू साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, जिस में मैं ने अपने ये शक जाहिर किये थे । मैंने उस में लिखा था कि मुझे शक है कि जब पंजाब का सवाल बोली के आधार पर लिया जायेगा तो उसको

[श्री अजित सिंह]

इगनोर (उपेक्षा) कर दिया जायेगा । तो डाक्टर साहब ने मुझे यह जवाब दिया था कि "मेरे विचार में तो इस विशेष मामले के लिए भेदभाव का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता" । यह डाक्टर साहब का दिसम्बर ७, १९५३ का पत्र है । उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन (भेदभाव) नहीं होगा । और जिस तरह जबान के लिहाज़ से दूसरे सूबे बनेंगे उसी तरह आपके साथ भी सलूक किया जायेगा । लेकिन आज वह मेरे शक मेरे सामने आ रहे हैं और हम देखते हैं कि कमीशन (आयोग) ने अपनी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में हम को बिल्कुल इगनोर (उपेक्षित) कर दिया है ।

अगर आप इजाज़त दें तो जबान के बारे में मैं कुछ बड़े आदमियों की रायें आपके सामने पेश करूं ।

शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली ने १० अगस्त १९४८ को, शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम के विषय पर यह संकल्प पारित किया था कि शिक्षा के प्रारम्भिककाल में सरकार ने मातृभाषा को माध्यम स्वीकार किया है ।

इसी तरह से नेहरू कमेटी की रपोर्ट में लिखा है :

> इस समिति ने पुनर्विभाजन के सिद्धान्तों की जांच की और यह निश्चय किया कि यदि कोई प्रान्त अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा का प्रसार और दैनिक कार्य करना चाहता है तो वह प्रान्त अवश्य भाषानुसार क्षेत्र होना चाहिये । यदि यह बहुभाषा-भाषी क्षेत्र हुआ तो निरन्तर कठिनाई पैदा होती रहेगी । नियमतः भाषा एक विशेष संस्कृति, परम्परा और साहित्यके अनुकूल होती है । भाषानुसार क्षेत्र में ये सब बातें प्रांतों की सामान्य प्रगति में सहायता देंगी ।

इसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के सन् ४५ और ४६ के मेनीफेस्टों में यह लिखा हुआ है :

> उन्होंने इस विस्तृत उप महाद्वीप के लोगों को विश्वास दिलाया कि भारत के भाषा अनुसार क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा की जायेगी और उन्हें विकास के हेतु स्वतन्त्रता दी जायेगी ।

> इसी तरह हमारे पंजाब के लीडर डा० गोपी चन्द भार्गव ने एक दफ़ा कहा था: डा० गोपीचन्द भार्गव ने १ जून, १९४८ को जालन्धर में कहा कि पूर्वी पंजाब के लोगों की मातृभाषा निस्संदेह पंजाबी है । पूर्वी पंजाब सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों में हिन्दी और पंजाबी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने की घोषणा ने सब पंजाबियों को क्षुब्ध कर दिया है ।

यह हैं जवाब उन बड़े आदमियों की रिपोर्टस का जिन्होंने कि पंजाबी बोली के हक़ में कहा है कि और आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कमिशन के मेम्बर साहबान ने बड़ी मेहरबानी की, बहुत तक़लीफ़ उठाई इस काम को करने के लिए मगर हमारी पंजाबी बोली को इग्नोर कर दिया गया है । आज मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि हर एक बोली की अपनी अपनी लिपि है । कोई भी भाषा हो उसकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट (लिपि) है । पंजाब में जैसे पंजाबी बोली है उसकी अपनी लिपि गुरुमुखी भी है और जैसे अगर एक दुबले पतले आदमी को किसी बड़े मोटे आदमी का कोट पहना दिया जाय तो वह कभी फिट नहीं आता, लूज़ दीखता है और वह जोकरसा मालूम पड़ता है और मेरा कहना है कि जो कोट फिट है उस कोट को ही उसे क्यों न पहनाया जाय, उसी तरह मेरी अर्ज़ है कि पंजाबी की जो अपनी लिपि गुरुमुखी है

उसे ही क्यों न अपनाया जाये । श्री टेक चन्द ने ठीक ही कहा है कि पंजाब में झगड़ा सिर्फ़ लिपि का है बोली का नहीं है । उन्होंने यह सही फरमाया है और आप से मेरी दरख्वास्त है कि आप इस लिपि का जो झगड़ा है इस को भी निबटाने की कोशिश करें नहीं तो यह मालूम होता है कि वह झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होगा । अभी जैसा सरदार हुक्म सिंह ने वाज़ै तौर पर बतलाया है कि न यह हिन्दुओं और सिक्खों का झगड़ा है और न ही यह सिक्ख स्टेट का झगड़ा है बल्कि झगड़ा बोली का है स्क्रिप्ट का है । अगर बोली के आधार पर एक सिक्ख स्टेट बना भी ली जाती है और उसमें सिक्खों की ५५, ५६ फीसदी आबादी हो भी जाये तो भी कोई डर की बात नहीं है क्योंकि उस अबादी में से करीब एक चौथाई अबादी शेड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति के) सिक्खों की है और इस तरह हम देखेंगे कि उनकी आबादी कभी भी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं वे कांग्रेस के साथ है और वे कांग्रेस का ही साथ देते हैं और इसलिए मैं अर्ज़ करूंगा कि उसमें कोई मैजारिटी या माइनारिटी का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए । बात तो सिर्फ उसूल की है और उसूल को मानना चाहिए ।

अभी मैं अर्ज़ करूंगा कि जो नया पंजाब बने उसमें पंजाबी डिपार्टमेंट (विभाग) जैसा हमारे पेप्सू में पंजाबी डिपार्टमट (विभाग) काम कर रहा है पंजाबो ज़बान को ज़िन्दा रखने के लिए, हम चाहते हैं कि वही पंजाबी डिपार्टमेंट नये पंजाब में भी बनाया जाये और उसके वही फंक्शंस (कृत्य) हों जैसे कि वह पेप्सू में फैक्शन कर रहा है ।

अब रहा माइनारिटी (अल्प संख्यक) सेफ़गार्ड्स (रक्षा) का सवाल । परसों मेरे दोस्त बहादुर सिंह साहब ने उस पर बड़ा ज़ोर दिया और कहा कि जो लोग बड़े स्टरडी होते हैं और जो बड़ी माइनारिटी (अल्प-संख्या) में हैं उनको इग्नोर किया जाता है और उनको सर्विसेज़ में तरजीह नहीं दी जाती और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता और उसके जवाब में मेरे भाई श्री टेक चन्द ने बड़े सुन्दर तरीक़े से परसेंटेज (प्रतिशतता) निकाल कर साबित करने की कोशिश की कि उनका यह इलज़ाम दुरुस्त नहीं है । लेकिन जनाबवाला, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो लोग वाक़ई माइनारिटी में हैं वे तो रोते नहीं हैं, जिनके साथ असल में डिस्क्रिमिनेशन (भेद भाव) किया जाता है और जो आजकल कुचले, मारे और दबाये जा रहे हैं, वे तो रोते नहीं हैं क्योंकि उनको रोना आता ही नहीं है और अगर रोयें भी तो कोई उनकी सुनता नहीं । उन लोगों का दुःख तो आपके सामने कोई पेश नहीं कर रहा है । उनको देखिये कि वे कितनी माइनारिटी में हैं और सर्विसेज़ में उनकी क्या हालत है ? जब उन के बारे में सवाल किया जाता है तो आंकड़े दे कर बतला दिया जाता है कि इतने ग्रेड थर्ड और फोर्थ में भरती किये गये और इतने चपड़ासी या पेटी क्लर्क्स (छोटे कर्मचारी) के तौर पर लिये गये लेकिन जो हमारे आला तालीम पाये हुए भाई हैं ग्रेजुएट और एम० ए० वगैरह उनको अच्छी पोस्ट्स नहीं मिलती हैं और वे इधर से उधर बेकार सूटेबुल पोस्ट्स (उपयुक्त नौकरी) की तलाश में मारे फिरते हैं और इसलिए मेरी गुज़ारिश है कि जो असल में डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो रहे हैं उनकी तरफ़ तवज्जह दी जाय और उनकी हालत सुधारने की कोशिश की जाय न कि किसी एक सेक्शन से डर कर उनकी तरफ ज्यादा तवज्जह दी जाय । मेरा मतलब किसी सेक्शन को पिच करने से नहीं है । मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट लोगों की तरफ़ अच्छी तरह से ध्यान दिया जाय और जैसा कि अभी सरदार हुक्म सिंह ने सन् ५० के प्रेसीडेंट (राष्ट्रपति) के आर्डर (आदेश) का जिक्र किया है, वह वाक़ई डिफैक्टिव है और उस में शेड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति के) सिक्खों के साथ वैसा सलूक नहीं हो रहा है जैसा हिन्दू शेड्यूल्ड कास्ट वाले भाइयों के साथ हो रहा है । और ज़रूरत इस बात की है

[श्री अजित सिंह]

कि प्रेसीडेंट का जो शेड्यूल्ड कास्ट सम्बन्धी आर्डर है उसको अमेंड किया जाय और उसमें इक्वैल ट्रीटमेंट (समान व्यवहार) होना चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट हिन्दूज और शेड्यूल्ड कास्ट सिक्ख्स के साथ एक सा बर्ताव किया जाय। अगर एक शेड्यूल्ड कास्ट का सिक्ख फीरोजपुर में नौकरी कर रहा है तो उसको वही बेनिफिट्स (लाभ) दिये जाने चाहियें जो कि एक हिन्दू के शेड्यूल्ड कास्ट भाई को दस्तयाब हैं। सिक्खों में शेड्यूल्ड कास्ट की चार जातियां हैं। मज़हबी, रामदासिये, कबीरपंथी और सिकलीगर। अगर वह आदमी पंजाब से निकाल पर पूना में भेज दिया जाता है उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है और मैं अर्ज़ करूंगा कि पंजाब में जो उस को बेनिफिट्स (लाभ) मिल रहे थे और उस के बच्चों को वजीफ़ा वग़ैरह मिल रहा था और उसके बच्चों को नौकरी मिल रही थी, पूना में उसको यह तमाम बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। पूरा देश हमारा है और यह मुनासिब नहीं जान पड़ता कि उनको बेनिफिट्स देना सिर्फ़ पंजाब और पेप्सू तक क्यों लिमिटड (सीमित) कर दिया जाय।

पेप्सू के बारे में मुझे यह कहना है कि कमिशन ने भी यह सिफारिश की है कि पेप्सू को उसका पूरा स्टेटस दिया जाय। और उन्होंने उसके बारे में इस तरह कहा है: कि पटियाला की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम सिफारिश करते हैं कि पटियाला में पंजाब सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यालय रखे जांय और क्योंकि चंडीगढ़ अभी विकसित नहीं हुआ अतः ऐसा करना लोकप्रिय रहेगा।

कमिशन ने भी हमारे साथ बड़ी मेहरबानी की है कि पटियाला को एक अच्छी पोज़ीशन नये बनने वाले पंजाब राज्य में देने की सिफ़ारिश की है। पटियाला एक अच्छा इडस्ट्रियल सिटी (औद्योगिक नगर) बन सकता है और इसके डेवलपमेंट (विकास) पर काफ़ी रुपया ख़र्च किया गया है। यह चारों तरफ़ रेल से और रोड से कनैक्टेड है और अगर हम इसको कैप्टिल मान लें तो इस में हम लोगों का और सरकार का दोनों का भला है।

सर्विसेज़ के इटेगरेशन (सेवाओं के संविलय) के बारे में मुझे यह कहना है कि जब पहले सर्विसेज़ का इटेगरेशन (संविलय) हुआ था तो कुछ सर्विसिज़ को बुरी तरह से कुचला गया था और उन लोगों का उन्नति नम्बर ही नहीं आता था। पटियाला जो पंजाब से मर्ज होने के लिए तैयार है, उसका मर्जर मैं वैलकम (स्वागत) करता हूं साथ ही साथ मैं यह अर्ज़ करूंगा कि सर्विसेज़ में प्रमोशन (पदोन्नति) लेंथ आफ़ सर्विस (सेवा की कालावधि) पर हो न कि उन के पेमेंट (वेतन) पर उन का कोई प्रमोशन (पदोन्नति) हो। पंजाब में सर्विसेज़ में लोगों को तीन तीन हज़ार और साढ़े तीन तीन हज़ार रुपये तनख़्वाहें मिलती हैं जब कि हमारे पेप्सू वालों की दो हज़ार से कम ही पर रुक जाती हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि पेप्सू और पंजाब की सर्विसेज़ का जो इंटेगरेशन (संविलय) हो व लेंथ आफ़ सर्विस (सेवा की कालावधि) पर किया जाय न कि उन का पे स्केल (वेतन क्रम) देख कर किया जाय। पेप्सू के बारे में एक चीज और कहना चाहता हूं। पेप्सू का कुछ रुपया रिजर्व में है। मैं चाहता हूं कि वह रुपया पंजाब के यूनाइटेड फंड (संयुक्त निधि) में न डाल दिया जाय। वह पेप्सू के लिये ही खर्च किया जाय तो मैं आप को इस के लिये धन्यवाद दूंगा।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

आखीर में मुझे यह कहना है कि हो सकता है कि हम पैशनेटली (उत्साह से) सोचते हों, जब बातों की रौ में बह जा सकते हैं। जो हमारे लीडर पंडित जी और पंत जी बैठे हुए हैं वह हमारे कल्याण की बात शायद ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। आर्किटेक्ट (वास्तुशास्त्री) ने

मकान बना दिया, उस में रहना हम लोगों को है। हमें देखना है कि हम कैसे आराम से रह सकते हैं। कहां खिड़की और बारी अच्छी होगी, कहां गुसलखाना अच्छा होगा, कहां रहने के कमरे चाहियें, यह हम को सोचना है। हम गलत भी सोच सकते हैं लेकिन हमारे पंत जी और पंडित जी जिन के सामने मुल्क का इन्टरेस्ट [हित] है वह गलत बात नहीं सोच सकते। यह लोग खुद ही हर बात को सोच लें, जैसा वह चाहेंगे और हम से करने के लिये कहेंगे हम उस को मान लेंगे, हम कभी भी उस के खिलाफ नहीं जायेंगे।

अब मैं सिर्फ एक मज़ाक की बात कह कर बैठ जाऊंगा। कहीं पर पांच, दस नौकर इकट्ठे बैठ गये और वह इकट्ठा हो कर एक दूसरे से पूछते हैं कि तुझ को क्या तन्ख्वाह मिलती है। एक बोलता है, मुझे तो १०० रु० मिलते हैं, दूसरा कहता है कि मेरा भी साहब मझे १०० रु० देता है। आठ, दस कहने लगे कि हमें तो १०० रु० महीना और खाना मिलता है। जब राम लाल की बारी आई तो उस से पूछा कि क्यों बे, तुझ को क्या मिलता है ? उस ने कहा कि मुझे तो ७० रु० मिलते हैं। उस से कहा गया कि तू ७० रु० क्यों लेता है। गरज़ कि उस को खूब भड़काया गया तब वह कहने लगा कि आज रात को जब मेरा साहब आयेगा तो मैं कहूंगा कि मुझे और तन्ख्वाह दें। रात को साहब आता है तो वह कहता है कि साहब आप मुझे ७० रु० क्यों देते हैं, दूसरों को १०० रु० मिलता है ? मेरा गुज़ारा अब ७० रु० में नहीं होता। साहब था पंजाबी लसिया बोला : क्यों बे उल्लू, गधे, तुझ को ७० रु० नहीं मिलेंगे तो और क्या मिलेगा ? अगर ७० रु० से ज्यादा न दूं तो क्या करेगा ? नौकर ने हाथ बांध कर कहा कि मैं इसी तन्ख्वाह पर नौकरी करूंगा ? कांग्रेस में हम लोगों की पोज़ीशन [स्थिति] तो रामलाल वाली है।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : मैं ने आयोग के प्रतिवेदन को कई बार पढ़ा है और मैं यह कह सकता हूं कि उस ने सीमित समय में बहुत सी जटिल समस्याओं के होते हुए भी बहुत अच्छा काम किया है। उस ने इस बात पर ठीक ज़ोर दिया है कि केवल भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार नहीं बनाया जा सकता। यदि केवल भाषा ही इस का आधार होती, तो सदन के बहुत से सदस्य अपने भाषणों में बिल्कुल भिन्न निष्कर्षों पर पहुंचते। उदाहरणतया, उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मामले को लीजिये। यदि भाषा ही एकमात्र आधार होती, तो इन सब क्षेत्रों को मिला कर एक राज्य बना दिया गया होता। किन्तु आयोग ने यह सुझाव नहीं दिया। आयोग इस पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकता था कि जो भी राज्य बनें, वे आर्थिक रूप से अस्तित्व योग्य हों।

अब मैं इस की सिफ़ारिशों की यह देखने के लिये जांच करूंगा कि क्या यह कुछ राज्यों को पहले से अधिक अस्तित्व योग्य बनाने में सफल हुआ है ? उत्तर प्रदेश का मामला अलग है। यह बहुत बड़ा प्रान्त है और पहले से अस्तित्व योग्य है। मेरी दृष्टि में चार राज्य—विंध्य प्रदेश, मध्यभारत, भोपाल और मध्य प्रदेश हैं। मेरे विचार में आयोग की यह सिफ़ारिश अच्छी है कि इन राज्यों को मिला कर एक बड़ा राज्य बना दिया जाये।

बम्बई के बारे में, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि इसे दो या तीन राज्यों में विभाजित किया जाये या इसे आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार रहने दिया जाय। किन्तु आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मेरी आलोचना यह है कि सीमाओं का पुनर्निर्धारण करते समय आयोग ने संचार व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखा। मेरे विचार में इस समस्या का सामना भारत सरकार को शीघ्र ही करना पड़ेगा। संचार व्यवस्था के केन्द्र राज्यों की राजधानियां ही हैं। अब चूंकि कुछ राजधानियां बदल दी जायेंगी, इसलिये यातायात और परिवहन के सम्बन्ध में ऐसे राज्यों में

[श्री बंसल]

बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । यदि बम्बई के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश को बदला गया, तो बम्बई नगर को भी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा ।

अब मैं आर्थिक दृष्टि से अस्तित्व योग्य होने के प्रश्न को लेता हूं । इस में मेरे अपने राज्य पंजाब का भी उल्लेख होगा । मैं भी हरियाना प्रान्त का पक्षपाती था, परन्तु पंजाब की आर्थिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मेरा यह विचार बनता जा रहा है कि जब तक हरियाना का क्षेत्र पड़ोसी राज्यों में मिला नहीं दिया जाता यह पृथक् अस्तित्व योग्य नहीं हो सकता । मेरा आशय अलवर और भरतपुर से है । तथाकथित हरियाना प्रान्त में हिसार, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक और करनाल का कुछ भाग, आते हैं ।

हरियाना प्रान्त का अधिकतर क्षेत्र मरुस्थल है और जब भाखड़ा-नंगल से इस क्षेत्र को नहरी पानी मिलेगा, तभी इस क्षेत्र के भाग्य में कुछ परिवर्तन आयेगा । निःसदेह हमारे प्रदेश के साथ पंजाब सरकार का जो व्यवहार रहा है उस से हम संतुष्ट नहीं हैं । परन्तु तो भी हमें हरयाना प्रान्त की मांग करने से पूर्व सब बातों पर शान्तिपूर्वक विचार करना चाहिये । जितने भी कर्मचारी हमारे इलाकों के आते हैं, वे प्रायः सब के सब उत्तरी पंजाब से आते हैं। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि सिख क्यों चिल्लाते हैं कि उन्हें बहुत सी बातों से वंचित होना पड़ता है ।

सेना में उन की बहुत बड़ी संख्या है और अन्य सेवाओं में भी उन की संख्या पर्याप्त है । उन के मंत्री भी बहुत हैं । परन्तु फिर भी वे लोग हमारी बुरी दशा की परवा न करते हुए, अपने लिये पृथक् राज्य की मांग कर रहे हैं । मैं अनुभव करता हूं कि जितना प्रदेश वे मांगते हैं, वह आर्थिक दृष्टि से अस्तित्व योग्य और सम्पन्न होगा, क्योंकि इस में सदा बहने वाली नदियां और नहरें तथा बिजली के हैडवर्क्स हैं । किसी जाति के लिये प्रकृति के समस्त संसाधनों को अपने लिये मांगना देश के दूसरे भाग के प्रति अन्याय करना है ।

पंजाबी लोग पंजाबी बोलें, इस में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि पंजाबी और हिन्दुस्तानी में क्या विशेष अन्तर है ? क्या अब तक अविभाजित पंजाब का काम टीक ढंग से नहीं चलता रहा है कि अब पंजीवी भाषा-भाषी प्रान्त की मांग करने की आवश्यकता अनुभव हुई है । बल्कि हमारे प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है, वह असंतोष पैदा करने का बड़ा कारण है । इसलिये मैं सभा को यह बात विदित करवाना चाहता हूं कि पेप्सू पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विलीनीकरण के पश्चात् पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और उन के लिये विशेष विकास बोर्डों की स्थापना की जानी चाहिये और उन के लिये विशेष मंत्री नियुक्त किये जाने चाहियें । इस दिशा में आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लोहारू को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश की है परन्तु मेरे पास वहां के प्रतिनिधिमंडल लगातार आ रहे हैं और वे इसे राजस्थान के साथ नहीं मिलाना चाहते । यदि मेरी बात पर विश्वास न आता हो, तो कुछ सदस्यों को वहां भेज कर वहां की जनता के विचार जाने जा सकते हैं, या वहां का जनमत ले कर वहां की जनता का विचार जान लेना अत्यावश्यक है, ताकि लोगों को कोई शिकायत न होने पावे ।

समाकारपत्रों में बरबार ये समाचार आ रहे हैं कि सिखों को प्रसन्न करने के लिये हिमाचल प्रदेश को पृथक् राज्य बनाने का विचार किया जा रहा है और उस में पेप्सू का पर्वतीय प्रदेश भी सम्मिलित किया जायेगा

वर्तमान हरयाना का कुछ भाग दिल्ली, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में मिला दिया जायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था का जोरदार विरोध करेंगे । यदि हम पृथक् राज्य की मांग का अनुरोध नहीं कर रहे हैं तो हम यह भी नहीं देख सकते कि इस प्रदेश के टुकड़े टकड़े कर के इसे भिन्न भिन्न राज्यों में मिला दिया जाये वृहत्तर दिल्ली की भी मांग की जा रही है, किन्तु मैं आशा करता हूं कि इस पर अनुरोध नहीं किया जायेगा, क्योंकि ऐसा होने से रोहतक और गुड़गांव का इलाका कट जायेगा । मैं यह भी निवेदन करता हूं कि सोनीपत और फरीदाबाद को दिल्ली में मिलाये जाने की मांग को प्रोत्साहन न दे कर इस का विरोध किया जाना चाहिये ।

दिल्ली के विस्तार के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसे कहां तक बढ़ाया जायगा । बड़े नगरों में जनसंख्या केन्द्रीकरण से वहां के निवासियों को बहुत हानि होती है । केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को दिल्ली में ही स्थान देने में क्या सार है, जबकि सभा में आश्वासन दिये जाते हैं कि केन्द्रीय कार्यालयों को विभिन्न नगरों में स्थापित किया जायेगा ? इसलिये हम दूसरे राज्यों के हितों के कारण हरयाना को छिन्न विछिन्न होता नहीं देख सकते । पंजाबी भाषा सम्बन्धी वादविवाद के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि यद्यपि पंजाबी भाषा हिमाचल प्रदेश या हरयाना की भाषा से भिन्न है, परन्तु हम लोग पंजाबी भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं और पंजाबी बोलने वाले हमारी भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं । जब ऐसी बात है तो इस समस्या को ले कर इतना विवाद उठाना उचित नहीं है । और यह कहना सर्वथा व्यर्थ है कि इस के हल न होने से पंजाब में गड़बड़ हो जायगी । इसलिये मैं सभा से अपील करता हूं कि वह इस प्रकार के वक्तव्यों और तर्कों पर कोई ध्यान न दे । दूसरी बात यह है कि विभाजन के पश्चात् शरणार्थी भाई हरयाना प्रान्त के प्रायः सभी नगरों और गांवों में आ कर बस गये हैं । और उन के और हमारे बीच भाषा और संस्कृति विषयक जो कोई अन्तर या भेद भाव दिखाई देता था, वह मिटता जा रहा है, और वह अन्तर बिल्कुल भी नहीं रहा है । इसलिये मैं अपने मित्रों को सुझाव दूंगा कि वह इस प्रकार की बातों में आ कर साम्प्रदायिकता या प्रान्तीयता को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न न करें । एक बात और कह कर मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । आयोग की सिफारिशों में अनेक स्थानों पर यह कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों के बारे में पांच वर्ष के बाद पुनः निश्चय किया जाय । मैं उन सब के नाम नहीं लेना चाहता किन्तु उदाहरण के लिये हैदराबाद को ही लीजिये जिसे सिफारिश के अनुसार पांच वर्ष के बाद आन्ध्र राज्य में, वहां के विधान मण्डल में दो तिहाई मत इस के पक्ष में होने पर मिलाया जा सकता है । मैं राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न को भविष्य के लिये भी अवशेष रखने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि पांच वर्ष के बाद राज्यों में फिर इसी प्रकार की हलचल मचेगी और सरकार को इस के लिये अपना समय नष्ट करना पड़ेगा । हमें जो कुछ निर्णय करने हैं वह अभी कर लेने चाहियें । पंजाब में भी कुछ क्षेत्रों को मिलाने और कुछ क्षेत्रों को अलग करने के प्रश्न पर बहुत जोर लगाया जा रहा है । सभा को ये सब समस्यायें अभी हल कर लेनी चाहिये अन्यथा पांच वर्ष बाद ये और भी भयंकर रूप धारण कर लेंगी ।

इस के अतिरिक्त पुनर्गठन के प्रश्न से हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहले ही काफी शिथिलता आ चुकी है और यदि यह प्रश्न फिर उठाया गया तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की भी यही दशा होगी ।

जहां तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रश्न है मैं चाहता हूं कि राज्यों को गम्भीरता के साथ उसे क्रियान्वित करने को कटिबद्ध

[श्री बंसल]

हो जाना चाहिये अन्यथा यदि छोटी छोटी बातों पर अधिक समय नष्ट किया गया तो उस की सफलता को आघात पहुंचेगा। भविष्य में तो मुझे आशा है कि हमारी योजनायें और अच्छी बनाई जा सकेंगी क्योंकि इस समय २८ राज्य हैं और पुनर्गठन के बाद केवल १६ राज्य रह जायेंगे। योजना बनाने में बहुत आसानी हो जायेगी। अभी तो अजमेर, भोपाल आदि छोटे छोटे राज्यों के लिये पृथक् योजनायें तैयार करनी पड़ती हैं।

अन्त में मैं सभा से निवेदन करता हूं कि पुनर्गठन की समस्त समस्याओं पर शान्ति-पूर्वक विचार किया जाय और केवल भाषा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि देश के अन्य हितों की दृष्टि से निर्णय किये जायें।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालंधर) : दो तीन दिन से जिस ढंग से हम रिआर्गनाइ-ज़ेशन [पुनर्गठन] के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, मेरी राय में वह हमें किसी ठीक नतीजे पर पहुंचने में मदद नहीं दे सकता। हम लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और बहुत जोर से कहते हैं, काफी गरमी भी पैदा करते हैं। दूनिया में सभी अपनी बात कहा करते हैं, ठीक है, लेकिन इस हाउस में हम लोग जब कि किसी एक नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं और एक समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीका, बेहतर प्रोच [साधन] यह हो कि हम दूसरों की बात को, जोकि हमारे विचार से भिन्न मत रखते हैं, समझने की कोशिश करें और उस को जानने और पहचानने की कोशिश करें। अगर हम अपनी अपनी बात ही कहते जायें और बड़े ज़ोर से कहें और काफी दलीलबाजी करें, काफी लाजिक [तर्क] से काम लें, तो भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मैं जानता हूं कि इस हाउस में बड़े बड़े विद्वान् हैं, बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं दुनिया में हर बात की वकालत की जा सकती है, अच्छी से अच्छी दलीलें दी जा सकती हैं, उस के लिये अच्छे से अच्छे आंकड़े और अच्छे से अच्छे फिगर्स और अच्छे से अच्छे सबूत पेश किये जा सकते हैं। लेकिन जब आप वकील बन कर यहां दलीलें करते हैं उन से कोई नतीजा हासिल होने का नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि हमारा यह प्रश्न लाजिक का नहीं है बल्कि साइकोलोजी [मनोविज्ञान] का है, यह प्रश्न मनोविज्ञान का है। आखिर हर बात पर विभिन्न मत हो सकते हैं। सारी बातें जोकि यहां पेश की गई ह, भाषाओं की दृष्टि से, अर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और दुसरी दृष्टियों से, उन सब में अगर कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं। छोटे प्रान्तों में कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। हर बात म आप को कुछ लाभ और कुछ हानियां दिखाई देंगी और आप को तौलना पड़ेगा कि आप को सब में कौनसी चीज़ चाहिये। अगर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े प्रा त हों तो ठीक है। बड़े बड़े प्रान्तों में एक्त की बात होती है, बड़े बड़े प्रान्तों में खर्चा कम होता है, बड़े प्रान्तों में कुछ यह भावना रहती है कि आप बड़े बड़े प्लान [योजनायें] बनाते हैं, उन पर केन्द्र फैसला देता है और उन को आसानी से कार्यान्वित किया जा सकता है। बड़े प्रान्तों में शायद शासन की सुविधा भी रहती है इसलिये कि केन्द्र हुक्म देता है और बाकियों को मानना पड़ता है। शक्ति का केन्द्रीयकरण भी बड़े प्रान्तों में होता है। लेकिन साथ ही साथ बड़े प्रान्तों के कुछ नुकसान भी हैं। अगर आप शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं करते तो शक्ति को हासिल करने के लिये संघर्ष होता है। मैं जानता हूं कि हम जिस प्रकार से विचार कर रहे हैं उस में लोगों के सामने यह विचार है कि राजनीतिक शक्ति इस ग्रुप के हाथ में आती है या उस ग्रुप के हाथ में आती है। इस बारे में हम को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिये। मैं तो यहां तक कहता हूं अगर हम देखें और अपना साइकोएनेलेसिस (मनो

विश्लेषण) करें, अपनी भावनाओं का विश्लेषण करें, तो हम पायेंगे कि हम सभी एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हम कौम परस्त हों, नेशनलिस्ट (राष्ट्रवादी) हों और हम सब चाहते हैं कि राष्ट्र एक हो। मगर मुझे दुःख हुआ यह देख कर कि सरदार हुक्म सिंह जी को यह बात साबित करने के लिये १५ या २० मिनट दलीलें देनी पड़ीं कि यह नहीं समझना चाहिये कि सिख देश भक्त नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि अगर हम में से कोई भी किसी दूसरे ग्रुप को देश भक्त नहीं समझता तो वह खुद देश से द्रोह करता है। मैं तो समझता हूं कि हम में से सभी देशभक्त हैं और इस बात को साबित करने के लिये किसी को इस हाउस में दलील देने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। लेकिन जब हम पृथकता के भावों में बह जाते हैं तो हमें दलीलें देनी पड़ती हैं, जब एक दूसरे पर इल्जाम लगाये जाते हैं तो दलीलें देनी पड़ती हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमारे अन्दर यह भावना न हो कि हम एक दूसरे की दलीलों को काटें। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि दलीलों को नोट किया जाता है और इस बात में ज्यादा उत्साह दिखाया जाता है कि हम किस तरह से दूसरे की दलीलों को काट सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत लाभदायक बात नहीं है कि हम एक दूसरे की दलीलों का जवाब दें, और मैं समझता हूं कि ऐसा कर के हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। हम को दलील का जवाब नहीं देना है बल्कि हम को यह देखना चाहिये कि दूसरा क्या कहना चाहता है। हम को यह देखना चाहिये कि एक आदमी यह क्यों कहता है कि उसे फलां [अमुक] बात पसन्द नहीं है। हमारा हल इसी तरह से निकल सकता है कि हम देखें कि हम जो हल या प्रस्ताव रखते हैं उस से दूसरे की कहां तक दिलजमई होती है। अगर उस से उस की दिलजमई नहीं होती तो मैं समझता हूं कि हमारी तजवीज़ व्यर्थ है। वह तजवीज़ (प्रस्ताव) हमारे बीच में नज़दीक का रिश्ता नहीं पैदा करती।

जहां तक इस रिपोर्ट का सवाल है इस को बहुत अच्छे विद्वानों ने लिखा है और उन्हों ने इस को बड़े सद्भाव से लिखा है इस में संदेह नहीं है। उन्हों ने काफी मसाला इकट्ठा किया था और उस तमाम मसाले को देख कर एक बहुत अच्छा निर्णय देने की कोशिश की है। उन की नीयत में मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि हमारा ऐप्रोच [प्रयत्न] कुछ ऐसा रहा है कि कुछ बातें हम ने ऐसी मान ली हैं जिन को हम समझते हैं कि वे स्वयंसिद्ध हैं, और उन को कमीशन [आयोग] ने भी ऐसा ही मान लिया है। और उस का नतीजा यह हुआ कि बहुत बातों में निर्णय नहीं कर सके और दूसरों की दिलजमई नहीं कर सके। वह सिद्धान्त क्या है? यह सिद्धान्त माना गया है और हम ने समझा है जैसाकि मुझ से पहले भी कई वक्ताओं ने कहा और अभी मेरे दोस्त श्री बंसल कह रहे थे और श्री टेकचन्द ने भी कहा कि यह बात हम ने मान ली कि हमारे प्रान्त बड़े बड़े होने चाहियें। ठीक है बड़े प्रान्त होने चाहियें और यह ज़ाहिर बात है कि प्रान्त बड़े होंगे तो शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल होगा और ठीक प्लान [योजनायें] बन सकेंगे वरना प्लान ठीक तौर पर नहीं बन सकेंगे। परन्तु अगर बड़े प्रान्त नही बनते और छोटे छोटे प्रान्त बनाये जाते हैं तो तमाम देश बिखर जायेगा और टूट फूट जायगा, ऐसी आशंका करना मैं समझता हूं वहम के सिवाय और कुछ नहीं है और अगर हम उस का बारीकी से विश्लेषण करें तो पायेंगे कि दरअसल ऐसी कोई संभावना नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल अगर आप कमिशन की रिपोर्ट को देखें तो आप पायेंगे कि उन्हों ने दोनों बातों के लिये दलील दी है। कमिशन की रिपोर्ट में आप को हर तरह की दलील मिल जायगी और कई जगह ऐसा लगने लगता है कि उन्हों ने परस्पर विरोधी दलीलें पेश की हैं। उन्हों ने कहा है कि प्रान्त बड़े हों, ठीक है, लेकिन अगर प्रान्त बड़े हों और उस

(श्री ए० एन० विद्यालंकार)

के अन्दर विरोधी अंश हों और वह आपस में टकराते रहते हैं और हर रोज़ उन के अन्दर कशमकश होती है संघर्ष चलता है, एक छोटे प्रान्त की निस्बत भी वह बड़ा प्रान्त बहुत कमजोर होगा जिस के अन्दर लगातार संघर्ष चलता रहे। अगर संघर्ष को हटा सकते हैं और फिर हम बड़ा प्रान्त बना सकते हैं तो बड़े से बड़ा प्रान्त बना लें लेकिन अगर संघर्ष बाकी है और संघर्ष का करण बाकी है और उनका इलाज हम नहीं करते तो फिर बड़ा प्रान्त हमारे लिए ज्यादा ख़तरनाक हो जायेगा बनिस्वत एक छोटे प्रान्त के। अगर आप पंजाब के सम्बन्ध में मेरी व्यक्तिगत भावनाओं को पूछें तो मैं आपको बतालाऊं कि मैं महा पंजाब चाहता हूं, बहुत बड़ा प्रान्त चाहता हूं और उसके अन्दर यू० पी० भी आ जाय और जितना बड़ा हो सकता है ऐसे महा पंजाब का निर्माण मैं चाहता हूं लेकिन एक शर्त पर चाहता कि जहां बड़ा प्रान्त मैं बनाता हूं तो उसके अन्दर रहने वाले तमाम लोगों तमाम अंसर या एलीमेंट [तत्व] हैं की दिलजमई मैं कर सकता हूं या नहीं। अगर मैं उनको यह विश्वास दिला सकता हूं कि उनकी भाषा उनकी संस्कृति और उनके तमाम संटरेस्ट्स [हित] सेफ़ (रक्षित) हैं तो अगर हम इकट्ठा हो सकें तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन अगर सन्देह बना हुआ है और मैं सन्देहों को हटा नहीं सकता और मिलने के लिए सिर्फ दलीलें देता हूं राजनैतिक दलीलें सुरक्षा सम्बन्धी और हर प्रकार की दलीलें एक बड़े प्रान्त में मिलने के लिए देता हूं तो मैं समझता हूं कि मेरी वह तमाम दलीलें बेकार जायेंगी। आर्थिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से आप एक बड़े प्रान्त के निर्माण के लिए दलील देते हैं वह अपनी जगह पर सही है और मैं मानता हूं कि आप बिलकुल ठीक फरमाते हैं। लेकिन यह आपकी दलीलें उस सवाल का जवाब तो नहीं हो सकतीं जो कि माइनारिटीज [अल्प संख्यकों] की तरफ से आप पर किया जाता है आपकी तरफ से तो इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए जो माइनारिटी वाले आप से पूछते हैं। यह कहना महज काफी नहीं है कि आप के ऊपर क्या जुल्म होता है? हरियाना वालों की आम शिकायत है कि हम पर काफी जुल्म हुआ है और हमें हमेशा इग्नोर [उपेक्षित] किया गया है और अभी कल पंडित ठाकुर दास भार्गव कह रहे थे कि हम पर जो जुल्म हुए हैं और पंजाब वालों ने जिस तरह से हम को इग्नोर किया है जिस तरह से हमारी उपेक्षा की है, अगर मैं उसको व्यान करू तो वह एक लम्बा किस्सा होगा। तो हमें बड़ा पंजाब प्रान्त बनाते वक्त इस चार्ज (आरोप) का जवाब देना है कि हम इस तरह से प्रान्त बनायेंगे जिसमें कोई इग्नोर नहीं होगा। हमें यकीन दिलाना है कि आपका भाषा की हर तरह से रक्षा होगी। अगर हम इस बात की दिलजमई दूसरों को करा सकें और सन्तोष दिला सके तो मैं समझता हूं कि उसके लिए कहीं किसी को शिकायत नहीं होगी और एतराज नहीं होगा और बड़ा प्रान्त हम बना सकेंगे। लेकिन अगर हम वह नहीं कर सकते तो फिर हमें दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और हमें उस असलियत को, जो रिऐलिटीज [यर्थार्थताएं] हैं, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। राजनीति के अन्दर असलियत से इन्कार करना एक गलत चीज़ होती है। अब तक हम लोग जो बहस करते आये हैं हम असल वकालत से इन्कार करने का यत्न करते हैं। मैंने शुरू में कहा है कि हमारे भीतर दोनों प्रकार की भावनाएं हैं। हमारे अन्दर पृथकत्व की भावना हैं, सैप्रेटिस्ट टेंडेंसीज़ [पृथकत्व प्रवृत्तियां] हैं और हमारे अन्दर एकता की भावनाएं भी हैं और दोनों तरह की भावनाएं हमारे हृदयों के बीच में हैं। कभी सब के ऊपर एकता की भावना प्रबल होती है और उस भावना से हम प्रभावित होंकर एक तरफ चल पड़ते हैं और जब दूसरी तरह की भावना आती है तो दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। आज हमें इन दोनों भावनाओं

का मुकाबला अपने हृदय में में करना है और दिमाग से तोलना है कि हम दोनों में से क्या चीज़ पसन्द करते हैं। हमें इस सबन्ध में अपना मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके देखना है। हर एक चीज के लिए आपको कुछ कीमत देनी पड़ेगी। अगर आप एक बड़ा प्रान्त बनाना चाहते हैं और एकता की भावना को ज्यादा जोर देना चाहते हैं तो फिर आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो अस्सरियत [बहु-संख्यक] है उसको काफी कीमत अदा करना पड़ेगी माइनारिटीज़ को संतुष्ट करने के लिए। अगर आप यह कहते हैं कि नहीं हम तो यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी दूसरे को उसके हिस्से से कुछ अधिक दें जिस से वह संतुष्ट होता हो, हम तो अपना अपना हिस्सा पूरा पूरा रखेंगे या हम यह कहेंगे कि हमारी चीज बनी रहनी चाहिए बाकी दूसरों की चली जायें तो इस सब के मानी यह होगे कि दूसरों को आप अपने साथ एक में मिलाना नहीं चाहते या उन्हें मिलाने की पूरी कीमत अदा करने के लिए आप तैयार नहीं, और आपको अलहदा अलहदा छोटे टुकड़ों में रहना पड़ेगा। और यह कुदरती बात है और व्यवहारिक बात है।

हमारे पंजाब में भाषा का प्रश्न उठा। अभी कई एम मेरे दोस्तों ने कहा कि हिन्दी और पंजाबी के अन्दर कोई भेद नहीं है और पंजाबी दरअसल हिन्दी से बहुत मिलती जुलती हुई है। मैं इसको मानता हूं और मैं जानता हूं कि उनका ऐसा फरमाना दुरुस्त है, हमारे देश की तमाम भाषाओं के अन्दर बहुत कम भेद है। हिन्दी अगर देश की राष्ट्रभाषा बनी है तो इसलिए नहीं बनी कि किसी ने उस पर मेहरबानी की है कि वह राष्ट्र भाषा बन जाय बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि अंग्रेज़ों के जमाने में जब कि अंग्रेज लोग अंग्रेजी को इस देश में चलाना चाहते थे और जब किसी को हिन्दी का स्मरण भी नहीं था कि हिन्दी भी कोई एक भाषा है और हिन्दी का मजाक होता था उस वक्त भी कांग्रेस और अन्य जो देश की सार्वदेशिक संस्थाएं बढ़ी वे हिन्दी को लेकर आगे बढ़ीं और हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और जहां वह गई हिन्दी का प्रयोग किया। हिन्दी बहुत आम समझी जाने वाली भाषा थी, इसलिये देश में हिन्दी का प्रचार हुआ और यह सब जगह चली। किसी ने उस पर अहसान नहीं किया और जो अभी कल मेरे दोस्त श्री टी० एस० ए० चेट्टियार ने कहा कि हिन्दी अहिन्दी भाषी क्षेत्रों पर जबर्दस्ती ठूंसी जा रही है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनका यह आक्षेप उचित नहीं है। मुझ से पूछें तो दरअसल जितनी भी १३ या १४ भाषाएं संविधान में रखी गई हैं उनको अपना विकास करने की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाय और यह छूट दे दी जाय कि जो आदमी जिस भाषा को बोलना चाहता है और जिस लिपी में लिखना चाहता है उसको आप उस भाषा में बोलने और उस लिपी में लिखने की पूरी स्वतंत्रता दे दीजिये; तो जाहिर है कि जो भाषा आम व्यवहार की होगी उसको लोग प्रयोग में लाना ज्यादा पसन्द करेंगे और लोग अपने आप उसी भाषा को अपनायेंगे जिसमें सारा कामकाज चल सकता होगा और जो व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी होगी। दरअसल बहुत सी समस्याएं तो हम लोग राजनैतिक नेता पैदा करते हैं। यह नहीं कि कोई जानबूझ कर हम समस्याएं पैदा करते हों। लेकिन हम जो बहुत ज्यादा इंटरफ़ीयरेंस [अन्तर्वाधा] करते हैं उसके कारण बहुतेरी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक मरीज़ की बीमारी में जब डाक्टर बहुत ज्यादा दखल देते हैं तो बीमारी घटने के बजाय और अधिक बढ़ जाती है और आजकल चिकित्सक यह कहते सुने जाते हैं कि मरीज़ के इलाज में इंटर-फीयरेंस मत कीजिये, उसी तरह मेरे मतानुसार वह गवर्नमेंट बैस्ट [सर्वोत्तम] है जो कम से कम इंटरफीयर करता है। अगर आप यह करें कि देश के अन्दर तमाम भाषाओं को

(श्री ए० एन० विद्यालंकार)

इस बात की इजाजत दें कि जहां जो भाषा प्रयोग करना चाहता है वह बखुशी उसको इस्तेमाल कर सकता है तो क्या होगा? मैं जानता हूं कि अगर कोई मद्रास से आदमी आता है, तामिल या तेलगू प्रान्त से आता है तो वह पंजाब में जाकर यह गलती नहीं करेगा कि वहां पर तामिल अथवा तेलगू बोले। उस क्षेत्र की व्यवहारिक आवश्यकताएं उसको उससके लिए वाध्य करेंगी कि वहां पर जो इभाषा समझी और बोली जाती है उसी का वह भी प्रयोग करे। मैं समझता हूं कि अ र लोगों पर इसको छोड़ दिया जाय तो स्वयं लोग हिन्दी भाषा का प्रयोग करना पसन्द करेंगे क्योंकि वह भाषा सब जगह समझी जाती है और एक व्यावहारिक भाषा है और वे ऐसा नही समझेंगे कि हिन्दी को उन पर जबर्दस्ती ठूंसा जा रहा है। मुझे तो श्री एस० के पाटिल के मुंह से यह सुन कर अच्छा लगा कि हिन्दी वालों के लिए यह शोभाजनक बात नहीं कि वे प्रान्तीय भाषाओं से मुकाबला करें, और इस बात में झगड़ें कि हमारा हिन्दी का भी यह प्रान्त होगा और हमारा वह प्रान्त होगा। अथवा कितने ऐसे प्रान्त हैं जहां पर हिन्दी बोली जाती है। अगर पंजाब के लिए हमें इस बात पर जिद करें कि वह भी हिन्दी प्रान्त बनेगा और उसके लिए हम चर्चा करें और झगड़ें और माइनारिटीज को परेशान करें, और उनको यह कहें कि हिन्दी का साथ न देना देशद्रोह है, तो मैं समझता हूं कि हमारी यह गलती है। सरदार हुक्म सिंह ने पंजाबी सूबे की जो बात कहीं है, मैं उन से इतनी बात में सहमत नहीं हूं और मैं यह नहीं मानता कि पंजाबी सूबे की उनकी जो मांग हैं उसके पीछे साम्प्रदायिकता की भावना बिलकुल किसी हद तक की काम नहीं करती रही। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग पंजाबी सूबे के निर्माण का विरोध करते रहे हैं उनके अन्दर भी काफी हद तक साम्प्रदायिकता की भावना थी और उनकी साम्प्रदायिकता की भावना दूसरों से कम नहीं थी। दरअसल दोनों तरफ साम्प्रदायिकता की भावना काम कर रही थी। जो असलियत है, और हकीकत है उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिये। उसके लिये मैं किसी को दोष नहीं देता। हम लोग सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, हम सब के अन्दर साम्प्रदायिकता की भावना भी है, पृथकत्व की भावना भी है और राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना भी विद्यमान है। और अपने में और सारे लोगों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को लाने का तरीका यह है कि हम दूसरों के अधिकारों की स्वीकार करें और उनकी दिक्कतों को समझ कर उन्हें हल करने का प्रयत्न करें। अगर एक आदमी कहता है कि मुझे जूता काटता है तो मेरा काम यही नहीं है कि उसकी बात काटने के लिए दलीलें दूं कि उसको कहा जूता काटता है बल्कि जिसको जूता काटता है उसकी तकलीफ़ को रफा करूं।

अगर हमारी एप्रोच (कोशिश) ऐसी होगी जैसा मैंने कहा है तो हम इस समस्या को हल कर सकेंगे और हम दूसरों को अपने करीब ला सकेंगे। हमेशा से हमारे देश का जो कल्चर (संस्कृति) था, जो संस्कृति थी, भाषा थी, उस की बड़ी चर्चा की गई है, कल्चर की दुहाई दी गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि जब से ज्यादा अनकल्चर्ड बिहेविअर (असंस्कृत व्यवहार) यह होता है कि हम दूसरों की बात को न समझें और दूसरों की बात से इन्कार करें, हम दूसरों को झठा कहें, कि तुम गलत कहते हो। अगर आप जरा धीरज के साथ दूसरों की बात को सुनें, उन की बात पर विचार करें,उन के दृष्टिकोण की समझें, तो कोई दिक्कत न हो। लेकिन हम यहां क्या देखते हैं कि जब तक हम डामिनेटिंग पोजीशन (प्रभावित स्थिति) में हैं, हम कहते हैं, दाव करते हैं कि हम हर एक के साथ न्याय कर रहे हैं, हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया आओं, हमारे पीछे आ जाओ, हम न्याय करेंगे, तब तक हम ऐसा ही कहते रहते ह

जो ग्रुप मैजारिटी में होता है अगर आप उस के भाषणों को पढ़ें तो पायेंगे कि जब तक वह डामिनेटिंग पोजीशन में है वह कहता है कि हम सब के साथ न्याय करते हैं, सब के हितों कि रक्षा कर रहे हैं लेकिन ज्यों ही वह ग्रुप माइनारिटी में हुआ, वह कहने लगता है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और दूसरे की बातों से इन्कार करता है। वह कहता है कि दूसरे हम पर फिजूल एतराज करते हैं। एक कहता है कि मुझ पर अत्याचार हुआ करता है, हम पर जुल्म हुआ करता है, दूसरा कहता है, कि हम ने उस पर कभी अत्याचार नहीं किया, कभी अन्याय नहीं किया। इस तरह से दोनों के अन्तर बढ़ते ही जाते हैं। अगर हम इन बहसों में न पड़ कर अपने भीतर की तरफ देखें और एक दूसरे को भरोसा देने की कोशिश करें, अपने ऊपर विश्वास उत्पन्न करायें तो उस से सारी मुश्किलें हल हो जायें। अगर हमारा यह एप्रोच हो तो हमारी सारी समस्यायें हल हो जायेंगी और सेपरेटिस्ट टेन्डेंसीज [पृथकत्व प्रवृतियां] खत्म हो जायेंगी। हमारे देश की भावना हमेशा से यह रही है कि दूसरों को ज्यादा से ज्यादा आजादी दो, दूसरों को ज्यादा से ज्यादा सन्तुष्ट करने की कोशिश करो। यह नहीं कि दूसरे के लिये कहा जाय कि यह गलत कहता है, झूठ कहता है। हमें चाहिये कि हम अपनी तरफ देखें। आज दुनिया की जो आर्थिक, वैज्ञानिक और समाजिक शक्तियां हैं वे दुनियां को एक दूसरे के नजदीक ला रही हैं, ये ताकतें दुनियां में सब को करीब ला कर संसार के सुख और शान्ति में वृद्धि कर रही हैं। वे हमारे देश के भीतर भी काम करन लगेंगी और मुझे विश्वास है कि हमें आपस में करीब ले आयेंगी। आज दुनिया के अन्दर तरह तरह के वैज्ञानिक आविष्कार दुनियां को नजदीक ला रहे हैं, दुनियां के अन्दर एक सांइंटिफिक रेवोल्यूशन [क्रान्ति] हो रहा है। उस सब का असर खुद व खुद हिन्दुस्तान पर पड़ेगा हमें नजदीक ले आयेगा। आप इस बात में शंका न करें परन्तु आज हिन्दुस्तान के अन्दर छोटे छोटे प्रान्तों के प्रश्नों को ले कर मुश्किलें पैदा हो रही हैं। हमें उन मुश्किलों को खत्म करना है, उन को बनाये नहीं रखना, हमें किसी से यह हठ नहीं करना कि हम यही बात करा के रहेंगे क्योंकि हमारे हाथ में ताकत है, हमारे पास बहुमत की शक्ति है। इसलिये मैं कहना चाहता हू कि हमें इन तमाम समस्याओं को हल करने के लिये एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना चाहिये, एक दूसरे की कठिनाइयों को समझना चाहिये और उसके अनुसार कार्य करना चाहिये। सदा से हमारे देश की एकता हमारी संस्कृति, एकता और शक्ति का आधार यही भावना है :

"रुचीना वैयित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथ जुषां,

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव।"

तमाम क्षेत्रों की रुचियां भिन्न-भिन्न हैं, हर एक रुचि अलग है, दलील अलग है लेकिन आखिर में हम एक ही जगह जाना चाहते हैं। जितने भी पानी के स्रोत नदी नाले हैं वे सभी अन्त में समुद्र कि ही ओर जाना चाहते हैं। हमारी संस्कृति को भावना यह रही है।

"एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति"

हम भिन्न भिन्न बातें करते हैं, भाषा अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं और एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमको विभिन्नता को स्वीकार करना चाहिये अगर हम विभिन्नताओं को स्वीकार कर के चलेंगे तो इस से सबका भला होगा और आपस में एकता बढ़ेगी। अभी हमने देखा कि अपनी विदेश नीति के सम्बन्ध में हमने विभिन्नता को स्वीकार करके आगे कदम बढ़ाया है। रूस और हिन्दुस्तान का जो आर्थिक ढांचा है वह बिल्कुल भिन्न-भिन्न है। इस बात को हमने स्वीकार किया। हमने कहा कि आप अपने मार्ग पर चलिये, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। हमने एक दूसरे को उसके मार्ग से हटाने का प्रयत्न नहीं किया, एक दूसरे के

(श्री ए० एन० विद्यालंकार)

पंथ का आदर किया फल यह हुआ कि हम दोनों रूस और भारत करीब आये। अगर हम यह न करते तो हम कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते थे। इसीलिये मैं आप से कहता हूं कि हमारा ऐप्रोच यहीं होना चाहिये अपने देश की प्रांतों की समस्याओं को सुलझाने के लिये कटुता और आपसी तनाव कम करके एक दूसरे का संतोष करना। मैं इस ऐप्रोच को बेहतर समझता हूं इसलिये नहीं कि मैं चाहता हूं कि बड़े-बड़े प्रान्त न बने, बल्कि इसलिये कि इस तरह से हम एक दूसरे को विश्वास दिला सकें, और मिल कर ऐसा हल निकालें जिससे हर कोई दूसरे की दिलजमई करने की कोशिश करे। अगर हमारे पास आज कोई ऐसा हल नहीं जिससे हम बिखरे हुए टुकड़ों को और ज्यादा करीब ला सकें तो घबरायें क्यों, धर्य से काम लें, कटुता और बैमनस्य को न बढ़ने दें, हमारे देश की आर्थिक और राजनैतिक आवश्यकतायें हम को स्वयं मजबूर करेगी कि हम एक दूसरे के करीब आयें। हम आज भी अपनी राजनैतिक शक्ति से ऐसा कर सकते हैं लेकिन हम अपनी राजनैतिक शक्ति से किसी को मजबूर नहीं करना चाहते। दूसरों इच्छाओं को दूसरों की भावनाओं को मसल कर यदि इस शक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमारे देश में फूट पड़ जायेगी और देश की अखण्डता खण्डित हो जायेगी।

अभी मैंने प्रान्तों की बात कही। पंजाब के सम्बन्ध में जब मैं इस अपने दृष्टिकोण से विचार करता हूं तो मुझे इस समस्या का एक ही हल नजर आता है। हमारे भाई हरियाना प्रान्त के हैं यह अपने दृष्टिकोण से अपनी बात कहते हैं और ठीक कहते हैं, मैं क्यों कहूं कि वह गल्त कहते हैं ? सरदार हुक्मसिंह ने पंजाबी बोलने वालों के सम्बन्ध में या सिखों के सम्बन्ध में अपनी बात कही। मैं क्यों कहूं कि वह गलत कहते हैं, या उनकी शिकायत गलत है ? अगर उनकी कोई शिकायत है तो वह ठीक ही कहते होंगे, हिाचल प्रदेश वाले अपनी बात कहत हैं। हम चाहिये कि हम कोई प्रैक्टिकल रास्ता निकालें। हम इस बात को स्वीकार करें कि आखिर में हमें ही मिलकर इस सब बातों का फैसला करना है कि हमारे राज्य का ढांचा कैसा हो। हम यह भी निश्चय करें कि जो खाका या नक्शा हम तैयार करें उसका आधार विकेन्द्रीकरण हो या केन्द्रीयकरण। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो चाहे राजनैतिक क्षेत्र यदि विकेन्द्रीय करण की ओर जाना है तो जबर्दस्ती को छोड़ कर, इकट्ठा बैठ कर कोशिश करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि जितनी ही विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियां ज्यादा प्रबल होंगी और दृढ़ हो जायेंगी उतने ही ज्यादा प्रदेश हमारे देश में बन जायेंगे। परन्तु यह भी मत भूलिये कि अगर हम विकेन्द्रीयकरण की ओर झुकेंगे और एक दूसरे पर जोर जबर्दस्ती करेंगे तो उसके विरुद्ध विद्रोह होगा और विरोध और वैमनस्य बढ़ेगा इसलिये मैं चाहता हूं कि हम विकेन्द्रीय करण को स्वीकार करें। मुझे ज्यादा संख्या में छोटे छोटे राजनैतिक केन्द्र बनने से घबराहट नहीं होती। हम यह बात मानें कि सारी राजनैतिक शक्ति को एक जगह पर जबर्दस्ती से संगठित करना ठीक नहीं है जैसा कि हमने देश में संस्कृति के सम्बन्ध में किया, हमने किसी को मजबूर नहीं किया, हमने हर एक को आजादी दी, फल यह हुआ कि हर एक व्यक्ति इस देश को प्यार करने लगा, हर एक ने देश की कामन [सामूहिक] संस्कृतिक बनाने में सहयोग दिया जिसके कारण हमारी संस्कृति में दूसरी संस्कृतियां आकर मिलती रहीं। हमने सब को आजादी दी। मैं समझता हूं कि जिस तरह से सास्कृतिक क्षेत्र में ऐसा किया गया उसी तरह से हमें राजनैतिक क्षेत्र में भी इस नीति का परीक्षण करना है। अगर हम ने इस परीक्षण को किया तो मुझे इस में कोई संदेह नहीं है कि हम सब को सन्तुष्ट कर सकेंगे और अपने सारे सवालों को हल कर सकेंगे।

पंजाब के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि यही रास्ता अपनाया जाना चाहिये। मैं नहीं कहता कि मेरी ही बात ठीक है, ऐसा कहना शायद सब से बड़ी अशिष्टता होगी। जो लोग कहते हैं कि जो कुछ मैं कहता हूं वही ठीक है, बाकी लोग जो कहते हैं सब झूठ है, वह एक अन्कल्चर्ड बिहेवियर [असंस्कृत व्यवहार] है। मैं चाहता हूं कि सब प्रान्तों को आजादी हो। अगर पंजाब में पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और हरियाना प्रदेश आना चाहते हैं या कोई और इलाका भी आना चाहे तो उनकी पोलिटिकल यूनिटी [राजनैतिक एकता] हो जाय, लेकिन उन सब को कुछ न कुछ जोनल एटानमी दी जाय। जोनल ऐटानमी का मतलब यह है कि पेप्सू, पंजाबी बोलने वाला इलाका, हरियानवी भाषा बोलने वाला इलाका, मैं उसको हिन्दी से बाहर नहीं मानता हूं, हालांकि वास्तव में भी बहुत अधिक हिन्दी और पंजाबी में फर्क नही होता, हरियानवी और हिन्दी में भी बहुत अधिक फर्क नहीं होता, पहाड़ी और हिन्दी में भी फर्क नहीं होता, लेकिन चूंकि लोग कहते हैं कि फर्क है तो वह भी हो सकता है मैं इस पर आग्रह नहीं करना चाहता कि नहीं वे सब भाषाएं हिन्दी ही हैं। अगर वह इस पर आग्रह करते हैं कि दोनों में फर्क है तो मान लिया जाय। क्योंकि दिलों में फर्क है, जोनल कांशिएन्स [प्रादेशिक भावनाऐं] हैं अलग अलग इलाकों में तो दलील से उस बात को काटने पर जोर नहीं देना चाहिये। तो में कह रहा था कि अगर पोलिटिकल यूनिटी [राजनैतिक एकता] भी हो जाय और प्रान्तों की जोनल अटानामी या स्वाधीनता भी रह जाय तो यह बीच का मार्ग अपना लेना लभदायक होगा अगर पंजाब में चार प्रान्त मिलाये जा रहे हैं तो उन्हें चार उपप्रांत मान लिया जाय सब उप–प्रान्तों के लिये एक ही गवर्नर हो और एक ही हाई कोर्ट हो। सर्विसेज [सेवाओं] के लिये पब्लिक सर्विस कमिशन [लोकसेवा आयोग] हो वह भी एक हो अगर सब माने जायें तो ऐसी तजवीज सोच ली जाय। मैं तो यहां तक जाने को तैयार हूं कि अगर कोई एक जिला कहता है कि इस जिले के अन्दर हमारे जिले के ही आदमी आफसर रक्खें जायेंगे, अपने ही अधिकारी रक्खेंगे तो उसको भी मान लिया जाय। अगर कोई कहे कि जो हमारे जिले का आफिसर होगा वही उस की आवश्यकता को ठीक तरह से पूरी कर सकेगा क्योंकि जो लोकल आवश्यकतायें होंगी उन से वह वाकिफ होगा, तो हम को उसे भी इनकार नहीं करना चाहिये। इसी तरीके से चलने से आगे चल कर जो सेपरैटिस्ट टेन्डेन्सीज़ [पृथकत्व प्रवृत्तियां] हैं, पृथकत्व की जो भावनायें हैं वह धीरे खत्म हो सकेंगी। लेकिन अगर आप अग्रह करेंगे कि नहीं दूसरों का कहना ठीक नहीं है। वहां पृथकत्व की भावनाएं अधिक उतेजित होंगी। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव हो सके जिस में यह लिखा हो कि सब को आपनी अपनी भाषा को प्रगति करने का अधिकार होगा, अपनी अपनी भाषा का वह प्रयोग कर सकेगा और वृद्धि कर सकेगा, अगर देश भर में हम इस बात की आजादी दे सकेंगे और इस प्रकार की भावना पैदा कर सकेंगे कि किसी पर कोई जोर जबर्दस्ती नहीं की जायेंगी, यहां कोई मजबूरी नहीं है, भाषा की मजबूरी नहीं है, लिपि की भी मजबूरी नहीं है, तो हम अपने उद्देश्य को शीघ्र से शीघ्र पुरा कर लेंगे। लेकिन यह कहना कि पंजाबी से कोई इन्कार नहीं कर रहा, यह बिल्कुल गलत चीज है दो दिन हुए मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स में एक लेख देखा। कोई राय बादुर दुर्गा दास हैं, मुझे पता नहीं कि वही दुर्गा दास हैं जो कि उसके केरेस्पान्डेट [संवाददाता] हैं या दूसरे कोई हैं।

श्री एस० डी० पांडे : यह दूसरे राय बाहदूर हैं।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : उन का एक लेख निकला था : लैंग्वेज इश्यू इन पंजाब [पंजाब में भाषा की समस्या]।

वह कहते हैं कि वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिन्दुओं को ऐसी भाषा पढ़ने

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

के लिये बाध्य करना जिसे उन्होंने स्वयं वरण नहीं किया अनुचित और अप्राकृतिक है । इसी प्रकार सिखों को अन्य भाषा के लिये बाध्य करना उचित नहीं ।

आगे फिर वह कहते हैं यह ध्यान रखना उचित ही है कि केवल सिखों को प्रसन्न करने के लिये उनके बच्चों को पंजाबी पढ़ने में समय व्यतीत करने पर बाध्य न किया जाय ठीक है अगर आप ओब्लाइज करना नहीं चाहते हैं अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो मत सीखिये । लेकिन एक तरह यह कहना कि हम तो कहते हैं कि हिन्दी और पंजाबी एक हैं और उसको ऐक्सेप्ट स्वीकार रकने की बात कही जाय, लेकिन दूसरी तरफ इस बात पर झगड़ना कि यह पढ़ाई जाय या न पढ़ाई जाय, यह गलत चीज है । आप लोग भाषा के सम्बन्ध में या तो वह एप्रोच अख्तियार कीजिये जो कि हमारे प्रधान मंत्री ने अख्तियार की है और जिस में उन्होंने कहा कि हमारे देश के अन्दर हर एक व्यक्ति को तीन और चार चार प्रान्तीय भाषायें पढ़नी चाहिये । हमारे देश के अन्दर जितनी भाषायें हैं, हमारे देश के अन्दर जितनी कल्चर्ज [संस्कृतियां] हैं, वह सब हमें जाननी होंगी और उन्हें अपना मानना होगा और इसी आधार पर हम को चलना होगा । लेकिन होता यह है कि हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और ही हैं । हम यह कहते हैं कि यह भाषा नहीं पढ़ेंगे और हम यह बात नहीं करेंगे । अगर यही बात है हमें एक दूसरे से अलग रहना ही पड़ेगा और फिर आप अपनी बात को जिस तरह से आप ठीक समझते हैं उस तरह से करें दूसरे अपनी ही तरह से उसको करेंगे । आप अपनी भाषा पढ़िये और दूसरे अपनी भाषा को पढ़ेंगे । अगर हम एनेलेसिस [विश्लेषण] करें तो हम को पता चलेगा कि अपनी भावनाओं को हम खुद ही नहीं समझते हैं । एक वक्त हम एक बात करते हैं और दूसरे वक्त हम दूसरी बात कहते हैं । हमें अपनी भावनाओं का विश्लेषण करना चाहिये और सोचना चाहिये कि आखिर हम चाहते क्या हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि हर एक बात में कुछ फायदे भी हैं और साथ ही साथ कुछ नुकसान भी हैं । दुनिया में कोई भी चीज हासिल नहीं होती जब तक कि उसके लिए कोई कीमत अदा न की जाए । आप किसी भी चीज को चुनें आपको कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी । अगर आप उसकी कीमत अदा करने को तैयार नहीं हैं तो आप उस चीज को हासिल भी नहीं कर सकते हैं । इसके बगैर काम चलता नहीं है ।

मैं ने आप के सामने अपने दृष्टिकोण को रखा और मैं समझता हूं कि दृष्टिकोण को सामने रखकर ही हमको रिआर्गनाइजेशन [पुनर्गठन] की समस्या पर विचार करना पड़ेगा अगर हम सच मुच उस उलझनों से निकलना चाहते हैं हमें यह बात मानकर नहीं चलना होगा कि केन्द्रीयकरण ही एक चीज है और इसके सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं है । दुनिया के अन्दर छोटे छोटे राज्य भी हैं और बड़े बड़े भी । छोटे छोटे राज्य जो हैं उनमें हम स्विटजरलैंड का नाम ले सकते हैं, जापान का नाम ले सकते हैं और इसी तरह से दूसरे देशों का नाम भी हैं । छोटे छोटे राज्य भी होते हुए बड़े बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं । अगर कोई कहे कि जो छोटे राज्य होते हैं वह शक्तिशाली नहीं बन सकते, तो यह बात गलत है । वह भी बड़े बन सकते हैं । बाई-लिगुअल [बद्धि भाषा भाषी] भी चलते हैं, यून-लिंगुअल [एक भाषा भाषी] भी चलते हैं और मल्टी-लिंगुअल [बहु भाषा भोषी] भी चलते हैं । हमारे पाटिल साहब ने कहा कि उनका बम्बई राज्य बाई-लिंगुअल है और बहुत कामयाबी से चलता है । लेकिन जो यह रिपोर्ट है इसके अन्दर लिखा है कि जो बाई-लिंगुअल प्रान्त हैं वह ठीक तरह से नहीं चलते

हैं । भाषाओं के मामले में कशमकश होती है । मैं इस अंश को पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहता । इस रिपोर्ट के पैरा १४४ या १४५ में, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, यह बात लिखी गई है के अधिक भाषायें होने से आपस में कशमकश चलती है, प्रान्त के हित की भावना न होकर अलग अलग ग्रुपों के हित के लिए भावनाएं प्रबल हो जाती हैं । खैर मैं यह कहना चाहता हूं कि बाई-लिंगुअल प्रान्त भी चलते हैं, यूनि-लिंगुअल भी चलते य हैं और मल्टी-लिंगुअल प्रान्त भी चलते हैं और चल भी सकते हैं । लेकिन आपको यह साफ तौर से मालूम रहना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं । आपका दिमाग क्या चाहता है आपका दिल क्या चाहता है और उसके लिए आप कौनसी कीमत अदा कर ने को तैयार हैं । आपको बाई-लिंगुअल प्रान्त के लिए अलग कीमत अदा करनी होगी, मल्टी-लिंगुअल के लिए अलहदा कीमत अदा करनी होगी और यूनि-लिंगुअल के लिए कुछ और ही कीमत अदा करनी होगी । इसलिए सबसे पहले आपको अपने दिल में इस बात का निश्चय करना होगा कि आप की मंशा क्या है और आपको दूसरों को दोष देने के बजाय, दूसरों की बात को काटने के बजाय, जो आप चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए एक उचित कीमत अदा करनी होगी । जब तक हमारे अन्दर कौमपरस्ती की भावना नहीं आती, जब तक हमारे अन्दर सेपेरेटिस्ट टैंडेंसीस हैं, जब तक हमारे अन्दर अलहदगी की भावना है, हमारा काम नहीं चल सकता है ? हमारे यहां आमतौर पर शासन के बारे में यह शिकायत की जाती है कि फलां वजारत में उन्होंने अपने ही प्रान्त के आदमियों को इकट्ठा कर लिया है, अपनी भाषा बोलने वालों को रख लिया है, और इसी तरह की दूसरी शिकायतें आती हैं । मैं किसी को दोष नहीं देता हूं लेकिन यह बातें होती रहती हैं और काफी चर्चा भी होती रहती है । इस वास्ते जो हमारी कमजोरियां हैं हमारी मर्यादाएं हैं । उसको भूलकर अगर हम बातें करें तो वह बनावटी बातें ही होंगी । हमें चाहिये कि हम उन मर्यादाओं को समझें और उनको दृष्टि में रख कर हल तलाश करने की कोशिश करें । हम अपनी संस्थाओं का अच्छा बुरा जो भी रूप देख रहे हैं वह सब हमारी मानसिक भावनाओं का विम्ब मात्र है । संस्थाएं जनता की समस्त भावनाओं का प्रतिबिम्ब या अक्स होती है । उसके लिए दूसरों को बुरा भला कहना, दोषी ठहराना अनुचित और व्यर्थ है । यदि हम अपनी भावनाओं को संकुचित ही रखें अपनी विचारधारा को विशाल न बनायें तो जो हम सामाजिक राजनैतिक चित्र बनायेंगे वह भी संकुचित और छोटे छोटे होंगे । आज हर कोई यही कहता है कि हमारे संस्थायें विशाल हों, हम विशाल पंजाब बनायें, हम विशाल आंध्र बनायें और अजीब बात यह है कि भारत के अन्दर जितने लोग है वह सब "महा, महा" ही कहते हैं और इसी महा की वजह से हमारा देश एक महाभारत बना जा रहा है । हमें महाभारत नहीं बनाना है । हमें भारत को विशाल बनाना है, यह ठीक है लेकिन उसके लिए पहले हमारे दिल विशाल होने चाहिये और जब हमारे दिल विशाल होंगे तो फिर हमारे प्रान्त भी विशाल होंगे ।

श्री मुहं उद्दीन (हैदराबाद नगर) : मैं हैदराबाद के विषय में कुछ कहना चाहता हूं जिसका विच्छेद करके अन्य राज्यों के साथ मिलाया जा रहा है । उस का मराठवाड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र में जा रहा है । कमर्नाटक क्षेत्र कर्नाटक में जा रहा है और हैदराबाद को विशाल आन्ध्र में मिलाने की चर्चा की जा रही है । हैदराबाद के प्रश्न को भविष्य के लिये न छोड़ कर उसका अभी निर्णय कर लिया जाना चाहिये ।

हैदराबाद के विषय पर अनेक सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं । उनमें श्री अनंतशयनम अय्यंगार का भाषण विशेषतया उल्लेखनीय है । यद्यपि वे पीठासीन होने पर

[श्री मुहीउद्दीन]

बिल्कुल सत्य विनिर्णय देते रहते हैं फिर भी सदस्य के रूप में उन्होंने जो कुछ कहा है वह असत्य है । उन्होंने कहा है कि हैदराबाद को एक दूसरे पाकिस्तान का रूप देने के लिये तीन प्रयत्न किये जाते हैं——पहला तो १९४७——४८ का रजाकार आन्दोलन, दूसरा तेलंगाना का साम्यवादी आन्दोलन और तीसरा तेलंगाना को पृथक राज्य बनाने के लिये रजाकारों का प्रयत्न । श्री अय्यंगार के भाषण से स्पष्टतया ऐसा लगता है मानों इन आन्दोलनों का आधार साम्प्रदायिकता थी । मेरी यह समझ में नहीं आता कि जिस तेलंगाना राज्य के आन्दोलन में श्री हेडा और श्री रामस्वामी जैसे नेता भाग ले रहे हैं उसे वे रजाकार आन्दोलन कैसे बता रहे हैं ।

श्री सी० के० नायर (बाह्य दिल्ली) : रजाकार का अर्थ केवल स्वयं सेवक से है ।

श्री मुहीउद्दीन : जी नहीं । रजाकार शब्द का एक इतिहास से है जिसे सब लोग जानते हैं । तेलंगाना का आन्दोलन कोई नया नहीं है । उसे सात आठ वर्ष हो चुके हैं । जिस समय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया था उसी समय वहां एक समिति बनाई गई थी जिसमें श्री हेडा भी एक सदस्य थे । इस समिति ने आयोग के सम्मुख अभ्यावेदन करने का निश्चय किया था । सदा से मेरा यही दृष्टिकोण रहा है कि आज की परिस्थिति में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना गलत होगा और इसे अभी १५-२० वर्षों तक और टाल देना चाहिये । राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी हैदराबाद विधान सभा के अनेक सदस्यों से मिल कर और पूरी तरह से जांच-पड़ताल करके यही निष्कर्ष निकाला है कि हैदराबाद राज्य के अवशिष्ट भाग में अभी तेलंगाना क्षेत्र को आन्ध्र क्षेत्र में संविलित करने योग्य परिस्थिति पैदा नहीं हुई है । सभा के सब लोगों ने आयोग की सराहना की है कि कई मामलों में उसके निष्कर्ष बड़े ही उचित और सही रहे हैं । यह एक निष्कर्ष भी उचित और सही है । कहा गया है कि तेलंगाना या हैदराबाद राज्य आर्थिक रूप से अस्तित्व योग्य नहीं होगा । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तैलंगाना राज्य आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ आधार पर खड़ा है, और अस्तित्व योग्य भी है । यह एक बिल्कुल दूसरी बात है कि मद्य-निषेध कर देने के बाद वह एक घाटे वाला राज्य बन सकता है । पर इस पर तो अभी पंजाब, उत्तर प्रदेश बिहार और बंगाल जैसे राज्यों को भी विचार करना है कि मद्य-निषेध करने के बाद उनको राजस्व को कितनी हानि उठानी पड़ेगी । उत्पादन-शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व के अधिकांश की कमी को अधिक कर लगा कर या केन्द्र से सहायता ले कर पूरा करना पड़ेगा ।

आयोग ने मुख्यतयां स्थानीय जनता के मद के आधार पर ही हैदराबाद राज्य बनाने की सिफारिश की है । कांग्रेस कार्य समिति ने भी जनता के मत पर ही अन्तिम निर्णय छोड़ देने की बात कही है । और तेलंगाना के ९०-९५ प्रतिशत लोगों ने हैदराबाद राज्य की स्थापना के पक्ष में ही मत दिया हैं ।

अब, मैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कुछ कहूंगा । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद इस प्रश्न के प्रति भारत के नेताओं के दृष्टिकोण में काफी अन्तर आ चुका है । पहले तो भाषा को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता था, बल्कि इसे ही केवल एक आधार माना जाता था । लेकिन बाद में, नेहरू-पटेल-पट्टाभि प्रतिवेदन में, इसके विपरीत, भारत की सुरक्षा, एकता और आर्थिक सम्पन्नता को ही प्राथमिकता दी गई थी । आयोग ने भी कहा है कि केवल भाषा या संस्कृति के आधार पर ही पुनर्गठन करना देश के हित में नहीं होगा । आम तौर पर इससे हम सभी सहमत हैं । हमें एक बात तो निश्चित कर ही लेनी चाहिये राज्यों का पुनर्गठन केवल भाषा के आधार पर नहीं किया जायेगा । हमें इस सिद्धान्त

को मान लेना चाहिये । मुझे आशा है कि सभा भी इससे सहमत होगी ।

सभा में कम्युनिस्ट दल के नेता ने तो यहां तक कहा है कि राज्यों की सीमाओं का विभाजन करते समय एक भाषा भाषी गांव को विभाजन का आधार बनाया जाना चहिये । यदि इस तरह विभाजन किया जाये तो लोगों के दिमागों पर भाषा का एक ऐसा भत सवार हो जायेगा कि भारत की एकता वास्तव में खतरे में पड़ जायेगी ।

एक भाषा भाषी लौग एकही राज्य में रहें उनका एक गांव तक दूसरे राज्य में न रहने पाये--इस दृष्टिकोण के लोग अपने उस राज्य को ही सब कुछ मान कर चलेंगे । आयोग ने भाषा को प्रशासकीय कार्यों का एक साधन मात्र मानने की सिफारिश की है । भाषा के आधार पर अलगाव पैदा करने वाले इस सिद्धान्त की चारों ओर से भर्त्सना की जानी चाहिये । आन्ध्र विधान सभा में २५ नवम्बर को श्री पी० वी० आर० गजपति राजू ने तो भविष्य में गोदावरी के तट पर दो दृढ़ राज्यों--विशाल आन्ध्र और संयुक्त महाराष्ट्र--की एक रक्षा-पांति भारत के प्रशासकीय एकीकरण के विरुद्ध बनाने की बात भी कही थी । स्पष्ट है कि ऐसे आदर्श और दृष्टिकोण राष्ट्रीयता की भावना को धक्का पहुंचाते हैं । इसीलिये, हम नहीं चाहते कि तेलंगाना में भी यह भाषावाद फैले । हम एक अलग तैलंगाना राज्य चाहते हैं । हैदराबाद सैकड़ों वर्षों से उत्तर और दक्षिण की विचारधाराओं का संगम रहा है । हमारे यहां भाषा के प्रति ऐसी कट्टरपंथी कभी भी नहीं रही है । वहां की जनता राष्ट्रभाषा हिन्दी पढ़ना चाहती है और उसकी प्रादेशिक भाषा तो तेलगु रहेगी ही । वहां से हिन्दी और दक्षिण की ओर भी फैल सकेगी । हां हैदराबाद में तेलंगाना को संविलित करने पर यह डर होता है कि कहीं हैदराबाद में भी भाषा वाद का रोग न फैलने लगे । आयोग की सिफारिश के अनुसार ही, उस्मानिया विश्वविद्यालय को एक हिन्दी विश्व विद्यालय बना निया जायेगा और वह दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति का एक बड़ा केन्द्र बन जायेगा । इन्हीं कारणों से, हम आयोग की सिफारिश के अनुसार ही हैदराबाद राज्य के निर्माण का समर्थन करते हैं ।

सभापती महोदय : अब श्री गोपी राम बोलना शुरु करेंगे । यह उनका पहला भाषण है ।

श्री गोपी राम (मंडी महासु--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : आज हमारे सामने जो एस० आर० सी० की रिपोर्ट जेर गौर है, इसमें कोई शक नहीं कि काफी मेहनत के बाद यह डाक्यूमेंट हमारे सामने इस शक्ल में आया है और इसके लिए मैं भी कमीशन के मेम्बरान को बधाई का पात्र समझता हूं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं कमीशन को फैसले से सौ फीसदी सहमत हूं । पेचीदगियों में से गुजरा है । इसमें भी कोई शक नहीं कि कमीशन क मेम्बरान आला दर्जे के कसौटी पर परखे हुए दिमाग हैं लेकिन आखिर को इंसान है और गलती कर सकते हैं और इसमें गलतियां हुई भी हैं । और इसलिए हमारी सरकार ने लोकल लेजिस्लेचर्स को उस पर गौर करने के लिए अख्तियार दिया, उसके बाद इन दोनों सदनों को भी इस पर मजीद गौर करने का अधिकार मिला है और इसके बाद भी जो कमी इसमें रह जायगी, उसको फिर सेंट्रल कैबिनेट पूरा करेगी । साफ जाहिर है कि इस रिपोर्ट में कमी थी, इसी कारण से सरकार को यह लम्बा प्रोसीज्योर अख्तियार करना पड़ा है ।

[**श्रीमती सुषमा सेन** पीठासीन हुईं]

सभापति महोदया, रिपोर्ट के सफे २५ में पैराग्राफ ९३ में जहां पर इस कमीशन की टर्म्स आफ रेफ्रस का जिक्र आया है उसमें से मैं पहला ही रेफ्रस आपके सामने पेश करता हूं जिसमें कि यूनिटी और सिक्योरिटी आफ

[श्री गोपी राम]

इंडिया का जिक्र है । जहां तक मुल्क की यूनिटी का ताल्लुक है, हमारा सिर फख्र से ऊंचा होता है कि इस देश का हर फर्द बशर मुल्क की यूनिटी का हामी है इसमें हम दो राय नहीं हैं । दूसरी तरफ कमीशन ने सिक्योरिटी के बारे में जो मस्विदा हमारे सामने पेश किया है वह मेरी नाकिस राय में दुरुस्त नहीं है । सिक्योरिटी आफ इंडिया एक जरूरी अमर है और इसको मद्देनजर रखना भी जरूरी है । मैं पंजाब से शुरू करता हूं । कमीशन के खयाल के मुताबिक मौजूदा पंजाब वेस्टर्न पाकिस्तान के खतरे से बाहर नहीं है । ठीक है, और उन्होंने इसका हल बड़ा पंजाब किया है । ग्रेटर पंजाब जिसमें पेप्सू, हिमाचल प्रदेश को मिलाया जाना है । महापंजाब के बनाते वक्त वेस्टर्न पाकिस्तान का खतरा तो पेश आया लेकिन वहां की पंजाबी बोली का ध्यान कमीशन को बिल्कुल नहीं रहा । साउथ में जबान को लेकर सूबों की तकसीम हुई और उसके आधार पर अन्य सूबों की तकसीम की तजवीज आपके सामने पेश है लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि उधर बिहार, बंगाल, और आसाम से लेकर जब कमीशन के मेम्बरान हवाई जहाज से दिल्ली से परवाज करते हुए पंजाब पहुंचे तो उनको वहां की पंजाबी बोली का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और हमारे पहाड़ों के रहने वाले लोगों की जबान का भी खयाल नहीं रहा । हरियाना प्रान्त वालों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंची । मैं कमीशन की और भी ज्यादा मदद करने के लिए तैयार हूं । वह मदद क्या है ? मौजूदा पंजाब को वैस्टर्न पाकिस्तान से बहुत खतरा है और इस कारण उन्होंने तो सिर्फ पेप्सू और हिमाचल प्रदेश को ही उसमें मिलाया है लेकिन मेरी तजवीज है कि राजस्थान की बेल्ट भी डाल कर हमेशा के लिए यह खतरा दूर कर दिया जाय । इससे भी अगर पंजाब के लोगों को तसल्ली न हो तो दिल्ली भी पंजाब में मिला दिया जाय ताकि पंजाब वालों की बादशाहत दिल्ली तक पहुंच जाय और मुगलिया जमाना उनको याद आ जाय ।

एक माननीय सदस्य : इससे आगे भी क्यों नहीं ?

श्री गोपी राम : अगर इससे भी कमीशन के हिन्दू दिमाग को तसल्ली न हो तो मेरा कहना यह है कि यू० पी० और राजस्थान को भी सारा मिला लिया जाय । और पूरा कोह हिमाचल नं० २ बना कर पंजाब को दे दिया जाय ।

चेयरमैन साहिबा अब मैं ईस्टर्न पाकिस्तान की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं । चाहिये तो यह था कि जहां पंजाब को वैस्टर्न पाकिस्तान के खतरे से बाहर किया वहाँ बगाल और आसाम को ईस्टर्न पाकिस्तान के खतरे से बाहर करने के लिए दोनों को मिला कर पूरी एक ईस्टर्न बाऊंडरी खींची जा सकती थी और जिससे ईस्टर्न पाकिस्तान के खतरे से बाहर हुआ जा सकता था । लेकिन वहा लैंगवेज के आधार को माना गया, कमीशन ने वहां लैंग्वेज की बिना पर दो सूबे बनाना आरम्भ कर दिया । जो बंगाली बोले वह बंगाली सूबे में और जो आसामी बोले वह आसामी सूबे में । आखिर क्या मामला है ? साफ जाहिर है कि पंजाब के बारे में कमीशन का फैसला नामुनासिब रहा है और यह फैसला प्रेजुडिस्ट माइन्ड से दिया गया है । असलियत यह है कि कमीशन के चेयरमैन साहब, श्री फजले अली का जो नोट हिमांचल प्रदेश के बारे में है वह एक सही और मुनासिब फैसला है । हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, हमारी जबान पहाड़ी है । अगर मैं अपनी बोली को यहां बोलना शुरू कर दूं, हालांकि मैं आप का टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, तो आप के पास रिपोर्टर नहीं मिलेंगे ।

हमारे लोग अमन पसन्द हैं। आज भी हमारे इलाके में लोग घरों में ताले नहीं लगाते हैं। हजारों भेड़ों के गिरोह को दो ही चार आदमी लेकर चलते हैं। आप वहां पर रात भर सफर कीजिये, आप को कोई खतरा नहीं है। जरा मेरे भाई पंजाब का सफर कर के बता दें कि उन के सफर में क्या बीती। उनके पास रिवाल्वर भी होगा, उस को भी ले लें। जो जेब के अन्दर होगा या न भी हो तो भी उस के लिये आप की जान चली जायेगी। यह नक्शा हमें पंजाब में दिखने वाले हैं।

हिमाचल प्रदेश की असेम्बली के ३८ मेम्बरान ने इस कमीशन की रिपोर्ट पर वोटिंग की। ३८ में से ३४ मेंम्बरों ने हिमाचल प्रदेश के रिटेन्शन के हक में वोट दिया। सिर्फ चार मेम्बरान ने उस के खिलाफ वोट दिये। लेकिन ३८ मेंम्बरों में से वे चार मेम्बर कौन हैं? मेरे दोस्त राजा साहब बिलासपुर यहां नहीं हैं, वह उन के चेले हैं। अगर आप चेले का मतलब नहीं समझते तो वह लोग हैं जो कि उन की पार्टी के हैं। यह वह लोग हैं जिन को वेस्टेड इन्टरेस्ट ने पैदा किया है, तैयार किया है। यह लोग नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश में प्रोग्रेसिव कानूनों को लागु किया जाये। वह समझते हैं कि पंजाब में जाकर वह बच जायेंगे, उन की जमीनें बच जायेंगी।

हिमाचल प्रदेश की बुनियाद एक तवारीखी वाक्या है। लगभग ३० पहाड़ी रियासतों का यह मजमुआ सन् १९४८ में वजूद में आया। हमारे नेताओं की मेहरबानी से हमें पंजाब के पंजे से छुड़ाया गया। मैं आप की आज्ञा से इस माननीय संसद् का ध्यान भारत सरकार के उस वायदे की तरफ ले जाना चाहता हूं जिस को इस प्रेजुडिस्ड माइन्ड ने नजरअन्दाज किया है। मैं आप को पढ़ कर सुनाता हूं।

भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रेंस के उपाध्यक्ष डा० पट्टाभि सीतारामैया को दिनांक १० मार्च, १९४८ को एक पत्र के उत्तर में लिखा था : इस क्षेत्र को स्वायत्त शासी प्रान्त बनाना ही सरकार का अन्तिम उद्देश्य है, यह उद्देश्य दो अवस्थाओं में पुरा होगा। प्रथम, एक प्रशासक जो कदाचित मुख्य प्रशासक का समकक्षी जिसे मंत्रणा परिषद् सहायता करेगी। इसके बाद, संविधान सभा के निर्णयाधीन, यह प्रस्ताव है कि प्रशासन लेफ्टीनेंट गवर्नर के अन्तर्गत रहेगा जिसे प्रान्त के विधान मंडल तथा राजाओं की मंत्रणा परिषद् सहायता करेगी। जब यह क्षेत्र प्रशासन एवं संसाधनों में पूर्ण रूप से विकासित हो जायगा इसका विधान भारत के किसी भी अन्य प्रान्त के समान कर दिया जायेगा।

सरदार पटेल जी के लफ्जों से साफ जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश जब डेवेलप हो जायेगा तो फुलफ्लेज्ड् स्टेट इस देश का बन सकता है इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों को हमेशा से एक्स्प्लायेट किया गया है। कांगड़े और गढ़वाल के मुन्डू आप को हर एक मेम्बर के घर के बर्तन साफ करते हुए मिलेंगे काश्मीर के हातों से भी आप वाकिफ होंगे क्योंकि वह भी मजदूर तबका है। श्री टेकचन्द जी के भाषण से साफ जाहिर है, शायद वह परसों वाले हैं, कि पंजाब के लोग पहाड़ी लोगों के साथ क्या सुलूक करते आ रहे हैं और आइन्दा किन के थेर्टस की तहत वह पंजाब में हिमाचल प्रदेश को मिलाने की तजवीजें कर रहे हैं। श्री टेक चन्द जी के अपने लफ्जों में देखिये उन्होंने फरमाया कि पंजाब के एक सुपरिन्टेन्डेन्ट के स्टेटस का आदमी हमेशा इन पहाड़ी रियासतों को रुल करता रहा है। आज भी वह वही ख्वाब देख रहे हैं। मेरे दोस्त बहुत मुदब्बर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, कुछ दिन पहले वह हाई कोर्ट के जज बनने जा रहे थे, और उससे भी ज्यादा शानदार हैसियत यहां पाने वाले थे, लेकिन नहीं पा सके। उनकी बदकिस्मती है,

[श्री गोपी राम]

मुझे उन से हमदर्दी है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि भारत देश में सात समुद्र पार के लोग कई सदियों तक राज्य कर गये और आज भी इस देश के कई मक्बूज़ात पर बाहर के लोगों का कब्जा है। श्री टेकचन्द जी ने हमारे हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर के भाषण से कुछ कोटेशन पेश किये हैं। हमारे मिनिस्टर साहब ने इस रिपोर्ट के कंसिडरेशन के वक्त हिमाचल प्रदेश की विधान सभा में हिन्दी में स्पीच देते हुए कहा कि अगर हम पहाड़ी लोगों को पंजाब में मिला दिया गया तो उनकी बदकिस्मती होगी। उन्होंने यह फरमाया था कि हम उस को हर्गिज पंजाब में नहीं मिलने देंगे। लेकिन उसका तर्जुमा श्री टेक चन्द जी ने अपनी स्पीच में बतलाया। उन के मुदव्वर दिमाग ने "टूथ ऐंड नेल" का तर्जुमा यह किया कि हम उनके दांतों को भी उखाड़ देंगे और उन के नेल को भी उखाड़ देंगे जो कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब से न मिलायेंगे। मैं कहता हूं कि ऐसे दिमाग को जिसमें ऐसा भेजा भरा हुआ है, यह शोभा नहीं देता।

आज हिमाचल को बतौर कैचमेन्ट एरिया के मांगा जा रहा है, अच्छा भई है। सदियों तक हिन्दुस्तान अंगरेजों का कैचमेन्ट एरिया रहा, पांडिचेरी फ्रांसीसियों का कैचमेन्ट एरिया रहा, पुर्तगाल आज भी गोवा को कैचमेन्ट एरिया बनाये हुए है। हमारे हिमाचल का तो कहना क्या। यह पंजाब के बनिये हज़ारों साल से कैचमेंट करते आये हैं और क्या अभी भी उनको आज बीसवीं सदी के अन्दर तसल्ली नहीं हुई।

चेयरमैन साहिबा, इन चन्द सालों के अन्दर आज़ादी के मिलने के बाद से हमारे नेताओं की वजह से हिमाचल प्रदेश ने भारी तरक्की की है डिवैलेपमेंट के फील्ड में। हिमाचल प्रदेश का लैंड रिफार्म्स ऐक्ट जो पास हुआ है यह एक बहुत भारी प्रोग्रेसिव स्टैप है। इस एनेक्टमेंट से बहुत से गरीब लोगों को और खास तौर से हरिजनों को बहुत फायदा पहुंचा है। मैं इस सदन से आपके द्वारा इल्तजा करूंगा कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों के सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हिमाचल को किसी सूरत में भी इन पंजाबी बनियों को न दिया जाए। हमें सिखों से कोई खतरा नहीं लेकिन जालंधर डिवीजन के आर्य समाजियों से ज्यादा खतरा है।

एक माननीय सदस्य : अब सरदार साहब बड़े खुश हैं।

सरदार हुक्म सिंह : असली बात प्रकट होने पर खुश क्यों न हों ?

श्री गोपीराम : मैं हिमाचल प्रदेश को अलहदा रहने देने की मांग के बारे में एक छोटा सा श्लोक आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि संस्कृत पढ़े हुये लोग मुझे अगर उसमें कोई गलती करूं तो क्षमा करेंगे।

वरं वने व्याघ्र गजेन्द्र सेवितं,
दुःखालये पक्व फलाम्बुभक्षणम्।
तृणानि शय्या परिधान वल्कलम्,
पंजाब मध्ये न वरं हिमाचलम्।

इसका अर्थ है कि जंगलों में रहना अच्छा है जहां शेर और हाथी रहते हैं, कन्द मूल खाकर गुज़ारा करेंगे और तिनके की शैय्या पर सो लेंगे मगर हिमाचल प्रदेश का पंचजाब में मिलाना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सवाल उठाया जाता है कि हिमाचल की आबादी कम है। इसके बारे में अब मैं चन्द अल्फाज़ आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूं। आप मुझे क्षमा करेंगी अगर मैं यह कहूं कि केरल नई स्टेट तजवीज़ हुई है। उसका एरिया १४,००० वर्गमील के करीब है। इसके मुकाबले में हमारे हिमाचल प्रदेश का एरिया ११,००० वर्गमील है, कमोबेश मिलत

जुलता ही है। लेकिन आबादी का बड़ा भारी अन्तर है। केरल की आबादी १३० लाख के करीब बनती है लेकिन हिमाचल की आबादी १० लाख के करीब ही है या ११ लाख है। में आज इस सदन को यकीन दिलाता हूं कि अगर पांच बरस का अर्सा हम को दिया गया और गैटर की एड हमको पुरी मिलती रही तो हम केरल की आबादी को बीट कर जायेंगे। चेयरमैन साहिबा, तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हम आबादी को बाहर एक्सपोर्ट करने के भी काबिल हो जायेंगे।

इन लफ्जों के साथ मैं आपके थ्रू इस सदन से निवेदन करूंगा कि हिमाचल के बारे में जब वह सोचे तो यह जरूर सोच लें कि हम भोले भाले लोग हैं, पिछड़े हुऐ भी हैं लेकिन हम चन्द सालों में अपने प्रदेश को डवेलेप करके भारत का स्विटज़रलैंड बनाने वाले हैं और हम इस दौड़ में किसी से भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। हम आप ही के काम आयेंगे हम आपको लकड़ी देंगे, आपको फ्रूट देंगे और अगर अच्छी तरह से मशीनरी के लिहाज़ से भी अगर हमारा प्रदेश डवेलेप हो गया तो घड़ियां भी आपको भेजेंगे।

श्री राधा रमन (दिल्ली नगर) : आयोग का यह प्रतिवेदन लगभग दो वर्षों की कड़ी मेहनत का फल है। इस आयोग के सदस्यों को सभी दलों का विशवास प्राप्त है : आयोग ने देश को अधिक सदृढ़ और प्रशासन को अधिक साधन सम्पन्न बनाने का उद्देश्य ही अपने सामने रखा है। उसने भाषा, संस्कृति, एकरूपता, आर्थिक जीवन अदि का विचार भी सामने रखा है, पर प्राथमिकता राष्ट्रीय हितों को ही दी गई है। उसने कोई पक्षपात नहीं किया। उसका प्रतिवेदन राज्यों के पुनर्गठन की कई समस्याओं के समाधान पेश करता है : इनमें से कई समाधान तो देश के हित में हैं उसकी कई सिफ़ारिशों के बारे में देश में उठने वाले मतभेद को दुर्भाग्य ही कहना चाहिय।

इस प्रतिवेदन पर अपार धन,श्रम, और समय खर्च किया गया है और इसमें बड़ी अधिक जानकारी इकट्ठी की गई है। फिर भी इसके बारे में कुछ मतभेद खड़ा हो गया है। लेकिन इसके विरुद्ध जाने वाली राये हमें समस्याओं को सुलझाने में मदद नहीं देतीं। इसलिये, हमें इन सिफारिशों को इसी रूप में मान लेना चाहिये।

पिछले दो वर्षों से तमाम प्रादेशिक मांगें उठ रही हैं, जैसे विशाल आन्ध्र, संयुक्त महाराष्ट्र, महादिल्ली, आदि। बहुत थोड़े से लोगों ने भारत की एकता की ओर ध्यान देते हुए महान् भारत को बात सौंपी है। दिल्ली की जनता विशाल दिल्ली की मांग के पीछे नहीं है। यह नहीं है कि हम दिल्ली को विशाल नहीं बनाना चाहते, पर हम दूसरे राज्यों से प्रदेश निकाल कर इसमें नहीं जोड़ना चाहते। हम उसे देश भर का गोरव अवश्य बनाना चाहते हैं। लेकिन अब और अधिक बहस से कोइ भी लाभ न हो सकेगा ओर हमें हर हालत में इसे २३ दिसम्बर तक निबटा कर निर्माण के कार्य में रत हो जाने का निश्चय कर लेना चाहिये।

दिल्ली के लिये आयोग की सिफारिश है कि उसके वर्तमान देहाती क्षेत्र अन्य बड़े राज्यों में जोड़ दिये जायें। यह उचित नही होगा। दिल्ली एक विकासशील नगर है। उसे देश की आत्मा का एक दर्पण बनना चाहिये। उसकी आबादी बढ़ती ही जा रही है इसी से, आगे चलकर इसको देहाती क्षेत्रों की आवश्यकता कुछ कम नहीं होगी बढ़ती हो जायेगी। मैं यह नहीं कहता कि इस में और राज्यों के प्रदेश काट कर मिला दिये जाय, पर यह अवश्य कहता हूं कि इसके भावी–विकास की आवश्यकतायों को ध्यान में रखा जाये क्योंकि इसके केन्द्र द्वारा शासित रहने पर भी बाद में आवश्यकतानुसार और अधिक प्रदेश जोड़ना कठिन होगा।

मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि आयोग 'क', 'ख' और 'ग' राज्यों और राज़ प्रमुखों को हटाने के बारे में हमसे एकमत है।

[श्री राधा रमन]

आयोग ने अपने प्रदिवेदन में हमारी राय मान ली है। 'ग' राज्यों को हटाने से कई और कमियां दूर हो जायंगी। किसी बड़े राज्य का भाग बन जाने पर उनकी कोई हानि भी नहीं होगी। उनके अधिकार और उनकी स्वायत्तता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। लेकिन, दिल्ली, मनीपुर और त्रिपुरा जैसे केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों की स्थिति तब दूसरी हो जायेगी। इसलिये उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आयोग ने कुल १६ राज्यों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। सभी 'ग' राज्य बड़े राज्यों में मिला दिये जायेंगे। इस संविलयन से उनमें एक ही कमी आयेगी—स्वतन्त्र विधान सभा की। शेष सभी अधिकार विशेषाधिकार और सुविधायें जैसी की तैसी रहेंगी। उन्हें विकास की और अधिक सुविधायें मिल जायेंगी। लेकिन, केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों की यह स्थिति नहीं होगी। उन्हें सभी के साथ मिल कर विकास करने के अवसर से वंचित रखा जायेगा। इसीलिये, दिल्ली पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राजधानी होने के कारण, केन्द्र उस पर अपना पूरा-पूरा नियंत्रण रखना चाहता है। उसमें जनतान्त्रिक व्यवस्था की आवश्यकता भी नहीं समझी गई है, बस आजकल की स्थिति में इतना अन्तर रखा गया है कि एक निगम बना दिया जायेगा। पता नहीं यह निष्कर्ष कैसे निकाल लिया गया है। अभी चार वर्ष भी नहीं हुए जब लाला देशबन्धु गुप्ता ने दिल्ली के लिये जनतान्त्रिक व्यवस्था की मांग की थी। दिल्ली तब भी राजधानी थी। उसको तब भी आज की सभी सुविधायें प्राप्त थीं। लेकिन तब भी, सभा ने दिल्ली को एक अलग राज्य बनाने का ही फैसला किया था। पता नहीं यह स्थिति कैसे बदल गई। पता नहीं राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस विचार से ऐसी सिफारिश की है।

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में दिल्ली के सम्बन्ध में जो तर्क दिये हैं, वे सभी तर्क पहले भी दिये गये थे और उन सबके बाद भी दिल्ली को एक अलग राज्य बनाने का ही निश्चय किया गया था। इसीलिये, मेरा कहना है कि आयोग ने दिल्ली की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि देना चाहिए था।

आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि दिल्ली के लिए निगम बनाना आवश्यक है। ठीक है, इसे सभी मानते हैं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों के लिये दो अलग-अलग निगम होने चाहियें। शायद इसी कारण से अलग राज्य बनने के बाद भी दिल्ली में अब तक निगम नहीं बन सका। हम तो पूरी दिल्ली के लिये केवल एक ही निगम चाहते हैं।

मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम दिल्ली के लिये किसी विशेष प्रकार की जनतांत्रिक प्रणाली का आग्रह नहीं करते। हम अभी केवल यही चाहते हैं कि दिल्ली का दर्जा ऊंचा किया जाये और उसे अधिक प्रभावशाली बनाया जाये। उसके लिये एक उपयुक्त प्रणाली विकसित करना, हमारा नहीं संवैधानिक पंडितों का काम है। हम इसे भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दिल्ली और अन्य केन्द्र द्वारा प्रशासित प्रदेशों में अन्तर है। दिल्ली की जनसंख्या लगभग २० लाख है और वह बढ़ती ही जा रही है। यहां की एक अपनी संस्कृति है और यहां देश की लगभग सभी भाषायें बोली जाती हैं। इसीलिये, आयोग को इस पर कुछ और अधिक ध्यान देना चाहिये था।

हम अभी तक केन्द्र की आज्ञाओं का पालन करते रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। दिल्ली केन्द्र द्वारा ही शासित रहे। हम राजधानी में कोई भी अव्यवस्था फैलाने वाला काम नहीं करना चाहते। इसीलिए इस पर पूरी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये और तीन चार वर्ष पूर्व किये गये निर्णयों को बनाये रखना चाहिये।

मैं केवल सभा की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि दिल्ली के लिये अपनी सरकार की मांग १९१८ से की जा रही ह । १९१८ में राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन म स्वर्गीय राय साहब प्यारेलाल ने एक संकल्प रखा था जिसमें कांग्रेस ने जोरदार सिफारिश की थी कि दिल्ली एक अलग प्रान्त बनाया जाय, उसमें मुख्य आयुक्त की सहायता के लिये एक विधान परिषद् हो और विधान सभा में उसके कम से कम दो प्रतिनिधि हों । इस प्रकार १९१८ से दिल्ली की जनता लोकतन्त्रात्मक अधिकारों की मांग करती रही किन्तु १९५१ में ये अधिकार दिए गये और दिल्ली को भाग 'ग' राज्य का दर्जा दिया गया ।

सम्भव है कि विगत तीन वर्षों में हमने जो कुछ अनुभव प्राप्त किया है वह संतोषजनक या । आशाओं के अनुसार न हो, किन्तु इस कारण वह सिद्धान्त नहीं बदल दिया जाना चाहिये जिसके आधार पर एक अलग स्थान दिया गया था । जहां तक अनुभव का प्रश्न है, मैं यहां तक कहता हूं कि वह सर्वथा बुरा अनुभव नहीं था । अधिकतर पुराने नेता नहीं रहे और सारा बोझ नवयुवकों पर पड़ा फिर भी तीन चार वर्षों में उन्होंने अनेक बातें सीखी हैं । मुझे आशंका है कि यदि दिल्ली जनता के लोकतन्त्रात्मक अधिकार छीन लिये गये और दिल्ली को अपनी वर्तमान स्थिति से वंचित किया गया, तो हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

यह कहा गया है कि दिल्ली एक छोटा राज्य होने के कारण यदि उसे एक अलग स्थान दिया गया, तो वह वित्तीय दृष्टि से एक बोझ होगा । ये सब तर्क पहले भी रख गये थे और अब भी रखे जा सकते हैं किन्तु उनमें कोई तथ्य नहीं है । आपने देखा ह कि दिल्ली आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बन सकता है। केन्द्र के उत्तर दायित्व के कारण अथवा केन्द्र के यहां होने के कारण उस पर का सारा बोझ हटा लिया जाय, तो वह निश्चय ही आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकता है । अतः सभा से और सदस्यों से मेरा निवेदन है कि दिल्ली के मामले की उतनी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये जितनी कि आयोग ने की है और वे सब तर्क जिनके कारण आयोग ने ऐसा निर्णय दिया है, दिल्ली को अपना न्याय्य और उचित स्थान प्राप्त करने में बाधक नहीं होने चाहियें ।

अन्त में मैं कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ जिससे हमें इस विषय में अंतिम निर्णय करने में सहायता मिले । उत्तरदायी सरकार के लिये दिल्ली की मांग १९१८ से जा रही है जब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल्ली अधिवेशन में इस आशय का एक संकल्प पारित किया था । यदि दिल्ली को केन्द्र प्रशासित क्षेत्र बनाया गया तो उसका अर्थ यह हीगा कि उसे उसके उचित स्थान से वंचित किया गया है । उस दशा में वह आत्म विहीन शरीर की तरह निर्जीव होगी । दिल्ली वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर राज्य रहा है और रहेगा । इस नगर के भावी विकास और विस्तार को ध्यान में रखते हुए कम से कम २० मील घेरे का क्षेत्र दिल्ली की वर्तमान सीमाओं में मिला दिया जाना चाहिये । ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां संघीय राजधानी और एक राज्य की राजधानी एक ही स्थान पर बिना किसी कठिनाई के स्थित है । इस लिये यहां भी दिल्ली राज्य और साथ साथ राजधानी दोनों एक साथ रह सकते हैं । एक निगम या नगर परिषद या शक्तिशाली दिल्ली-कार्य के लिये एक केन्द्रीय मंत्री जनता के प्रतिनिधियों से बनी जनता की सरकार का स्थानापन्न नहीं हो सकता । एक नियम और राज्य सरकार साथ साथ रह सकते हैं और रहने चाहिये । वे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भर रहे । दिल्ली में प्रशासन का लोकतंत्रात्मक ढ़ंग होना चाहिये और उसे "राजधानी-राज्य" कहा जा सकता है और उसे राज्य के स्तर पर उत्तरदायी सरकार दी जानी चाहिये ।

[श्री राधा रमन]

अनेक बार यह कहा गया है कि दिल्ली के राजधानी होने के कारण और इस कारण कि भारतीय संघ के अनेक उत्तरदायित्व हैं उसे एक अलग राज्य नहीं रखा जा सकता। हमारा लोकतंत्र एक जीवित लोकतंत्र है और हम उसके लिये नया ढंग ढूंढ़ रहे हैं। अनेक देशों में और अनेक स्थानों पर नये ढंग निकाले जा रहे हैं। मैं कोई कारण नहीं देखता कि हम अपने देश में एक नया ढंग क्यों नहीं ढूंढ़ सकते जो केन्द्र को और साथ ही साथ दिल्ली की जनता को स्वीकार हो, दुनिया की अनेक राजधानियों में जैसे टोकियों, ओटावा, बर्न आदि में अपनी सरकार है। यदि हम आयोग की दिल्ली संबंधी सिफारिशों को मान लें, तो मुझे आशंका है कि हमें अपने उचित स्थान से वंचित किया जायगा। इस प्रकार दिल्ली के शासन में हमें अपना सहयोग देने से वंचित किया जायगा। मुझे विश्वास है कि मैंने जो कुछ कहा है और मेरे अन्य मित्र जो कुछ कहेंगे उसके कारण दिल्ली के मामले की ओर अधिक ध्यान दिया जायगा।

श्री बो० के० रे (कटक) : मैं विशेष उड़ीसा की ओर से उड़ीसा का मामला सभा के विचारार्थ रखना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री की इस बात से कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें अन्तिम रूप से निर्णयात्मक नहीं है, हमें धीरज होता है कि पीड़ितों की सुनवाई के लिये अभी और अवसर दिया जायगा। ऐसे विवादास्पद विषय की चर्चा के लिये बहुत शांत और गम्भीर वातावरण होना चाहिये। यह कह कर कि उड़ीसा के कुछ दावे हैं, मैं बिहार का कोई क्षेत्र उठा नहीं सकता।

आयोग के सभी सदस्य न केवल उच्च-कोटि के और सम्माननीय व्यक्ति हैं बल्कि उनके निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। किन्तु हमें यह नहीं समझना चाहिये कि ये मानव नहीं हैं और गलती नहीं कर सकते और मैं यह कहूंगा कि उन्होंने भूल की है। उनकी गलती का ज्वलन्त प्रमाण यह है कि उन्होंने वर्तमान बिहार के कुछ क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश में पड़ने वाले कुछ अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में उड़ीसा के दावों पर विचार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि बीस साल पहले जो कुछ किया गया है वह हमारे लिये पर्याप्त है। उनके कथनानुसार हमें वहीं रहना चाहिये जहां हम वर्ष १९३४ में थे। यदि दुनिया में, परिस्थितियों में, या भारत में के राजनैतिक मानचित्र में परिवर्तन हुए हैं तो वे हमारे लाभ के लिये नहीं हैं। उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में यही गलती उन्होंने की है।

इस प्रतिवेदन के आधारभूत सिद्धान्त ढूंढने के लिये मैंने कई बार यह प्रतिवेदन किन्तु मुझे ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं मिला। इसमें सन्देह नहीं कि प्रतिवेदन के प्रारम्भिक अध्याय में राज्यों के पुनर्गठन और राज्यों की सीमाओं के निर्धारण के लिये अनेक आधारभूत सिद्धान्त बनाये गये हैं। इन सिद्धान्तों पर के सम्बन्ध में कांग्रेस और भारत सरकार द्वारा स्थापित अनेक समितियों के प्रतिवेदनों से भी सहायता ली गयी थी, किन्तु कोई निश्चित सूत्र निर्धारित नहीं किया गया। भारत की एकता और सुरक्षा को कहीं से कोई खतरा नहीं था, केन्द्र में और राज्यों में प्रशासन भी बड़े अच्छे ढंग से चल रहा था, फिर एकाएक राज्यों के पुर्गठन के लिये एक आयोग स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? केन्द्रीय प्राधिकारी और नेतागण यह जानते थे कि राज्यों की विद्यमान रचनायें भाषावार एकता की कमी है। स्वतन्त्रता प्राप्त होने और लोकतन्त्र लागू किये जाने के बाद यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि एक भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक लोग एक ही सीमा के अन्दर रहने वाले और दूसरी भाषा

बोलने वाले लोगों पर शासन करते हैं। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि संविधान में सभी संरक्षणों के बावजूद वहां भेदभाव और असन्तोष है। पहले के राज्यों के बीच सीमाओं के पुनर्समन्वय में भारतीय एकता या भारतीय सुरक्षा का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है ? उन्हें कोई प्रादेशिक सूत्र निर्धारित करना चाहिये था। उन्होंने अनेक सिद्धान्तों की चर्चा की है किन्तु प्रत्येक के बारे में उन्होंने अन्त में यह कहा है कि वही एकमात्र कसौटी नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रतिवेदन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है जो मेरे विचार से उनके स्वविवेक और मनमाने ढंग में बदल जाता है। उसका परिणाम यह हुआ है कि उन्होंने तदर्थ आधार पर कतिपय विभाजनों की सिफारिश की है। सभा में कहा गया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने और बहुसंख्यक दल द्वारा अल्पसंख्यक दलों का उत्पीड़न रोकने के लिये, राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक है जिससे भाषावार एकता हो। जहां तक भारत की एकता या सुरक्षा और भारत के आर्थिक विकास के प्रश्न का सम्बन्ध है उन पर विचार तभी किया जाना चाहिये जब यह मालूम कर लिया जाय कि इन बातों के कारण भाषा के आधार पर सीमाओं का पुनर्समन्वय असम्भव है अथवा नहीं। यदि उन्होंने कोई निश्चित सिद्धान्त या मापदंड अपनाया होता तो इस कारण इतना असन्तोष उत्पन्न न हुआ होता। ऐसी केवल दो या तीन सिफारिशें हैं जैसे मध्यप्रदेश राज्य का पुनर्गठन अर्थात् सभी हिन्दी भाषी क्षेत्रों को एक प्रशासन के अधीन लाना, और केरल तथा कर्नाटक राज्यों का निर्माण, जिन पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। अन्य भागों के सम्बन्ध में, मुझे न्याय विषयक चिन्ता दिखायी पड़ती है। उदाहरण के लिये, सभी महाराष्ट्रियों को एक राज्य में रखने और उन्हें बम्बई शहर भी देने में कोई खतरा नहीं है क्यों कि यह स्पष्ट है कि भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र और बम्बई नगर एक इकाई है। उसे द्विभाषी राज्य बनाना या उसे गुजरात या महाराष्ट्र को देने के बारे में निर्णय की अस्थिरता न्याय विषयक चिन्ता के कारण ही है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बंगाल को राष्ट्र के लिये बहुत हानि उठानी पड़ी है और राष्ट्र के लिये उसका विभाजन हुआ है। अतः राष्ट्र को उसकी भरपाई करनी चाहिये। उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल को एक राजपथ से जोड़ना पर्याप्त नहीं है। दार्जिलिंग और अन्य क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र हैं। अतः किसी बाह्य आक्रमण से इन सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा के लिये उस राज्य सरकार को पर्याप्त सुविधाएं दी जानी चाहियें। इसके लिये क्या उत्तर से दक्षिणी बंगाल तक केवल एक राजपथ पर्याप्त होगा ? अतः उसमें पर्याप्त क्षेत्र जोड़े जाने चाहियें और वे ऐसे होने चाहियें जिनका विकास किया जा सके और जो बंगाल में सम्मिलित किये जा सकें, जिससे कि सम्पूर्ण राज्य एक रूप हो। जहां तक मानभूम और डालभूम का सम्बन्ध है, वे अनेक प्रकार से बंगाल के साथ जोड़े गये हैं। उनके अधिकतर निवासी बंगाली हैं और वहां बंगाल की परम्परा प्रचलित है। काफी समय तक, कम से कम १९१२ तक, वे बंगाल प्रेसीडेन्सी के भाग थे। यदि उन्हें मानभूम दिया जाता है, तो डालभूम भी क्यों न दिया जाय ? मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में कितनी असंगत और तर्क विहीन बातें हैं। यह बात नहीं कि प्रतिवेदन में तर्क संगत प्रस्थापनाएं कोई नहीं हैं, किन्तु जहां जनता पर उनका गम्भीर प्रभाव पड़ता है, हमें सावधान रहना चाहिये। बिहार में उड़ीसा के दावे के सम्बन्ध में क्या

[श्री बी० के० रे]

कहा गया है ? चूंकि हम बंगाल को डालभूम नहीं दे रहे हैं अतः वह अन्य किसी राज्य को भी नहीं दिया जाना चाहिये । आयोग ने ऐसा कहा है क्योंकि वे यह सोचते हैं कि डालभूम एक समावृत्त बस्ती बन जायगी । यदि राज्यों के पुनर्गठन में आप कोई समावृत्त बस्ती नहीं छोड़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की समावृत्त बस्तियों और उन बस्तियों के लिये जो उड़ीसा में अब भी रहेंगी, आपका क्या उत्तर है ? कुछ बस्तियों में मध्यप्रदेश स्वतः प्रशासन नहीं चला सकता क्योंकि सीमा शुल्क तथा अन्य कई अधिकार क्षेत्र उड़ीसा सरकार को दिये गये हैं । उड़ीसा के सम्बन्ध में एक अलग प्रान्त बनाने के लिये ३०–४० वर्षों से आन्दोलन चल रहा था और १९३६ में वह स्वीकार किया गया । उस समय गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच पत्र व्यवहार हुआ था और उसके लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था । उन परिस्थितियों में जो कुछ निर्णय किया गया था उसमें आयोग हस्तक्षेप करने के लिये तैयार नहीं है । एक मामले में, हमें यह क्षेत्र जो निश्चित रूप से उड़िया क्षेत्र है, नहीं दिया गया है क्योंकि वे कहते हैं कि उससे एक समावृत्त बस्ती बनेगी किन्तु उसी समय अनेक ऐसी बस्तियां मध्य प्रदेश में रखी गयी हैं ।

अब तक मैंने प्रतिवेदन की सामान्य विशेषताओं का विवेचन किया है । कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में, उन्होंने निश्चित ही गलत निर्णय किये हैं । उन्होंने कुछ सिद्धान्तों को भी परिभाषा दी है । संस्कृति की परिभाषायें भाषा, विचार, मत, विश्वास आदतें और जीविका के ढंग सम्मिलित हैं । राज्यों के या सीमाओं के पुनर्समन्वय में उन्होंने निस्सन्देह भाषावार समग्नता भौगोलिक एकता और एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने की सुगमता का विश्वास दिलाने वाले संचार साधनों का समन्वय, और ऐतिहासिक सम्बन्धों का ध्यान रखा है । किन्तु इस सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत उन्होंने यह कहा है कि सरायकेला और खरसवान बिहार में ही रखा जाना चाहिये क्योंकि कुछ समय के लिये वह बिहार या छोटा नागपुर के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अधीन था । सभा को यह जानकर आनन्द होगा कि इसी मुख्य आधार पर उड़ीसा के मामले का निर्णय किया गया है और यह कहा गया है कि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि इन दो राज्यों में प्रशानिक सम्बन्ध है अथवा वे छोटा नागपुर डिवीजन के अधीन थे ।

देशी राज्यों के विलय के बारे में उन्होंने पैरा २३९ में कहा है कि केवल इस आधार पर कि कोई विद्यमान इकाई कुछ घटनाओं के कारण अथवा किसी ऐसी बात जैसे राजनैतिक रियायत, भौगोलिक पृथक्ता, सीमावर्ती स्थिति अथवा आर्थिक पिछड़ापन आदि के कारण राजनैतिक विकास से वंचित रह गई हो, तो उसके पक्ष में कोई चिरभोगाधिकार स्वीकार करना गलत होगा । इसका अर्थ यह है कि यदि इनमें से किसी आधार पर कोई देशी राज्य उस समय किसी राज्य या प्रान्त में विलीन किया गया हो तो उस आधार पर उसे कोई चिरभोगाधिकार नहीं दिया जाना चाहिये । यही उनकी प्रस्थापना है । इन राजनैतिक तथा अन्य घटनाओं के कारण यह विचार किया गया था ये क्षेत्र बिहार सरकार द्वारा प्रशासित होने चाहियें ।

इसके पश्चात् मैं उड़ीसा द्वारा मांगे जा रहे उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में कहूंगा जो बिहार में हैं । आयोग के सदस्यों का कहना है कि सरायकेला, खरसवान तथा सदर उप-मंडल (सब-डिवीजन) अंग्रेजी शासन के दौरान में छोटा नागपुर उप-मंडल द्वारा प्रशासित होते थे इसलिये ये अब भी बिहार में रहन चाहियें । ऐतिहासिक दृष्टि से सिंहभूमि, सरायकेला, तथा खरसवान उत्कल राज्य में सम्मिलित थे और प्राचीन उत्कल में ओद्र तथा वर्तमान बालासोर, मिदनापुर, मानभूम, सिंहभूम

के जिले और उनके आसपास के क्षेत्र सिम्मिलित थे । उत्कल साम्राज्य में ओद्र उत्तर में वैतरणी नदी से लेकर दक्षिण में वंशधारा तक फैला हुआ था । उड़ीसा एक बड़ा राज्य था तथा यह वहां के निवासियों का दुर्भाग्य था कि इसको सर्वदा टुकड़े टुकड़े करके बांटा गया । सिंहभूम के सम्बन्ध में श्री वाल्टर हैमिल्टन ने अपनी "१९२० में उड़ीसा प्रान्त" नामक पुस्तक में लिखा है कि उड़ीसा के उप-मंडल सिंहभूम, क्योंझार, म्यूरगंज, बालासोर, कटक तथा खुर्दा हैं । इससे अतिरिक्त उन्होंने यह भी लिखा है कि सिंहभूम का एक स्वतन्त्र राजा होता था परन्तु राजनैतिक कार्यों में वह अंग्रेजी शासन के अधीन था ।

इस समय सिंहभूम जिले के तीन भाग हैं---धालभूम, कोल्हन तथा पोराहाट । इतिहास बताता है कि १८५८ तक पोराहाट एक भारतीय राज्य था और क्रान्ति के कारण १८५८ में राज्य, राजा से छीन लिया गया तथा १८९२ में बंगाल में मिला दिया गया । १८९२ में ही यह सिंहभूम जिले में सम्मिलित कर लिया गया ।

बिहार तथा उड़ीसा राज्य १९१२ में बने और १९३६ में उड़ीसा राज्य बन जाने पर ही हमने यह महसूस किया कि हम सिंहभूम से अलग हो गये हैं । आयोग को इतिहास की इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिये था ।

सरायकेला तथा खरसवान के सम्बन्ध में यदि आयोग हमारे ज्ञापनों पर दृष्टिपात करता तो उसको यह जानकारी हो जाती कि उड़ीसा राज्य के अन्य देसी राज्यों के साथ ही इन राज्यों की गिनती १९४८ तक की जाती थी और इनको बिहार से जनता के अभ्यावेदन पर ही लिया गया था ।

इस प्रकार हमें ज्ञात हो जाता है कि सिंहभूम से सम्भलपुर तक छोटे छोटे देसी राज्य थे और अंग्रेजी प्रशासन में गवर्नर जनरल के अभिकर्त्ता द्वारा प्रशासित किये जाते थे । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इनका बिहार से कोई ऐतिहासिक सम्बन्ध नहीं है ।

भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से भी इनका बिहार की भाषा तथा संस्कृति से कोई मेल नहीं है । जनगणना-प्रतिवेदनों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में उड़िया भाषा भाषी अधिक हैं ।

उड़ीसा के सदर उप-मंडल सम्बन्धी दावे के बारे में आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं किया है । उसन केवल सरायकेला तथा खरसवान की चर्चा की है । मानो हमारा दावा केवल इन दो क्षेत्रों के बारे में ही है । हमने सिंहभूम जिले के सदर उप-मंडल की भी मांग की है । सब 'हो' और 'संथाल' और बिहार के ९९ प्रतिशत से अधिक 'हो' अधिकतर सिंहभूम में रहते हैं और कुछ सरायकेला खरसवान में भी रहते हैं । उड़ीसा के सारे हो और संथाल जनसंख्या नम्यूरगंज, क्योंझार और सुन्दरगढ़ जिलों में बटी हुई है । अतः हस्तान्तरित किया जाने वाला क्षेत्रउस क्षेत्र में मिलाया जाना चाहिए जो उसके समाल हो । आप देखेंगे कि उड़िया, हो और संथान भाषाएं तीनों एक जैसी हैं ।

भौगोलिक दृष्टि से, सिंहभूम को शेष बिहार से मिलाने के लिए केवल एक रेलव है किन्तु इसे उड़ीसा के साथ मिलाने के लिए सात बड़ी सड़कें और ६ रेलवे हैं । एक और रेलवे रूरकेला के लिए बनाने का प्रस्ताव है जो कि छैबासा को उड़ीसा के विभिन्न नगरों से मिलायेगी ।

१९५१ के साधारण निर्वाचनों में हो और अन्य आदिम जातियों के लोग स्पष्ट उड़ीसा के साथ संविलयन के पक्ष में थे । सिंहभूम के जिले में, विधान सभा के १२ सदस्यों में से ७ ने सार्वजनिक रूप से सिंहभूम को उड़ीसा के साथ मिलाने के लिए घोषणा की है और इनमें से ७ उस जिले की आदिम

[श्री वो० के० रे]

जातियों के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने यह स्थिति आयोग और भारत सरकार के सामने स्पष्ट कर दी है। अतः हो, संथाल और उड़िया लोग जो इस क्षेत्र की ९९ प्रतिशत जनसंख्या हैं, एक ही समुदाय की तरह रहते हैं। हो और संथाल उड़िया उत्सव मनाते हैं। और उड़िया लोग हो और सन्थाल उत्सव मनाते हैं। हस्तान्तरण के पक्ष में एक और बात भी ह जिस पर विचार किया जाना चाहिए। उड़ीसा की पांच बड़ी नदियों में से एक को छोड़ कर, शेष सब के जलागम क्षेत्र और उपनदियां सिंहभूम में हैं। ये उड़ीसा के जिलों में बहती हैं और इन के कारण सुन्दरगढ़, कटक आदि के जिलों में बाढ़ भी आती है। बाढ़ नियन्त्रण और सिंचाई की योजनएं तभी क्रियान्वित की जा सकती हैं, जब जलागम क्षेत्र और विशेषकर उपनदियों का नियन्त्रण उड़ीसा राज्य के हाथ में हो।

आर्थिक पहलू के बारे में मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। उड़ीसा में हो लोगों के केवल सबन्धी ही नहीं हैं। १९५१ की जनगणना के अनुसार, वे उड़ीसा को प्रव्रजन करते जा रहे हैं, क्योंकि वहां उन्हें काम मिल सकता है।

अतः मेरा निवेदन है कि आयोग ने उड़ीसा के मामले पर ध्यान नहीं दिया। यदि सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए निश्चित किये गये सिद्धान्तों को लागू किया जाये, तो उड़ीसा का दावा न्यायोचित ठहराया जा सकता है। यदि बिहार का ३००० या ४००० वर्गमील क्षेत्र प्रशासनीय रूप से उड़ीसा में मिला दिया जाये, तो भारत की एकता या सुरक्षा को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसके विपरीत ऐसा करने से लोगों की आर्थिक दशा में सुधार होगा।

श्री एस० एम० घोष (मालदा) : पंडित पन्त ने अपने भाषण में यह अनरोध किय था कि भारतीय लोगों की महान एकता को सदा ध्यान में रखना चाहिये। इस के लिए हम उनके आभारी हैं। आचाय कृपलानी भी, जिन्होंने भारतीय लोगों की सांस्कृतिक एकता के पहलू पर ज़ोर दिया था, बधाई के पात्र हैं। किन्तु श्री मोरे से यह सुन कर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ कि प्रशासनीय एकता के लिए हम अंग्रेजों के आभारी हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए था कि भारत यह एकता ईसा के जन्म लेने से पहले ही प्राप्त कर चुका था और उस समय इस का क्षेत्र आज के भारत के क्षेत्र से बहुत बड़ा था। प्रशासनीय एकता के अतिरिक्त एक और पहलू पर भी हम गर्व कर सकते हैं और वह यह है कि मोहेंजादारों के युग से आज तक हमारे जीवन और सभ्यता का नमूना वही चला आता रहा है। यह उन वस्तुओं से मालूम होता है जो मोहेंजादारों से मिली हैं आर्थिक, आध्यात्मिक या सामाजिक क्षेत्रों में जो परम्पराएं हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, उन से भारतीय लोगों के जीवन की एकता का पता चलता है। एकता के प्रश्न पर राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में एक अध्याय है। विभिन्न राज्यों के एक भाषा भाषी अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिये कुछ सिफारिशें की गयी हैं। जब सरकारी नौकरियों को बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोलीजाने वाली भाषा के लोगों के लिये सुरक्षित रखा जायेगा तो अन्य लोगों के मन में असंतोष अवश्य पैदा होगा। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि कुछ नोकरियों को केन्द्रीय सरकार के आधनि कर दिया जाय। हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों में योग्य पदाधिकारियों की बहुत कमी है और कुछ क्षेत्रों में काफी अधिकता है। अतः मैं समझता हूं कि आयोग ने ठीक सुझाव दिया है कि हमें अपनी योजना को ठीक प्रकार कार्यान्वित करने के लिये इन्जीनियरिंग, डाक्टरी और बन सम्बन्धी नोकरियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन कर देना चाहिए। एक भाषा भाषी अल्प संख्यकों के भय और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए भी आयोग ने कुछ सिफारिशें

की हैं जिन्हे राज्यों के पुनर्गठन के पूर्व ही कार्यान्वित कर लेना चाहिए ।

पश्चिमी बंगाल की समस्या की चर्चा करते समय बंगाल का प्रश्न हमारे सामने आता है । हम देखते हैं कि यह पश्चिमी बंगाल हम लोगों ने स्वतंत्रता के बाद बनाया है पुराना बंगाल तो अब भारत में रहा ही नहीं । आज बंगाल जिस रूप में हमें दिया गया है उसकी हालत बहुत दयनीय है अतः हमें बंगाल की समस्या को सब से अधिक महत्व देना चाहिए । मुझे काँग्रेस नेताओं, काँग्रेस कार्यकारिणी समिति और कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त समिति जिसमें पंडित जी, मौलाना आजाद, पंतजी और ढेबरभाई हैं, पर पूरा भरोसा है । मैं आशा करता हूं कि वे वर्तमान समस्या का कोई ऐसा हल जरूर निकालेगें जो सभी को स्वीकार होगा ।

त्रिपुरा के संबंध में भी मुझे एक बात कहनी है । राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि आसाम प्रदेश कांग्रेस समिति, स्थानीय दल, त्रिपुरा राज्य कांग्रेस और आसाम सरकार सभी बहुत काफी हद तक इस पक्ष में हैं कि त्रिपुरा को इसी प्रकार रहने दिया जाय जैसा वह इस समय है । प्रतिवेदन प्रकाशित होने के पश्चात आसाम प्रदेश कांग्रेस के सभापति तथा त्रिपुरा कांग्रेस के सभापति ने पंतजी को एक संयुक्त ज्ञापन दिया क्यों कि आसाम के नेता त्रिपुरा को उसकी इच्छा के विरूद्ध नहीं चाहते और त्रिपुरा के नेता चाहते हैं कि त्रिपुरा अलग रहे । पर यदि देश के हित के लिए त्रिपुरा को आसाम के साथ रखना है तो आसाम सरकार और वहाँ की जनता की ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी कि त्रिपुरा की जनता आसाम में शामिल होने के लिए राजी हो जाय । पंतजी की इस बात को सुन कर मुझे बहुत संतोष हुआ था कि जनता की इच्छा के विरूद्ध कुछ भी नहीं किया जायेगा ।

श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं सरकार से और इस सभा से निवेदन करूंगा कि वह अल्पसंख्यकों और अनुसूचित आदिम जातियों की समस्या को बहुत गंभीरता, सावधानी और समझ बूझ से सुलझायें क्योंकि हो सकता है कि आज अनभिज्ञ होने के कारण अल्पसंख्यक और पिछड़ी पहाड़ी आदिम जातियाँ चुप रहें पर बहुत ही शीघ्र ही वे अपनी आवाज उठाने का प्रयत्न करेंगी जिसे केवल भारत ही नहीं दुनिया को सुनना पड़ेगा । स्वतत्रंता के बाद बहुसंख्यक समुदायों ने हमारे साथ काफी शाब्दिक सहानुभूति प्रकट की है । बड़े बड़े लोग और सरकारी पदाधिकारी अल्पसंख्यकों और आदिम जातियों के लोगों को रसोइया, मेहतर आदि रख लेते हैं क्योंकि उन्हें उनकी इमानदारी पर विश्वास होता है पर इतना ही काफी नहीं है । हमारे लिए कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे हमारे भविष्य का रूप सुधारा जा सकें और हमारी उन्नति हो ।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के संबंध में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं । मनीपुर राज्य कई शताब्दियों से स्वतंत्र रहा है। उसकी भाषा संस्कृति आदि सभी बातें अन्य राज्यों से भिन्न हैं । स्वतंत्रता संग्राम में भी मनीपुर कभी पीछे नहीं रहा है । १९३९ में मनीपुर में ब्रिटिश राज्य के विरूद्ध विद्रोह हुआ था । १९४७ में मनीपुर की जनता नें प्रजातंत्र के लिए वहां के महाराजा के विरूद्ध विद्रोह किया । भारत गणराज्य में मनीपुर में ही सब से पहले निर्वाचित विधान सभा बनी । उससे मिलाते समय मनीपुर की जनता की इच्छा के विरुद्ध वहां की विधान सभा को तोड़ कर वहां मुख्यायुक्त का शासन कर दिया गया । जब जनता ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया तो सरकार ने १९५२ में कुछ नाम निर्देशित व्यक्तियों को परामर्शदाता नियुक्त कर दिया ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुये]

१९५४ में भंग की गयी विधान सभा को फिर से बनाने के लिये सारे राज्य में आन्दोलन हुआ । इन सब

[श्री एस० एम० घोष]

बातों के होने पर भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा । हमें कहा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग मनीपुर के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगा और सरकार उस पर उचित विचार करेगी । इस पर आन्दोलन रोक दिया गया । पर अब क्या हुआ ? आयोग ने प्रतिवेदन म कहा है कि मनीपुर केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित प्रदेश होगा । आयोग ने यह भी कहा है कि वहां का प्रशासन कुछ नाम निर्देशित स्थानीय व्यक्तियों की सहायता से होगा । इस प्रकार मनीपुर में वही पुरानी स्थिति रहेगी । हम वहां उत्तरदायी सरकार चाहते हैं । हम पुरानी व्यवस्था से ऊब चुके हैं ।

गत ६–७ वर्षों में मुख्यायुक्त के शासन में मनीपुर में कोई भी विकास योजना लागू नहीं हो पाई है । इम्फाल––तामगलांग सड़क में केवल २० मील का निर्माण हो पाया है । थाउबल की सामुदायिक परियोजना बिल्कुल असफल है । उधर परामर्शदाता लोग चावल के चोरी छिपे व्यापार में संलग्न हैं । वह ६ रुपये के भाव अच्छा चावल खरीद कर २० रुपये के भाव बेचते हैं । और इस प्रकार काफी रकम पैदा करते हैं । बर्मा से भी सेवंन ओक्लाक ब्लेड, कलाई की घड़ियां, फाउण्टेन पेन और साइकिल के पुर्जों का चोरी छिपे व्यापार बड़े बड़े पदाधिकारी करते हैं ।

मनीपुर में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है । मुख्य चिकित्साधिकारी का वेतन तो है केवल ६०० रुपये और बीमा उन्होंने तीन लाख रुपये का कराया है । इतना रुपया उनके पास कहां से आता है । परिवहन विभाग में भी एक लाख रुपये का गबन हुआ है ।

अब मैं आदिम जातियों के प्रश्न को लेता हूं । सैंकड़ों दीवानी मामले अभी अनिर्णीत पड़े हुए हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा १९४८ में हिल बेंच हटा देने के बाद, न्याय-आयुक्त ने आदेश दिया कि वहां के मुख्य-आयुक्त तथा उपायुक्त उन मामलों में निर्णय नहीं दे सकते । तब से अब तक वे मामले यथावत् विद्यमान हैं । अध्यापकों का भी बुरा हाल है । प्राथमिक अध्यापकों को बीस रुपये मासिक वेतन मिलता है । क्या ऐसा ही केन्द्रीय शासन होता है ? हम इस स्थिति को कहां तक सहन करते रहेंगे । हम भी अन्य लोगों की भांति प्रजातन्त्र में रहते हैं । यह बात सभी जानते हैं कि मनीपुर बासियों ने भी स्वतन्त्रता के लिये अनेक बलिदान दिये हैं । राज्य पुनर्गठन आयोग इस बात से तो सहमत है कि हमारी संस्कृति, भाषा और परम्परायें आसाम से पृथक् हैं किन्तु उसने यह कहा है कि केवल कुछ समय तक उसे अलग रखा जाय । इस में क्या तर्क है यह समझ में नहीं आता । जनता की इच्छाओं की ओर ध्यान देना और उन्हें स्वीकार करना सरकार का कर्तव्य है किन्तु आयोग ने मनीपुर के बारे में जो भी सिफारिश की है वह उसके हित को ध्यान में रख कर नहीं बल्कि उसके निकटवर्ती राज्य आसाम को ध्यान में रख कर की है । आसाम इस समय अपनी आदिम जातियों की समस्या में व्यस्त है । आयोग मनीपुर को उस समय तक अलग रखना चाहता है उसके बाद आसाम में मिलने के अतिरिक्त उसके पास और कोई चारा नहीं है । मैं सभा से और सरकार से निवेदन करता हूं कि मनीपुर के लोगों के साथ न्याय किया जाय । आयोग ने तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया है जैसा कि कोई दण्डाधीश किसी निरपराध व्यक्ति को फांसी की सजा देकर करता है । मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि हम मनीपुर के छः लाख निवासी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें प्रजातंत्रीय शासन पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं हो जाता । हम जनता की प्रतिनिधि सरकार बनाना चाहते हैं । आयोग ने कहा है कि मनीपुर की आय केवल ३५ लाख रुपये है और वह एक पूरे राज्य का शासन चलाने के लिये आत्म निर्भर नहीं है किन्तु हम उसी में अपना प्रबन्ध सुचारु रूप से करके दिखा सकते हैं । वहां की विधान सभा के सदस्य केवल पांच रुपये मासिक से अपना निर्वाह कर लेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे । १९४८ में हमने जैसी

सेवा की है, वैसी सेवा केन्द्रीय सरकार पिछले सात वर्षों में भी नहीं कर पाई है। हम वहां किसी मुख्यायुक्त का शासन नहीं चाहते।

अब मैं नागा पहाड़ियों और उत्तर-पूर्वी सीमा एजेन्सी के बारे में कुछ कहता हूं। मुझे आयोग की इस सिफारिश पर प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र का शासन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। क्योंकि यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है किन्तु यह क्षेत्र आसाम का भाग नहीं रहना चाहिए। यह तो वहां की जनता से पूछा जाना चाहिये कि वह आसाम के साथ अपने क्षेत्र को मिलाना पसन्द करेगा या नहीं। यह तो वैसी ही बात हुई कि लड़का तो अभी हुआ ही नहीं और शादी पहले ही तय करना शुरू कर दिया।

सभापति महोदय : कृपया पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दीजिये।

श्री रिशांग किशिंग : हां, तो मैं कह रहा था कि नागा पहाड़ियों पर केन्द्रीय प्रशासन होना चाहिये। वे लोग भारत से पृथक् अपना एक स्वतन्त्र राज्य बनाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। यद्यपि आसाम सरकार यह कहती है कि वहां पूर्ण शांति है तथापि वहां की हलचल अभी तक उसी प्रकार जारी है। केन्द्रीय सरकार ने वहां के आन्दोलन का कई बार दमन किया है अतः अब वे समझने लगे हैं कि उन्हें अहिंसात्मक आन्दोलन द्वारा स्वतन्त्र होना चाहिये। उन्होंने आम चुनाव में भी कोई भाग नहीं लिया था। श्री जवाहरलाल नेहरू जब वहां गये थे तो एक बार वहां के लोग सभा में से उठ कर चले गये थे इसी से यह भली भांति जाना जा सकता है कि वहां के लोगों का भारत के प्रति क्या रुख है। जब तक उन के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही नहीं की जायगी, वे बराबर इसी प्रकार के विद्रोह करते रहेंगे : अतः मैं एक बार फिर यह निवेदन करता हूं कि वहां का प्रशासन केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहे। आयोग ने सभी भाग 'ग' में के राज्यों के समाप्त किये जाने की सिफारिश की है। पहाड़ी राज्यों के प्रति भी इसका रवैया बड़ा कठोर रहा है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों को समाप्त किया जा रहा है। पहाड़ी लोगों की एक पृथक् राज्य की मांग को ठुकराया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य बड़े सन्तोषजनक रुप से कार्य कर रहे हैं उनको क्यों समाप्त किया जा रहा है? यदि मैदानी राज्य रह सकते हैं तो पहाड़ी राज्य भी रह सकते हैं। मेरे विचार में इस देश में पहाड़ी राज्यों के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये और उनकी माँग पूरी की जानी चाहिये इसके पश्चात आदिम जातीय लोग संगठित होकर अपनी संस्कृति का विकास कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार सन्तोषप्रद रीति से अपना भविषय निर्माण कर सकते हैं। राज्यों के पुनर्गठन का एक सिद्धान्त भाषावार आधार है। पंजाब में लोग पंजाबी भाषी राज्य चाहते हैं किन्तु हिमालच प्रदेश उसके साथ मिलना नहीं चाहता है। सरकार उनकी मांग क्यों नहीं मान लेती है? अपने राज्य जैसे छोटे से राज्य को भी मैं पृथक रखना चाहता हूं क्योंकि हमारी भाषा और संस्कृति एक दम भिन्न है। अतः हिमाचल प्रदेश जैसे जो क्षेत्र सहमत नहीं है उन्हें दूसरे क्षेत्रों के साथ मिलने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। यदि सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को २० वर्ष पश्चात माने तो आदिमजाति संस्कृति नाम की कोई चीज भी शेष नहीं रहेगी। अतः मैं अपने राज्य की जनता की ओर से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे मामले पर विचार करें और हमें अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने की अनुमति दे। यद्धपि हम लोग यहां है किन्तु मेरे राज्य की कोई संविधान सभा नहीं है। मनीपुर केन्द्र द्वारा शासित राज्य होने के नाते हम अनुभव करते हैं कि हम गृह मन्त्री की जेब में बन्द हैं। यदि हम ऐसे ही रहे तो हमारा दम घुट जायेगा। और त्रिपुरा के विषय में मेरा कहना है कि यदि वहां के लोग आसाम में नहीं मिलना चाहते हैं तो उन्हें मजबूर न किया जाये। त्रिपुरा

[श्री रिशांग किशिंग]

और मनीपुर दोनों में पृथक पृथक सरकारें स्थापित की जायें ।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : राज्य पुनर्गठन आयोग की त्रिपुरा सम्बन्धी सिफारिश बहुत ही भयानक है । त्रिपुरा के लिये एक उत्तरदायी सरकार की मांग कोई नई मांग नहीं है । हमें गृह मंत्री नें कई बार आश्वासन दिया और हमें राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन आने तक के लिये प्रतीक्षा करने को कहा गया था किन्तु उस प्रतिवेदन के पश्चात हम देखते हैं कि हमारी पृथक राज्य की मांग से इनकार किया जा रहा है । यह भाषावार आधार पर राज्य बनाये जाने के सिद्धान्त के भी स्पषटत: विरूद्ध है । त्रिपुरा के लोग आसाम के साथ नहीं मिलना चाहते हैं । इस सभा को उनकी इच्छा का निश्चय करके तब कोई निर्णय करना चाहिये । १३६५ वर्ष से त्रिपुरा एक पृथक राज्य के रूप में रहा है । उनकी एक पृथक संस्कृति रही है और वह बंगाल की संस्कृति से एक दम भिन्न है प्रतिवेदन में कहा गया है कि आसाम में बहुत से बंगाली रहते हैं यदि त्रिपुरा आसाम के साथ मिला दिया गया तो त्रिपुरा के बंगाली आसाम के बंगालियों से मिल सकेंगे और इस प्रकार उनके हितों की रक्षा हो सकेगी । किन्तु मेरा कहना है त्रिपुरा में केवल बंगाली ही नहीं बहुत से आदिम जाति लोग भी हैं । वास्तव में त्रिपुरा आदिम जाति के लोगों का ही है । बंगालियों का तो विभाजन के पश्चात ही बहुमत हुआ है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि भाषा की एक रूपता एक महत्व पूर्ण बात है । त्रिपुरा पर इस सिद्धान्त को बिल्कुल लागू नहीं किया गया है । त्रिपुरा और आसाम के लोगों की भाषा में कोई एकरुपता नहीं है । यह सत्य है कि आसाम में कुछ बंगाली हैं किन्तु आसाम के आदिम जाति के लोगों और त्रिपुरा के आदिम जाति के लोगों की भाषा में कोई भी साम्य नहीं है । त्रिपुरा की संस्कृति को बंगाली संस्कृति के साथ नहीं मिलाया जा सकता है ।

त्रिपुंरा के लोगों की प्रादेशिक संस्कृति, इतिहास तथा परम्पराओं का ध्यान न रखना बहुत बड़ी ग़लती है । उनका आसाम की आदिम जातियों से कोई सम्बध नहीं है । वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक आधारों पर भी त्रिपुरा का आसाम के साथ संविलय नहीं होना चाहिये ।

आर्थिक दृष्टि से आसाम एक अल्पविकसित और घाटे वाला राज्य है । वहां पर रेलों और सड़कों की कमी है । त्रिपुरा का एक ऐसे राज्य से मिलने से क्या लाभ हो सकता है ? त्रिपुरा की बिधिया आसाम के नमूने पर नहीं बनाई गई हैं । वह पश्चिम बंगाल की विधियों से अधिक मिलती जुलती हैं । आदिम जाति वाले किसी भी राज्य से नहीं मिलना चाहते हैं वह एक पूर्ण प्रजातंत्र शासन प्रणाली को एक पृथक् राज्य चाहते हैं ।

आयोग ने त्रिपुरा को आसाम में मिलाये जाने का प्रस्ताव करके एक और बड़ी भारी भूल की है । वह सुरक्षा सम्बन्धी है । आयोग का कहना है कि भारत की एकता और सुरक्षा को बनाये रखना बहुता आवश्यक है । किन्तु त्रिपुरा को आसाम में मिलाने के लिये यह तर्क नहीं दिया जा सकता है । रक्षा एक केन्द्रीय विषय है । देश की रक्षा करना केन्द्र का उत्तरदायित्व है । यदि त्रिपुरा पृथक भी रहे तो भी कोई कठिनाई नहीं होगी । कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि यह एक छोटा सा राज्य है अत: यह प्रतिरोध करने के योग्य नहीं होगा । यह एक ग़लत धारणा है । देश की रक्षा करना सारे राष्ट् का सामूहिक कर्तव्य है । त्रिपुरा भारत संघ से स्वतंत्र राज्य नहीं होगा । वह भारत का ही भाग होगा । उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर ही होगा ।

आयोग ने मनीपुर को एक पृथक राज्य बनाये जाने की सिफारिश की है । तर्क ये दिये गये हैं कि मनीपुर एक सीमान्त राज्य है, यह शताब्दियों से एक स्वाधीन राज्य रहा है, इसका भारत के साथ रेल द्वारा कोई सम्बन्ध

नहीं है इसका एक अपना पृथक ही सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है, इसमें एक ही विशेष जाति रहती हैं और एक ही भाषा है। यदि यह आसाम के साथ मिलाया गया तो इसकी प्रगति में बाधा पड़ जायेगी, आदि। मेरा कहना है यही बातें त्रिपुरा के सम्बन्ध में भी लागू होती हैं।

आसाम की आन्तरिक अवस्था भी कुछ भिन्न है। आयोग ने स्वयं माना है कि वहां आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की कठिनाईयां हैं। वहां पर भिन्न भिन्न जातियां अपने हितों की रक्षा के लिये संघर्ष कर रही हैं। ऐसी अवस्था में यदि त्रिपुरा के असहमत लोगों को बलात् आसाम में मिलाया गया तो भारत की एकता स्थापित करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी।

सभापति महोदय : अब ६ म० प० बज गये हैं सभा स्थगित होनी चाहिये।

श्री दशरथ देव : मैं केवल १५-२० मिन्ट्स ही और लूंगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य परसों फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार १९ दिसम्बर १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

स्तम्भ

निधन सम्बन्धी उल्लेख ७७१९–२०

अध्यक्ष महोदय ने, लोक-सभा के सदस्य श्री रोहिनी कुमार चौधरी के निधन का उल्लेख किया । इस के पश्चात दिवंगत के प्रति सम्मान प्रगट करने के लिये सभा के सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

राज्य-सभा से सन्देश ७७२१–२१

सचिव ने राज्य-सभा के निम्न-लिखित दो संदेश सूचित किये––

(१) कि राज्य-सभा अपनी १५ दिसम्बर, १९५५ की बैठक में लोक-सभा द्वारा ९ दिसम्बर, १९५५ को पारित किये गये अनर्हता निवारण (संसद और भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) संशोधन विधेयक, १९५५ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) कि राज्य-सभा अपनी १५ दिसम्बर, १९५५ की बैठक

स्तम्भ

में लोक-सभा द्वारा ७ दिसम्बर, १९५५ को पारित किये गये बीमा (संशोधन) विधेयक, १९५५ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

याचिकाओं का उपःस्थापन ७७२१

(१) श्री शिवमूर्ति स्वामी ने राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में ३१ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित की।

(२) श्री माधव रेड्डी ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सम्बन्ध में ६५७ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ६ याचिकायें उपःस्थापित कीं ।

राज्यपुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७७२१—७८१२

राज्यपुनर्गठन आयोग के प्रति-वेदन के बारे में विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । चर्चा असमाप्त रही ।